शुक्रवार, 25 ज्येष्ठ, शक संवत् 1934
(15 जून, 2012 ई0)

खण्ड-480
अंक-04

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये और उनके उत्तर दिये गये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बचनू राम पटेल के निधन पर सदन की ओर से श्री अध्यक्ष ने शोकोद्‌गार व्यक्त करते हुए अवगत कराया कि सदन की संवेदना दिवंगत आत्मा के शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचा दी जायेगी।

दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए।

आज नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 30 सूचनायें प्राप्त हुईं, प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं, जो पढ़ी हुई मानी गयीं :-

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री त्रिभुवन राम	जनपद लखनऊ के कृष्णानगर के दुर्गापल्ली आदि मोहल्लों में पक्की नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री कालीचरन सुमन	आकांक्षा होम्यो0 क्लीनिक 116/10 काली बाड़ी मार्ग घसियारी मण्डी कैसरबाग में हुई तोड़-फोड़ की घटना के सम्बन्ध में।
3	श्री त्रिलोकी राम	जनपद अलीगढ़ में स्थित करवल नदी पर इगलास के ग्राम रफायतपुर के निकट पुल का निर्माण कराये जाने सम्बन्ध में।
4	श्री अजय मिश्र ''टेनी''	विधान सभा क्षेत्र निघासन जनपद लखीमपुर खीरी की ग्राम सभा जसनगर व बरसोला कलॉ का सीमांकन राजस्व विभाग द्वारा स्पष्ट न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5	श्री सुरेश कुमार खन्ना	जनपद शाहजहांपुर नगर के मोहल्ला ख्वाजा फिरोज नई बस्ती में बड़ा नाला मय फुटपाथ के बनवाने के सम्बन्ध में।
6	श्री बृजलाल सोनकर	जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर में बन्द पड़ी बस सेवाओं को पूर्ववत् चालू किये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री श्याम बहादुर सिंह यादव	चकबन्दी के अन्तर्गत ग्राम सभा पूक, तहसील फूलपुर जनपद आजमगढ़ में धारा-52 के प्रकाशन के सम्बन्ध में।
8	श्री राधेश्याम सिंह	जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र की नहरों की सफाई कराये जाने एवं टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री सुभाष पासी	जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने एवं रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री बेचई सरोज	विधान सभा क्षेत्र लालगंज जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत पिच रोड न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
11	श्री अमित गौरव यादव	प्रदेश में हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
12	श्री उमेश पाण्डेय	जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन में घाघरा नदी में बांध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
13	श्री विजय बहादुर यादव	जनपद गोरखपुर में सूरज कुण्ड रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु के निर्माण से बाधित आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री पंकज कुमार मलिक	जनपद प्रबुद्धनगर के विधान सभा क्षेत्र शामली की ओर आने वाली सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

आज नियम-300 के अन्तर्गत 4 सूचनाएं प्राप्त हुईं। लोक सभा/राज्य सभा की भांति उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण टी0वी0 चैनल पर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश त्रिपाठी के औचित्य के प्रश्न को श्री अध्यक्ष ने औचित्य का प्रश्न न बताते हुए कहा कि इस सम्बन्ध में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लोक सभा के तत्कालीन स्पीकर

मा0 सोमनाथ चटर्जी से मिलकर लोक सभा के फण्ड से धन की मांग की थी जिससे उ0 प्र0 विधान सभा अपना टी0वी0 चैनल चला सके क्योंकि विधान सभा इतने धन की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हैं। श्री राजेश त्रिपाठी ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रदेश की जनता सदन की कार्यवाही तथा अपने सदस्यों के आचरण को सीधे देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि यदि संसाधन की कमी है तो इस हेतु वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष ने कहा यदि आप लोग तैयार हैं तो विधायक निधि से धन उपलब्ध करा दें तो हम इसकी व्यवस्था करा देते हैं। श्री राजेश त्रिपाठी ने कहा हम लोग इस हेतु तैयार हैं। श्री सतीश महाना ने कहा इस हेतु यदि अधिक वित्तीय संसाधन की आवश्यकता है तो मा0 सदस्यों को अपने भाषण अंशों को सी0डी0 में लेने की व्यवस्था कराये जाने का अनुरोध किया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि यह व्यवस्था उपलब्ध है। पुनः श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा सदन की कार्यवाही को टी0वी0 चैनल पर दिखाये जाने का अनुरोध करने पर श्री अध्यक्ष ने विधान सभा के पास इतना बजट न होने की स्थिति से अवगत कराते हुए संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सदन की कार्यवाही का टी0वी0 चैनल पर प्रसारण के सुझाव से मा0 मुख्य मंत्री जी भी सहमत हैं। परन्तु सभी सदस्य पुनः विचार कर लें क्योंकि सदन की कार्यवाही देश व प्रदेश देखेगा।

उत्तर प्रदेश में यू0पी0एस0एस0सी0एल0 की चीनी मिलों के विक्रय में घोर अनियमितता व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा पर श्री अध्यक्ष ने अवगत कराया कि प्रश्नगत प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है इसलिये इस पर बाद में निर्णय होगा, इसे आज स्थगित किया जाता है। श्री हुकुम सिंह ने स्पष्ट किया कि यह संदर्भ अलग है।

श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 14 जून, 2012 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 15 जून, 2012 से दिनांक 03 जुलाई, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 15 जून, 2012 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ली जाय।

2-दिनांक 15 जून, 2012 को शून्य प्रहर के बाद श्री हुकुम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में यू0पी0एस0एस0सी0एल0 की चीनी मिलों के विक्रय में घोर अनियमितता व भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा सम्बन्धी मद रख ली जाय।

3-दिनांक 18 जून, 2012 को वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान के पश्चात् उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मद रखी जाय।

4-दिनांक 15 जून, 2012 से दिनांक 03 जुलाई, 2012 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>जून 2012</u>

15 शुक्रवार 1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।

2-उत्तर प्रदेश में यू0पी0एस0एस0सी0एल0 की चीनी मिलों के विक्रय में घोर अनियमितता व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की चर्चा।

3-असरकारी दिवस।

4-नियम-103 के निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा :-

(1) डा0 धर्मपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा :-

(क) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाय।''

(ख) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर में यातायात की सुगमता हेतु मेट्रो ट्रेन चलाए जाने के लिये प्रभावी कार्रवाई की जाय।''

(ग) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर के ऐतिहासिक महत्ता के दृष्टिगत आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने के लिये प्रभावी कार्रवाई की जाय।''

<u>जून 2012</u>

(2) डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा :-

''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि काकोरी काण्ड के शहीदों की अविस्मरणीय स्मृति में लखनऊ स्थित प्रधान डाकघर के वर्तमान भवन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाय।''

5-विधायी कार्य।

16 शनिवार 17 रविवार	बैठक नहीं होगी।
18 सोमवार	1-वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं उसका पारण।
19 मंगलवार 20 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
21 गुरुवार 22 शुक्रवार 23 शनिवार 24 रविवार 25 सोमवार 26 मंगलवार 27 बुधवार 28 गुरुवार	बैठक नहीं होगी।
29 शुक्रवार 30 शनिवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

<u>जुलाई, 2012</u>

01 रविवार — बैठक नहीं होगी।

02 सोमवार — वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

03 मंगलवार — **<u>11.00 बजे पूर्वाह्न</u>**

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ''यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।''

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष महोदय आदेश दें, दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और संशोधित हुआ है, की धारा-22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (xiv) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की सभा में कार्य करने के लिए पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में आज दिनांक 15 जून, 2012 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उक्त दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

की सभा में कार्य करने के लिए पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की सभा में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के उपरान्त श्री हुकुम सिंह ने कहा कि इस तरह के प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं होती है ऐसे प्रस्ताव आज केवल औपचारिकता बनकर रह गये हैं इसलिये मेरा अनुरोध है कि सदन के बजाय कार्यकारिणी में नामित करके सदस्यों का नाम भेजा जाय तब तो भागीदारी बन पायेगी। संसदीय कार्य मंत्री ने शासन की सहमति प्रदान करते हुए कहा कि सदस्य यदि नामित हों तो विश्वविद्यालयों को यह डायरेक्शन हो कि छः महीने में एक बैठक अवश्य होनी चाहिए। श्री अध्यक्ष ने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिनियम में कार्यकारिणी में नामित करने का विधान नहीं है इसके लिये विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा इस हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी के साथ एक बैठक बुला लें।

श्री अध्यक्ष ने मद संख्या-9 आने पर सूचित किया कि आज असरकारी दिवस है, असरकारी दिवस के दिन कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं आता है क्योंकि असरकारी दिवस विपक्ष के लिये एक महत्वपूर्ण समय होता है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के अनुरोध पर श्री अध्यक्ष द्वारा सदन की सहमति से मद संख्या-12 लिये जाने की अनुमति दिये जाने पर डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं उन्हीं के अनुरोध पर चर्चा आगे के लिये स्थगित की गई :-

> ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि काकोरी काण्ड के शहीदों की अविस्मरणीय स्मृति में लखनऊ स्थित प्रधान डाकघर के वर्तमान भवन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाय।''

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा आज प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा उनके भाषण से आरम्भ हुई :-

> ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में की जाय।''

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल के भाषण के मध्य 12 बजकर 05 मिनट पर अधिष्ठाता प्रो0 शिवाकान्त ओझा पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यों/मंत्रियों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री रामलाल अकेला,
श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी,
श्री अखिलेश प्रताप सिंह,
श्री प्रदीप माथुर,
श्री उमाशंकर,
खाद्य रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)
श्री दलवीर सिंह,
श्री रमेश चन्द्र दुबे,
श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय उर्फ गामा पाण्डेय,
श्री राजेश त्रिपाठी,
श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया,
श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज,
कृषि राज्य मंत्री (श्री राजीव कुमार सिंह),
श्री उमेश पाण्डेय,
श्री उदयराज।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर भाषण दिया। डा0 राधामोहन दास अग्रवाल के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री अधिष्ठाता द्वारा संकल्प अस्वीकृत किये जाने पर डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा संकल्प पर मतदान कराये जाने की मांग की गई। तदुपरान्त श्री अधिष्ठाता द्वारा संकल्प पर हाथ उठवाकर पुनः मत विभाजन कराया गया एवं संकल्प अस्वीकृत हुआ।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) के संकल्प उनके अनुपस्थित रहने पर श्री अधिष्ठाता की अनुमति पर डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई :-

> ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में लागू जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना को प्रदेश की छावनी परिषदों में भी लागू किया जाय।''

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' का निम्नलिखित संकल्प उनके अनुपस्थित रहने पर श्री अधिष्ठाता की अनुमति से श्री सतीश महाना द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर चर्चा आगे के लिये स्थगित हुई :-

> ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द किया जाये।''

श्री सतीश महाना द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा उनके ही भाषण के मध्य आगे के लिये स्थगित हुई :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के महानगरों की उपनगरीय क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उपनगरीय क्षेत्र के निवासियों को भी मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध करायी जायं।''

डा0 धर्मपाल सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्तुत प्रस्तावों पर चर्चा आगे के लिये स्थगित की गई :-

(1) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाय।''

(2) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर में यातायात की सुगमता हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिये प्रभावी कार्रवाई की जाय।''

(3) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर के ऐतिहासिक महत्ता के दृष्टिगत आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाऐ जाने के लिये प्रभावी कार्रवाई की जाय।''

श्री विजय कुमार दुबे ने अपने व्यक्तिगत प्रकरण पर व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुये कहा कि उनके अपने घर में चोरी हो गई। उन्होंने कहा कि जब जनप्रतिनिधियों का घर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। उनके द्वारा घटना का पर्दाफाश कराये जाने की मांग किये जाने पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने घटना पर कार्यवाही कराये जाने का आश्वासन दिया।

आज नियम-51 की कुल 41 सूचनायें स्वीकृत की गईं। निम्नलिखित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1-श्री अब्दुल मशहूद खां	श्रावस्ती की तहसील भिनगा में स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध बालू खनन कराने तथा करोड़ों रुपये के सरकारी राजस्व का नुकसान पहुंचाने के सम्बन्ध में,
2-श्री मदन गोपाल वर्मा	जनपद फतेहपुर के क्षेत्र जहानाबाद में यमुना नदी पर पीपे के पुल के स्थान पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
3-श्री सुनील कुमार सिंह यादव	लखनऊ के गढ़ीकनौरा में खुले एवं गन्दे नाले से हो रही दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

4–श्रीमती लाल मुन्नी सिंह	जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था ठीक कराये जाने एवं रात में माओवादियों द्वारा की जा रही लूट-खसोट को रोकने के सम्बन्ध में,
5–श्री राधेश्याम सिंह	जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा, कुशीनगर में बस डिपो की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में तथा
6–श्री संजय कपूर	जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में स्थापित विद्युत उप केन्द्र का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1–श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय	इलाहाबाद अन्तर्गत मेजा रोड कोडहार खीरी मार्ग के गड्डायुक्त होने के सम्बन्ध में,
2–श्री मुकुट बिहारी वर्मा	बहराइच के कैसरगंज विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठीक करने के लिये दूसरा फीडर लगाये जाने के सम्बन्ध में,
3–श्री उमाशंकर	विधान सभा रसड़ा बलिया अन्तर्गत 20 साल पहले स्वीकृत हुये राजकीय बालिका विद्यालय के भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
4–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल	जनपद मेरठ में घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
5–श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ बृजेश सिंह	जनपद गोरखपुर के नगर पंचायत क्षेत्र सहजनवां में विद्युत आपूर्ति गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के फीडर से कराये जाने के सम्बन्ध में तथा
6–श्री उमेश पाण्डेय	जनपद मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत घाघरा नदी के किनारे स्थित परसिया, जैरामगिरी, सूरजपुर आदि ग्रामों के किनारे बांध का उच्चीकरण एवं बोल्डर पिचिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

1–श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी	जनपद बस्ती सदर के कतिपय गड्ढा युक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड पसगवां में आंधी/तूफान से क्षतिग्रस्त विद्युत पोलों को बदलवाए जाने के सम्बन्ध में श्री अवस्थी बाला प्रसाद द्वारा दिनांक 5 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों को निबन्धन, सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश द्वारा बैद्यनाथन सहायता पैकेज की शर्तों के पूरा न होने पर बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा दिनांक 11 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत सहकारिता मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया। श्री सतीश महाना के अनुरोध पर श्री अखिलेश प्रताप सिंह ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिंदवारी के ग्राम खपटिहा कला में दिनांक 10 जून, 2012 को हुए भीषण अग्निकाण्ड से हुई तबाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दलजीत सिंह द्वारा दिनांक 11 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद बस्ती के प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग में तैनात अधिशासी अभियन्ता द्वारा मनमाने तरीके से टेंडर में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा दिनांक 11 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में ओकारा शुगर प्राइवेट लि0 की खरीददारी घोटाले की जांच एवं छितौनी चीनी मिल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार दुबे द्वारा दिनांक 11 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य स्थगित हुआ।

जनपद फैजाबाद के प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद द्वारा मास्टर प्लान प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं निर्माण कार्यों में बरती गयी अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा दिनांक 11 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड बेहटा, हरगांव, परसेंडी एवं एलिया के ग्रामों में स्वीकृत विद्युतीकरण कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामहेत भारती द्वारा दिनांक 11 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कांशीरामनगर के तहसील सहावर व तहसील पटियाली के बीच गंगा नदी की सीमा रेखा तय किये जाने के सम्बन्ध में श्री ममतेश शाक्य द्वारा दिनांक 11 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम नैनी चक गुलाम में बन्द पड़ी त्रिवेणी इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड की भूमि अधिग्रहीत कर स्टेडियम बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय द्वारा दिनांक 11 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य स्थगित हुआ।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी की नहरों की सफाई व टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरज पाल सिंह द्वारा दिनांक 11 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आगरा के ग्राम नानपुर विकास खण्ड बिचपुरी में पेयजल की आपूर्ति हेतु लगी विद्युत मोटर की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री कालीचरन सुमन द्वारा दिनांक 11 जून, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन अपराह्न 01 बजकर 58 मिनट पर सोमवार, दिनांक 18 जून, 2012 को दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

खण्ड-480, अंक-4
शुक्रवार, 25 ज्येष्ठ, शक संवत् 1934
(15 जून, 2012 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2012)

(खण्ड 480 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-7
प्रश्नोत्तर	9-31
विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री बचनू राम पटेल के निधन पर शोकोद्‌गार ...	31
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	32-33
जनपद लखनऊ के कृष्णानगर के दुर्गापल्ली आदि मोहल्लों में पक्की नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	33
आकांक्षा होम्यो0 क्लीनिक, काली बाड़ी मार्ग, कैसरबाग, लखनऊ में हुई तोड़-फोड़ की घटना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	33-34
जनपद अलीगढ़ में स्थित करवल नदी पर इगलास के ग्राम रफायतपुर के निकट पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	34
विधान सभा क्षेत्र निघासन जनपद लखीमपुर खीरी की ग्राम सभा जसनगर व बरसोला कलां का सीमांकन राजस्व विभाग द्वारा स्पष्ट न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	34
जनपद शाहजहांपुर नगर के मोहल्ला ख्वाजा फिरोज नई बस्ती में बड़ा नाला मय फुटपाथ के बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	35
जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर में बन्द पड़ी बस सेवाओं को पूर्ववत् चालू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	35
चकबन्दी के अन्तर्गत ग्राम सभा पूक, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में धारा-52 के प्रकाशन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	35-36
जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र की नहरों की सफाई कराये जाने एवं टेल तक पाली पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	36
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने एवं रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	36-37
विधान सभा क्षेत्र लालगंज जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत पिच रोड न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	37
प्रदेश में हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	38-39
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन में घाघरा नदी में बांध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गोरखपुर में सूरज कुण्ड रेलवे क्रासिंग पर अपरिगामी सेतु के निर्माण से बाधित आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39-40
जनपद प्रबुद्धनगर के विधान सभा क्षेत्र शामली की ओर आने वाली सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	40
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	40-41
लोक सभा/राज्य सभा की भांति उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण टी0वी0 चैनल पर कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	41-43
उत्तर प्रदेश में यू0पी0एस0एस0सी0एल0 की चीनी मिलों के विक्रय में घोर अनियमितता व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अनतर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित एक घण्टे की चर्चा का स्थगन	43-44
विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	45-47
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की सभा में कार्य करने के लिये विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	47-48
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की सभा में कार्य करने के लिये विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों के निवाचिन करने के स्थान पर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिये प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)...	48-49
विश्वविद्यालयों की सभा में नाम-निर्देशन के स्थान पर कार्यकारिणी में सदस्यों को नामित करके भेजे जाने विषयक सुझाव	49-51
असरकारी दिवस पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के सम्बन्ध में निर्देश ...	51
मद संख्या-12 को पहले लिये जाने की सहमति	51
काकोरी काण्ड के शहीदों की अविस्मरणीय स्मृति में लखनऊ स्थित प्रधान डाकघर के वर्तमान भवन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	51

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में किये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (संकल्प अस्वीकृत)	52-70
प्रदेश में लागू जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना को प्रदेश की छावनी परिषदों में भी लागू किये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) का संकल्प (प्रस्तुतिकरण)	71
जनपद वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) का संकल्प (प्रस्तुतिकरण)... ...	71
प्रदेश के महानगरों की उपनगरीय क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उपनगरीय क्षेत्र के निवासियों को भी मूलभूत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	71-77
आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने हेतु प्रभावी कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	77
आगरा महानगर में यातायात की सुगमता हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिये प्रभावी कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	77
आगरा महानगर की ऐतिहासिक महत्ता के दृष्टिगत आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने के लिये प्रभावी कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	77-78
जनप्रतिनिधियों का घर असुरक्षित होने तथा प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था पर व्यवस्था का प्रश्न	78
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	78-79
जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड पसगवां में आंधी/तूफान से क्षतिग्रस्त विद्युत पोलों को बदलवाए जाने के सम्बन्ध में श्री अवस्थी बाला प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	79-80
उत्तर प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों को निबन्धन, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश द्वारा वैद्यनाथन सहायता पैकेज की शर्तों के पूरा न होने पर बन्द से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य	80-83

विषय		पृष्ठ-संख्या
जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्राम खपटिया कला में दिनांक 10 जून, 2012 को हुए भीषण अग्निकाण्ड में हुई तबाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दलजीत सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	... ...	83-85
जनपद बस्ती के प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग में तैनात अधिशासी अभियन्ता द्वारा मनमाने तरीके से टेंडर में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	... ...	85-87
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में ओंकारा शुगर प्राइवेट लि0 की खरीददारी घोटाले की जांच एवं छितौनी चीनी मिल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार दुबे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	... ...	87
जनपद फैजाबाद के प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद द्वारा मास्टर प्लान प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं निर्माण कार्यों में बरती गई अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	...	87-88
जनपद सीतापुर के विकास खण्ड बेहटा, हरगांव, परसेंडी एवं एलिया के ग्रामों में स्वीकृत विद्युतीकरण कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामहेत भारती द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	... ...	88-89
जनपद कांशीरामनगर की तहसील सहावर व तहसील पटियाली के बीच गंगा नदी की सीमा रेखा तय किये जाने के सम्बन्ध में श्री ममतेश शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	...	89-90
जनपद इलाहाबाद के ग्राम नैनी चक गुलाम में बन्द पड़ी त्रिवेणी इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड की भूमि अधिग्रहण कर स्टेडियम बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	... ...	90
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी की नहरों की सफाई व टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरज पाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	...	90-91
जनपद आगरा के ग्राम नानपुर विकास खण्ड बिचपुरी में पेयजल की आपूर्ति हेतु लगी विद्युत मोटर की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री कालीचरन सुमन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	... ...	91-92

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 15 जून, 2012

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-323

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र टेनी, श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
7. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
8. अजीमुलहक पहलवान, श्री — अम्बेडकर नगर
9. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
12. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
13. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
14. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
15. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
16. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
17. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
18. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
19. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
20. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
21. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
22. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
23. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
24. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
25. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
26. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
27. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
28. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
29. अविनाश, श्री — सोनभद्र
30. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
31. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
32. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
33. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
34. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
35. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
36. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
37. आशीष यादव, श्री — बदायूं
38. इकबाल, श्री — बिजनौर
39. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
40. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
41. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
42. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती

43. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
44. उदयराज, श्री उन्नाव
45. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
46. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
47. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
48. उमाशंकर, श्री बलिया
49. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
50. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
51. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
52. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
53. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
54. कामेश्वर, श्री देवरिया
55. काली चरन सुमन, श्री आगरा
56. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
57. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
58. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
59. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
60. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
61. कैलाश, श्री गाजीपुर
62. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
63. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
64. गंगा, श्री कुशीनगर
65. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
66. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
67. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
68. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
69. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
70. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
71. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
72. गोमती यादव, श्री लखनऊ
73. गोरख पासवान, श्री बलिया
74. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
75. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
76. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
77. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
78. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
79. जगपाल, श्री सहारनपुर
80. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
81. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
82. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
83. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
84. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
85. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
86. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
87. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
88. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
89. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
90. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
91. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
92. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
93. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
94. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
95. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन

96.	दलजीत सिंह, श्री	बांदा
97.	दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
98.	दिलनवाज खान, श्री	बुलन्दशहर
99.	दीपक पटेल, श्री	इलाहाबाद
100.	दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री	झांसी
101.	दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
102.	देवेन्द्र अग्रवाल, श्री	महामायानगर
103.	देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
104.	धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
105.	धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
106.	धर्मराज, श्री	बाराबंकी
107.	धर्मसिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
108.	धर्मेश सिंह तोमर, श्री	पंचशील नगर
109.	नजीवा खान जीनत, श्रीमती	कांशीराम नगर
110.	नदीम जावेद, श्री	जौनपुर
111.	नन्दिता शुक्ल, श्रीमती	गोण्डा
112.	नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
113.	नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
114.	नवाजिश आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
115.	नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री	प्रतापगढ़
116.	नारद राय, श्री	बलिया
117.	नितिन अग्रवाल, श्री	हरदोई
118.	निरंजन ज्योति, साध्वी	हमीरपुर
119.	नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री	शाहजहांपुर
120.	पंकज कुमार मलिक, श्री	प्रबुद्धनगर
121.	परवेज अहमद (टंकी), हाजी	इलाहाबाद
122.	पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
123.	पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
124.	पीतमराम, श्री	पीलीभीत
125.	पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
126.	पूनम सोनकर, श्रीमती	चन्दौली
127.	पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
128.	पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
129.	प्रदीप कुमार यादव, श्री	औरैया
130.	प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
131.	प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री	मेरठ
132.	प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री	औरैया
133.	प्रेम प्रकाश सिंह, श्री	देवरिया
134.	फतेह बहादुर, श्री	गोरखपुर
135.	फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
136.	फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी	देवरिया
137.	बंशी सिंह पहड़िया, श्री	बुलन्दशहर
138.	बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
139.	बदलू खां, श्री	उन्नाव
140.	बब्बन, श्री	चन्दौली
141.	बाबू खां, श्री	हरदोई
142.	बाबूलाल, श्री	गोण्डा
143.	बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती	बुलन्दशहर
144.	बृज लाल सोनकर, श्री	आजमगढ़
145.	बृजेश कठेरिया, इंजी0	मैनपुरी
146.	बृजेश कुमार, श्री	हरदोई
147.	बेचई सरोज, श्री	आजमगढ़
148.	बैजनाथ, श्री	मऊ
149.	भगवत सरन गंगवार, श्री	बरेली
150.	भगवती प्रसाद, श्री	अलीगढ़
151.	भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा

152. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
153. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
154. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
155. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
156. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
157. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
158. मनबोध, श्री देवरिया
159. मनीष रावत, श्री सीतापुर
160. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
161. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
162. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
163. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
164. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
165. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
166. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
167. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
168. महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
169. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
170. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
171. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
172. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
173. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
174. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
175. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
176. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
177. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
178. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
179. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
180. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
181. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
182. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
183. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
184. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
185. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
186. मो0 इरफान, श्री मुरादाबाद
187. मोहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
188. यासर शाह, श्री बहराइच
189. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
190. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
191. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
192. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
193. रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया'', श्री प्रतापगढ़
194. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
195. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
196. रणजीत सुमन, श्री एटा
197. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
198. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
199. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
200. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
201. रविन्द्र भड़ाना, श्री मेरठ
202. रश्मि आर्य, डा0 झांसी

203. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
204. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
205. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
206. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
207. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
208. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
209. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
210. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
211. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
212. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
213. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
214. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
215. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
216. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
217. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
218. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
219. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
220. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
221. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
222. राम करन आर्य, श्री बस्ती
223. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
224. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
225. राम गोविन्द, श्री बलिया
226. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
227. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
228. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
229. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
230. राम मगन, श्री बाराबंकी
231. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
232. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
233. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
234. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
235. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
236. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
237. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
238. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
239. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
240. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
241. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
242. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
243. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
244. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
245. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
246. ललितेशपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
247. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
248. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
249. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
250. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
251. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
252. विजय चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
253. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
254. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
255. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर

256. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
257. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
258. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
259. विजय सिंह, श्री रामपुर
260. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
261. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
262. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
263. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
264. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
265. वीरपाल राठी, श्री बागपत
266. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
267. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
268. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
269. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
270. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
271. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
272. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
273. शाकिर अली, श्री देवरिया
274. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
275. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
276. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
277. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
278. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
279. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
280. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
281. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
282. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ
283. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
284. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
285. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
286. संजय कपूर, श्री रामपुर
287. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
288. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
289. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
290. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
291. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
292. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
293. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
294. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
295. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
296. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
297. सर्वेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
298. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
299. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
300. सियाराम सागर, डा0 बरेली
301. सीमा, श्रीमती जौनपुर
302. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
303. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
304. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
305. सुधाकर, श्री मऊ
306. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
307. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र

308.	सुनील कुमार लाला, श्री	लखीमपुर खीरी	
309.	सुब्बा राम, श्री	गाजीपुर	
310.	सुभाष पासी, श्री	गाजीपुर	
311.	सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	
312.	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	
313.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	
314.	सुरेश बंसल, श्री	गाजियाबाद	
315.	सुल्तान बेग, श्री	बरेली	
316.	सुशील सिंह, श्री	चन्दौली	
317.	सूरज पाल सिंह, श्री	आगरा	
318.	सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	
319.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर	
320.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी	
321.	हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद	
322.	हुकुम सिंह, श्री	प्रबुद्धनगर	
323.	हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत	

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन) तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना के सम्बन्ध में जानकारी

*1-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देने की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इसके लिये क्या अर्हता एवं कौन सी शर्तें लागू हैं ? सरकार उक्त बेरोजगारी भत्ते को कब से देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

जी हां।

उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना-2012 के अनुरूप अर्हता एवं शर्तें निम्नवत् हैं :--

1-आयु-

(क) इस योजना का लाभ ऐसे व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी आयु जिस वित्तीय वर्ष हेतु बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाना है उस वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल को 30 वर्ष अथवा उससे अधिक हो।

(ख) लाभार्थी को अन्य शर्तें पूर्ण करने की दशा में 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने के माह तक योजना का लाभ मिलता रहेगा।

2-शैक्षिक योग्यता-

हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

3-मूल निवास-

बेरोजगार व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो तथा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो।

4-पारिवारिक आयु-

बेरोजगार व्यक्ति के परिवार की समस्त श्रोतों से आय रु0 36,000/- वार्षिक से कम होनी चाहिए तथा बेरोजगार व्यक्ति के पुरुष, अविवाहित महिला, विधवा अथवा परितक्यता/तलाकशुदा महिला होने की दशा में उसके माता-पिता एवं विवाहित महिला होने की दशा में उसके सास-ससुर की आय समस्त श्रोतों से 1,50,000/- वार्षिक अथवा इससे कम होनी चाहिए।

5-सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण-

किसी वित्तीय वर्ष में 15 मार्च तक प्रदेश के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होने की दशा में बेरोजगार व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता अगले वित्तीय वर्ष में आवेदन-पत्र जमा करने के माह के अगले माह की पहली तिथि से, इस भत्ते की स्वीकृति की दशा में अनुमन्य होगा।

शासनादेश जारी होने की तिथि दिनांक 15-05-2012 से तुरन्त प्रवृत्त।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, बेरोजगारों को भत्ता देने से सम्बन्धित इस प्रश्न पर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसके सम्बन्ध में 2 छोटे-छोटे सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

पहला, जिस वर्ग ने सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को सपोट किया 18 से लेकर 30 साल तक, वह वर्ग आज बेरोजगारी भत्ते से वंचित है और वह अपने आपको ठगा जैसा महसूस कर रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी जो उम्र उन्होंने 30 साल रखी है कि 30 साल से 40 साल तक की उम्र, क्या माननीय मंत्री जी इस उम्र को घटाने पर विचार करेंगे चाहे वह 20 साल का हो, 21 साल का हो, 25 साल का हो, चाहे 28 साल का हो, क्या इस उम्र को घटाने पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे।

दूसरा, मान्यवर, जो आय सीमा निर्धारित की है, आय प्रमाण-पत्र बनना मान्यवर, अपने आप में बहुत जटिल, बहुत दुरूह काम है आज शादी अनुदान उसको नहीं मिलेगा जिसको लेखपाल लिख देगा कि इसकी आमदनी 3 हजार रुपये है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी उसको शादी अनुदान नहीं दे सकता। सबसे बड़ी समस्या आय के आंकलन की है तो क्या मान्यवर, आय के आंकलन का इसमें कोई ऐसा तरीका जो बेरोजगारों के लिए कष्टदायक न हो कोई ऐसा तरीका मान्यवर, इजाद करेंगे उसके ऊपर विचार करेंगे यह दो छोटे-छोटे सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या आयु सीमा को कम करने पर विचार करेंगे और दूसरा आय के निर्धारण करने का क्या तरीका हो यह भी आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

डा0 वकार अहमद शाह-

माननीय अध्यक्ष जी, 25 से 28 साल, 29 साल तक की उम्र आदमी के पढ़ने की होती है और जब पढ़ लिख करके उसको रोजगार नहीं मिलता है तो इसीलिए 30 साल की उम्र रखी गयी है इसको कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात माननीय सदस्य ने पूछा है आय सर्टिफिकेट तो जो नार्मल प्रक्रिया है जिलाधिकारी द्वारा देने की उस प्रक्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं है, कोशिश यह की जायेगी कि बेरोजगारी भत्ता पाने वालों को आय का प्रमाण-पत्र आसानी से मिल जाय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय मंत्री जी ने पहले सवाल के जवाब में तो मना कर दिया। अगर चुनाव घोषणा-पत्र देख लेंगें जो समाजवादी पार्टी ने सारे अखबारों में दिया था और उसी के आधार पर यह चुनाव लड़ा था। उसमें बेरोजगारी भत्ते को देने के लिये कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं थी। जो 30 साल से 40 साल तक की आयु निर्धारित की गई है वह पहले बेरोजगार होने के बाद 10 साल इंतजार करे। मान्यवर, 1 हजार रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। 20 साल की उम्र में

अगर उसको 1 हजार रुपये मिल जाय तो कम से कम 10-5 जगह वह आवेदन करके ड्राफ्ट लगाकर वह इस लायक हो सकता है कि कहीं पर वह नौकरी के लिये आवेदन कर सकता है। उसके लिये इसमें सहारा हो सकता है 20 से 30 साल तक। यह जो 30 से 40 साल की उम्र रखी है तो पहले वह 10 साल तक इंतजार करे तब उसको बेरोजगारी भत्ता 1 हजार मिले। इस पर भी यह प्रतिबंध लगा दिया कि 40 वर्ष की उम्र तक उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जिस समय चुनाव घोषणा जारी किया गया उस समय उसमें कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। तो क्या माननीय मंत्री जी इस अधिकतम आयु सीमा को जो आपने लगाई है 40 वर्ष की, इसको हटाने पर विचार करेंगें ?

डा0 वकार अहमद शाह-

घोषणा पत्र मे 35 से 45 साल है और इस सरकार ने जिन परिस्थितियों में इसको 30 से 40 साल कर दिया है और जहां तक इसका सवाल है हम निरन्तर रोजगार के मौके परहाम रहे हैं हमारे विभाग जो हैं मेले लगा रहे हैं सारी कम्पनियों को बुलाकर रोजगार दे रहे हैं जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उसको 1 हजार रुपया दिया जा रहा है।

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

मान्यवर, आपके माध्यम से एक अनुपूरक पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जिनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा उनको क्या किसी विभाग में कोई श्रम करना पड़ेगा या बिना श्रम के उनको यह बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।

डा0 वकार अहमद शाह-

भत्ता मिलेगा लेकिन जो सरकारी कार्य हैं उसमें जहां पर उन बेरोजगार लोगों की आवश्यकता होगी, उनकी योग्यता के हिसाब से उनसे काम लिया जायेगा।

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या अशिक्षित बेरोजगारों के भी कल्याण की कोई योजना सरकार के पास है ? बहुत सारे होटलों में हम देखते हैं कि 12 साल से लेकर के 18 साल के बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, क्या उनके भी कल्याण की कोई योजना है ?

डा0 वकार अहमद शाह-

जहां तक बच्चों का सवाल है, बाल श्रम बिल्कुल प्रतिबंधित है अगर कहीं कोई शिकायत होती है तो कार्यवाही करते हैं। जहां तक प्रशिक्षित बेरोजगारों का सवाल है, इस सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। हम बच्चों को पढ़ाई भी करा रहे हैं। हमारे ऐसे स्कूल हैं जहां ऐसे बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चे पढ़ लिखकर बेरोजगार न रहें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री ने कहा कि 25 से 30 साल के बच्चे पढाई करते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी को यह ज्ञान कहां से

प्राप्त हुआ। 25 से 30 साल की उम्र के बच्चे इस प्रदेश में क्या-क्या पढ़ाई करते हैं ? इसको स्पष्ट कर दीजिये। क्योंकि हम लोगों की जानकारी में है कि 18-19 साल होते होते तक बच्चा 12वीं, 4 साल 5 साल और जोड़ा तो बी0एस0सी0, एम0एस0सी0। पी0एच0डी0 तो कोई करता नहीं। कोई करता हो तो वह मान लीजिये उसके बाद यह जो उम्र आप खींचकर 30 साल तक ले गये हैं आपकी जानकारी में हैं, सरकार जानती होगी तो जरा बताइये कि 24 से 30 साल के बच्चें इस प्रदेश में किन-किन कक्षाओं में और कहां पढ़ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

इसकी कहां सूचना होगी। प्रश्न पूछिये सीधा सा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, जब सरकार कोई नीति निर्धारित करती है, उसके कोई तर्क होते हैं। प्रश्न यह है कि नौजवान 18 साल के बाद नौजवान माना जाता है। सरकार ने तय कर लिया कि 30 साल के बाद देंगे। तार्किक आधार पर अगर दिया जाना था तो 18 साल के नौजवानों से शुरू करते। अब सरकार इस सदन में कुतर्क कर रही है कि 30 साल की उम्र के बच्चे पढ़ते हैं। कोई नहीं जानता इस बात को 20, 22, 25 होते होते सब अपनी अपनी कमाई में लग जाते हैं। कुछ मिला तो मिला नहीं तो नौकरी करते हैं। सरकार ने नौजवानों के साथ धोखा किया है। नौजवानों से कहा कि हम उनको भत्ता देंगें और जब नौजवानों को भत्ता देने का समय आया तो यह कहते हैं कि वह पढ़ते हैं। यही बता दें कि कहां पढ़ते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

यह कोई सवाल नहीं है।

डा0 वकार अहमद शाह-

माननीय सदस्य को तो बधाई देनी चाहिए थी। पहली बार ऐसी सरकार आई है जिससे बेरोजगारी भत्ता देने की बात सोची है। 30 साल तक लोग पढ़ाई करके रोजगार में लग जाते हैं जिन लोगों को 30 साल तक रोजगार नहीं मिल पाता है उनको बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यह सरकार सबको बेरोजगार बनाकर रखना चाहती है, बेरोजगारी बढ़ाकर उनको धन देना चाहती है बताना चाहती है कि देखो हम तुम्हें धन दे रहे हैं तुम घर बैठो, लेकिन उतने धन से उनका पालन नहीं हो सकता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 120 रुपया प्रतिदिन है उस हिसाब से 4,200/- रुपया एक नौजवान को न मिले तो उसका खर्चा नहीं चलेगा तो कम से कम सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के हिसाब से 4,200 रुपया भत्ता देने का कष्ट करेगी ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जितना दे रहे हैं उतना भी नहीं देना चाहिए था आपके हिसाब से।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

4,200 रु0 देना चाहिए था।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाएं आज प्राइवेट का दिन है उसमें समय क्यों खराब कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहते हैं आप संरक्षक हैं आपकी कृपा पूर्वक दृष्टि हमारे ऊपर नहीं होगी तो हमारा संरक्षण कौन करेगा। मैं जानना चाहता हूं जो एक हजार रुपया मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है क्या इस मंहगाई को देखते हुए उसमें वृद्धि करने का प्रयास करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यही तो उनका भी प्रश्न है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उत्तर दिलवा दें एक हजार रुपये की क्रय शक्ति कितनी है मान्यवर, क्या इसको बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

डा0 वकार अहमद शाह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण भत्ते के विरोधी हैं हम तो मुसलसल नौजवानों के रोजगार देने के प्रयास कर रहे हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात है।

उत्तर प्रदेश में गरीब मरीजों हेतु एक सर्व सुविधायुक्त (एम्स) अस्पताल की स्थापना

*2-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) तथा श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उ0प्र0 में सुविधाविहीन गरीब मरीजों हेतु एक सर्वसुविधायुक्त (एम्स) अस्पताल स्थापना की अत्यन्त आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रयोजन हेतु एक प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में उच्च स्तरीय सुविधा सम्पन्न मेडिकल कालेज तथा जनपद आजमगढ़ में नये स्थापित मेडिकल कालेज में ओ0पी0डी0 संचालित है।

राज्यों में एम्स की स्थापना का विषय भारत सरकार का है। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा जनपद रायबरेली के अतिरिक्त पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड एवं रूहेलखण्ड में भी एम्स स्तर का एक-एक उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थान अथवा जनपद रायबरेली में स्थापित होने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कैम्पस चिकित्सालय स्थापित किये जाने हेतु मा0 मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली से समुचित विचारोपरान्त निर्णय से राज्य सरकार को अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मैं पश्चिम से आता हूं माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में एम्स खोलने हेतु सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से क्या-क्या प्रयास किया गया है ....

मान्यवर, नम्बर-2 एम्स प्रदेश के किन-किन जिलों में खोले जाने का विचार सरकार द्वारा किया गया है ? नम्बर-3, क्या सम्पूर्ण सदन सहमत है कि प्रदेश में चार एम्स स्थापना हेतु सरकार केन्द्र सरकार से प्रस्ताव करेगी ? नम्बर-4, एक छोटा सा और प्रश्न है, मैं मेरठ से आया हूं, मेरठ में जो मेडिकल कालेज है, एक भयंकर अग्निकाण्ड हुआ था जिसमें 70 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी तथा 100 व्यक्ति घायल हुए थे, वहां पर आज तक बर्न वार्ड नहीं खोला गया है। पिछली बार जब माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी, वह कहकर आये थे कि बर्न वार्ड वहां खोला जायेगा, लेकिन आज तक वह नहीं खोला गया है, क्या मंत्री जी इसे बनाने पर विचार करेंगे ?

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, एम्स की स्थापना भारत सरकार का काम है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने 17-5-12 को श्री गुलाम नबी आजाद जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, भारत सरकार में उनको पत्र लिखा है कि विभिन्न स्थानों पर एम्स के लिए हम जमीन देने को तैयार हैं, आप स्वीकृति दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, अग्रवाल जी का प्रश्न यह था कि जब मेरठ में आग लगी थी उसमें तमाम लोग झुलस गये थे तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने वायदा किया था, मेडिकल कालेज में बर्न विभाग खोलने का यह उनका एक प्रश्न है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे ?

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, इसको देख लिया जायेगा।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना और डा0 राधामोहन दास अग्रवाल प्रश्न पूछने के लिए खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष-

आप बहुत बोल चुके हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, आपका भी इसमें है, हम आपकी तरफ से बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। पहले खन्ना जी बोल लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, रूहेलखण्ड में भी एक एम्स स्तर का अस्पताल खोलने की सरकार की मंशा है, मान्यवर। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार से क्या वार्तालाप हुआ और किस जनपद में खोलने पर विचार चल रहा है और सरकार ने अब तक इसमें क्या कार्यवाही की है ? यह दो बातें मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर में रूहेलखण्ड का नाम आया है और मैं रूहेलखण्ड से आता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इसमें लास्ट का पैरा पढ़िये, उसमें उत्तर निहित है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण इसलिए है, रूहेलखण्ड में चार जिले आते हैं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत और बदायूं, मान्यवर, कमिश्नरी बरेली में है और हम यह चाहते जरूर है कि शहीदों की नगरी शाहजहांपुर है और जब-जब कुर्बानी की बात आई, तब शाहजहांपुर अग्रणी रहा स्वतंत्रता संग्राम से लेकर और कारगिल की लड़ाई तक। लेकिन जब सुविधाओं की बात आई तो हमेशा शाहजहांपुर को पीछे ढकेला गया, उतने दिनों को छोड़ दीजिए, जितने दिन मैं मंत्री रहा। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी एम्स को शाहजहांपुर में स्थापित करने के लिए विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय खन्ना जी, एम्स स्थापित करने का निर्णय भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय या जो भी समुचित होगा, वह लेगा। एम्स स्थापित वह करेंगे, यह उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इन्होंने उत्तर में लिख दिया है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से पूरी बात की गई और निर्णय से राज्य सरकार को अवगत कराने का अनुरोध कर लिया गया है तो अभी तो कुछ कहे ही नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा बल इस बात पर है कि यह सरकार इस बात के लिए रिकमेण्ड कर दे कि शाहजहांपुर में एम्स की स्थापना की जाए। शाहजहांपुर राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य तमाम शहीदों की जन्मस्थली और कर्मस्थली है। ये लोग फांसी के फन्दे पर चढ़ाये गये थे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आप प्रश्न समझ गये ? इन्होंने तो बहुत घुमा कर पूछा है।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, खन्ना जी वहां के लिए बहुत इच्छुक हैं, अगर केन्द्र से परमिशन मिली तो उसके लिए कहा जायेगा।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री ने कुछ बातें कही थीं उन्होंने कहा था कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के तीन स्थानों पर एम्स की स्थापना हेतु जमीन देने सम्बन्धी अपनी सहमति

केन्द्र सरकार को भेज दी है। हम सबने मुख्य मंत्री जी को साधुवाद दिया था, धन्यवाद दिया था। अब यह जो जवाब आया है यह मुख्य मंत्री जी की कही बात पर शंका पैदा कर रहा है। इसलिए मैं इस जवाब को पढ़ दे रहा हूं। उत्तर में दिया है कि राज्यों में एम्स की स्थापना का विषय भारत सरकार का है। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा जनपद रायबरेली के अतिरिक्त पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड एवं रूहेलखण्ड में भी एम्स स्तर का एक-एक उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थान। मान्यवर, यहां तक तो मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा की गयी घोषणा है। लेकिन यह जो नीचे जवाब दिया गया है यह बिना मा0 मुख्य मंत्री जी की अनुमति के अधिकारियों द्वारा दिया गया जवाब है कि अथवा जनपद रायबरेली में स्थापित होने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कैम्पस चिकित्सालय स्थापित किये जाने हेतु। मान्यवर, यह कैम्पस चिकित्सालय का कान्सेप्ट न तो किसी माननीय सदस्य ने मांगा न ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, तो प्रश्न यह है कि एम्स खुलवाये जाने के नाम पर जो कैम्पस चिकित्सालय का कान्सेप्ट घुसाया जा रहा है। यह तो अनौचित्यपूर्ण है। यह न किसी माननीय सदस्य का प्रश्न है न मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आखिर मा0 मुख्य मंत्री जी की पूर्ण और सम्पूर्ण घोषणा के विपरीत इस सदन में आपके द्वारा यह जवाब क्यों दिया जा रहा है ?

डा0 वकार अहमद शाह-

माननीय मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र सरकार से कहा है कि हम भूमि देने को तैयार हैं आप खोलें। जहां तक कैम्पस की बात है तो काम की शुरूआत करने के लिए कैम्पस खोला जाता है तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ही है।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन के साथ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह ठीक है कि दिल्ली मेरठ के पास है। लेकिन दिल्ली में एम्स की भीड़ को देखते हुए क्या रामपुर से लेकर बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, प्रबुद्ध नगर इनमें भी कहीं एम्स का प्रस्ताव सरकार करेगी ?

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, भारत सरकार जितने एम्स खोलने की बात कहेगी उतने एम्स खोलने की सुविधा दे दी जाएगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सुरेश राणा जी का प्रश्न यह था कि क्या आप प्रस्ताव करेंगे। प्रस्ताव करने में तो कुछ खर्च नहीं होता है और जनहित की बात है। एम्स केवल दिल्ली का नहीं है वह पूरे भारत का है। वहां पर भीड़ के कारण मरीज का दाखिला नहीं हो पाता। किसी बहुत बड़े सीनियर मंत्री से सिफारिश करा दें तो दाखिला हो जाएगा। नहीं तो कहीं का भी दाखिला नहीं हो पाता है। लखनऊ में तो एस0जी0पी0जी0आई0 है, कुछ तो है। लेकिन हमारे पूरे क्षेत्र में सरकारी सुविधा के नाम पर शून्य है। इसलिए वहां पर वास्तव में आवश्यकता है। आपके द्वारा प्रस्ताव करने में क्या दिक्कत है। आप प्रस्ताव करेंगे हम वहां जाकर पैरवी कर लेंगे। सीधा सा सवाल है कि क्या आप वहां की आवश्यकता को देखते हुए प्रस्ताव करेंगे ?

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने श्री गुलाम नबी आजाद जी जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार हैं उनको स्पष्ट पत्र लिखा है कि हम अपने प्रदेश में आपको सारी सुविधायें देंगे। आप एम्स खोलने की स्वीकृति दें। अब पहले स्वीकृति आ जाये तो हम उन क्षेत्रों में भी करें।

श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मांग करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कहा कि मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार को पत्र लिखा है कि हमें एम्स दीजिए यह उन्होंने बयान में भी कहा था। जब वहां से स्वीकृति आ जायेगी तो स्थान के बारे में वह विचार करेंगे। यह कह दिया तो अब उसमें क्या बचा है। अब नहीं बैठिये।

श्री अध्यक्ष-

अब एक प्रश्न और है इसको भी ले लें, आज असरकारी दिवस है, तमाम संकल्प लगे हैं। अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

*3-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[मा0 सदस्य के अनुरोध पर 3सरे शुक्रवार के लिय स्थगित]

*4-प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

[दिनांक 13-06-2012 के तारांकित प्रश्न सं0-8 द्वारा उत्तरित]

उत्तर प्रदेश जल परिवहन आयोग के गठन की मांग

*5-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़क यातायात की बढ़ती समस्या को देखते हुये प्रदेश की विभिन्न नदियों एवं चौड़ी नहरों में जल परिवहन की सम्भावनाओं को तलाशने के लिये किसी उच्चस्तरीय उत्तर प्रदेश जल परिवहन आयोग के गठन करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री मान पाल सिंह)-

प्रश्नगत जल परिवहन आयोग के गठन करने पर कोई विचार नहीं चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जल परिवहन से सम्बन्धित कार्यों के लिए परिवहन आयुक्त संगठन द्वारा विभागाध्यक्ष/निदेशालय के दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है, अतः अलग से जल परिवहन आयोग गठित करने की आवश्यकता नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न प्रदेश की यातायात व्यवस्था से सम्बन्धित है और इसका दलीय राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। भारत का इतिहास अगर हम गौर करेंगे तो सारा यातायात

नदियों के माध्यम से होता था और इसीलिए आपने अगर देखा होगा तो अधिकांश बड़े शहर या धार्मिक स्थल नदियों के किनारे ही बने हैं। यह अंग्रेजों का एक खेल था, अंग्रेज जब यहां की यातायात व्यवस्था को अपने सैन्य आवश्यकताओं और इंग्लैण्ड की व्यवसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना चाहते थे तो यह जानते हुए कि जल परिवहन बहुत सस्ता पड़ेगा उन्होंने रेल परिवहन और सड़क परिवहन के प्रोजेक्ट को आगे लिया और जानबूझ कर के उस प्रोजेक्ट को इसलिए लिया क्योंकि उनको एक निश्चित आय पांच प्रतिशत की दी गई थी कि जितनी लागत आयेगी उस लागत पर पांच प्रतिशत उन्हें लाभ दिया जायेगा। जल परिवहन में कोई लागत आनी नहीं थी, रेल परिवहन में लागत आनी थी, इसलिए उन्होंने यह व्यवस्था की। अब प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय कि सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। हम शहरों में मेट्रो बना रहे हैं। सड़कों के ऊपर सड़कें बना रहे हैं, फ्लाई ओवर्स बना रहे हैं। हमारे सामने ढेर सारी नदियां पड़ी हुई हैं जिसमें कोई यातायात नहीं है। जहां अगर हम चाहते तो यातायात के बहुत सारे वैकल्पिक व्यवस्थायें कर सकते थे, लेकिन हमारी दृष्टि वहां नहीं जा रही है। अगर हम किसी नदी में कोई जहाज चलाना चाहते हैं तो जो साइंटिफिक रूप से माना गया है जो इंग्लैण्ड वाटर अथॉरिटी आफ इण्डिया की रिपोर्ट्स हैं और ट्रान्सवाटर ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन की रिपोर्ट्स हैं, जहां नदियों की गहराई डेढ़ मीटर से अधिक है या जहां नहरों की गहराई डेढ़ मीटर से अधिक है वहां इस प्रकार के यातायात की व्यवस्था की जा सकती है। हमारा प्रदेश नदियों का प्रदेश है और ढेर सारी ऐसी नदियां होंगी जिनकी गहराई डेढ़ मीटर से अधिक होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां तक की इलाहाबाद से लेकर के और हुगली तक गंगा नदी में यह नेशनल वाटर-वे बनाया गया है और इलाहाबाद भले ही डेकीज न आती हो बाकी पटना से आगे इसका पूरा प्रयोग हो रहा है। मैं खाली सरकार से जानना चाहता हूं, मैं नहीं जानता हूं कि आप आज कह देंगे कि मैं करूंगा। मैं यह कह रहा हूं जब यातायात के इतने वैकल्पिक साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, हम सड़कों के ऊपर रेल लाइन दौड़ाना चाहते हैं, क्या इस रास्ते के प्रयोग करने पर विचार करेंगे। विचार करने में जब संभावित होगा, तभी करेंगे, लेकिन जब विचार करेंगे तो रास्ते निकल सकते हैं। क्या सरकार इस प्रदेश में जल परिवहन की सुविधा देने पर विचार करेगी ?

श्री मान पाल सिंह-

श्रीमन्, मा0 सदस्य ने बहुत बातें, कहीं, नदियों की गहराई भी उन्होंने बताई। मैंने भारतीय अर्न्तदेशीय जल मार्ग प्राधिकरण से बात की तो पिछले 12 महीने में गाजीपुर तक बड़े-बड़े ट्रान्सफार्मर लाने वाले 20-22 वैसल ही कुल आये, वाराणसी तक केवल दो वैसल आये, वर्तमान समय में गाजीपुर में राक आ जाने से जल परिवहन बिल्कुल बन्द है। इस पर पहले एक कमेटी बनी थी, राइट्स एक संस्था है, उसने यहां लखनऊ में सर्वे भी किया था, रोजाना मा0 सदस्य उठाते हैं कि नदियां सूखी नहीं हैं, पानी नहीं है, मा0 सदस्य बहुत विद्वान सदस्य हैं और वह कह रहे हैं कि उसमें यातायात में आसानी रहेगी, संभव ही नहीं है श्रीमन्, कोई आवश्यकता नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अच्छा यह लगा है कि मा0 मंत्री जी ने विषय को जो इसके सारे पक्ष हैं जानकर के सदन में रखने का प्रयास किया। नदियां सूख रही हैं, इसमें नदियों की कोई गलती नहीं है। इन नदियों के सूखने के लिए हम और हमारी विकास पद्धति जिम्मेदार है, कम से कम एक

ऐसा मुख्य मंत्री जिसके बारे में यह बहुप्रचारित है कि पर्यावरण बिल्कुल जब आ गये सामने तो मौका तो लगेगा। जिसकी पर्यावरणीय विषय में बहुत रुचि है। विदेश में जाकर जिन्होंने पर्यावरण के लिए अध्ययन किया है। उनसे तो हम लोग विशेष उम्मीद करते हैं। अगर नदियां थिथली हो गई हैं तो वह बाढ़ का कारण हो गई हैं। अगर हमने इन नदियों को गहरा किया होता तो आज बाढ़ की समस्या न आ रही होती। डिसिल्टिंग आफ द रीवर्स नदियों के बीच के सिल्ट को निकालना यह हमारे पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शस्त्र है, बाढ़ रोकने की दृष्टि से और अगर हम यह काम कर दें तो सिर्फ बाढ़ ही नहीं रुकेगी बल्कि हमारे पास वैकल्पिक परिवहन के माध्यम भी उपलब्ध हो जायेंगे, मेरा प्रश्न लाने का विषय भी यही था। इस पर बहुत लागत भी नहीं आनी है। एक किलोमीटर की डीसिल्टिंग पर 18 करोड़ रुपये का खर्च आना है। जी अध्यक्ष जी मैं जब इस प्रश्न में आ रहा हूं तो कुछ सोच-विचार करके आ रहा हूंगा। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि यदि वैज्ञानिक आधार पर नदियों को गहरा करना, डीसिल्टिंग करना प्रदेश के व्यापक हित में हो तो डीसिल्टिंग करके उस पर परिवहन चलाने की योजना पर विचार करेगी ?

श्री मान पाल सिंह-

श्रीमन्, यह परिस्थिति वैसे तो सिंचाई विभाग से ज्यादा सम्बन्धित है जो आपने अभी कहा। वैसे में यह कहना चाहता हूं कि जब बजट इतना पॉसिबिल हो और वैज्ञानिक लोगों की यह राय हो और टेक्नीकल फिजीबिलटी हो तो इस पर आगे विचार किया जाएगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

धन्यवाद। मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्न तो है ही नहीं। अभी प्रश्नों का समय तो समाप्त नहीं हुआ है लेकिन अब कोई प्रश्न नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, बहराइच को प्राप्त विकलांगों के कल्याण विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

1-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के अन्तर्गत वि0ख0 विशेश्वरगंज, पयागपुर, कैसरगंज, जरवल तथा हजूरपुर के ग्रामों में विकलांगों के कल्याण विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा जिला विकलांग कल्याण अधिकारी बहराइच को लिखे गये पत्रांक वि0प0/ज0हि0/12-13/ख-एस0 नं0-005922/297 दिनांक 23 अप्रैल, 2012 में उल्लिखित बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी हां।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में निम्नलिखित योजनाओं में वर्षवार किये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

योजनायें	2010-2011	2011-2012
विकलांग भरण पोषण अनुदान योजना	3819	3940
विकलांग शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना	4	4
दुकान निर्माण/संचालन योजना	2	0
कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना	17-ट्राईसाइकिल, 4 जोड़ी वैशाखी, 02 छड़ी	22-ट्राईसाइकिल, 4 जोड़ी वैशाखी
विकलांग परिचय-पत्र	26	252

विधान सभा पयागपुर में कुल 3940 लाभार्थी पेंशन पा रहे हैं तथा कुल 239 आवेदन-पत्र लम्बित हैं। वर्ष 2012-13 में एडिप योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, बहराइच द्वारा जनपद की स्वयंसेवी संस्थाओं की दिनांक 29-5-2012 की बैठक में शीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। उपरोक्त सूचनायें मा0 सदस्य को जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, बहराइच द्वारा अपने पत्र दिनांक 25-5-2012 द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराई जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ महानगर बस सेवा की बसों में टूटे राड तथा सीटों के कवर लगवाने की मांग

2-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महानगर परिवहन सेवा में संचालित बसों में लगे राड, जिनके सहारे यात्री खड़े होकर यात्रा करते हैं अधिकांश बसों में टूटे हुये हैं ? क्या यह भी सही है कि रूट नं0-44 डी की बस के राड तथा सीट कवर न होने के कारण यात्रियों को यात्रा में अत्यधिक परेशानी की सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार लखनऊ महानगर बस सेवा की बसों में टूटे हुये राड तथा सीटों के कवर लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)-

जी नहीं।

रूट नं0-44डी पर आवंटित बस सं0 यू0पी0-32/सी0जेड0-7040 की राड के ब्रेकेट की मरम्मत करा दी गयी है। बसों में मोल्डेड सीट होने के कारण उन पर सीट कवर लगाने की आवश्यकता नहीं है।

बसों के संचालन के पश्चात मार्ग से वापस कार्यशाला आने पर उनमें टूटे हुए राडों एवं सीटों की मरम्मत लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड से करायी जाती है। नगर बसों में मोल्डेड सीट होने के कारण उन पर कवर लगाने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चल रही डग्गामार बसों के संचालन को रोकने हेतु सरकार द्वारा नीति निर्धारण

3-श्री सुरेश राणा-

क्या परिवहन मंत्री बताने कृपा करेंगे कि प्रदेश में चल रही डग्गामार बसों के संचालन को रोकने हेतु सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन कर संचालित होने वाली वाहनों, जिनमें डग्गामार वाहनों का संचालन भी सम्मिलित है, के विरुद्ध निरन्तर कार्यवाही की जाती है। इस सम्बन्ध में डग्गामार बसों के संचालन को रोकने के लिए उक्त अधिनियम में व्यवस्था निम्नवत् है :-

1-केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-66 (1) के अन्तर्गत परिवहन यान के रूप में वाहन के संचालन के लिए अपेक्षित परिमिट प्राप्त करना अनिवार्य है।

2-उक्त अधिनियम की धारा-192ए के अन्तर्गत बिना परमिट अनाधिकृत रूप से परिवहन यान के रूप में वाहन का संचालन करना दण्डनीय है।

3-उक्त अधिनियम की धारा-207 (1) द्वारा बिना परमिट अथवा परमिट में विनिर्दिष्ट मार्ग/क्षेत्र या परमिट के उद्देश्य से इतर वाहन संचालित पायी जाती है, तो उसे निरुद्ध किया जा सकता है।

4-उक्त अधिनियम की धारा-53 तथा 54 द्वारा बिना परमिट संचालित होने वाली वाहनों का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित तथा निरस्त किया जा सकता है।

5-अधिनियम की धारा-86 के अन्तर्गत परमिट प्राप्त करने के बाद भी परमिट में उल्लिखित मार्ग उद्देश्य तथा क्षेत्र सम्बन्धी परमिट के शर्तों का उल्लंघन कर संचालित होने वाली वाहनों का परमिट निलम्बित अथवा निरस्त किया जा सकता है।

वाहनों के अनाधिकृत संचालन को रोकने के लिए की जाने वाली नियमित प्रवर्तन कार्यवाही के अतिरिक्त विशेष सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख सचिव, विकलांग कल्याण को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

4-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकलांगों को बैशाखी व ट्राइसाइकिल देने की क्या नीति है ? क्या जनपद शाहजहांपुर में रहने वाले विकलांगों को बैसाखी व ट्राइसाइकिल दिलाने

विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-06-2011 प्रमुख सचिव, विकलांग कल्याण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मुख्य चिकित्साधिकारी/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा विकलांग व्यक्ति जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, को जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र तथा जिनकी मासिक आय रु0 1000/-तक है, को कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र इत्यादि खरीदने तथा मरम्मत कराने हेतु सहायक अनुदान योजना प्रदेश में लागू है।

जी हां।

मा0 सदस्य के पत्र में जनपद शाहजहांपुर के उल्लिखित ग्राम रेमा, सिमरिया, लक्ष्मीपुर, भटेला, घुसगवां, चिन्नौर, जपनापुर एवं शाहजहांपुर के मो0 लाला तेलीबजरिया, सुभाषनगर, बीबीजई हृद्दक, चौक, गुदड़ी बाजार, नवादा, इन्देपुर एवं विकास खण्ड पुवायां के आयुध ग्राम के विकलांग व्यक्तियों में से अधिकांश को दिनांक 29 जुलाई, 2011 को जनपद शाहजहांपुर के गांधी भवन में आयोजित कैम्प के माध्यम से बैसाखी, ट्राईसाइकिल एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में समाज के वरिष्ठजनों (सीनियर सिटीजन) को परिवहन निगम की बसों में विकलांगों की भांति किराये में छूट प्रदान करने की मांग

5-श्री सुरेश राणा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समाज के वरिष्ठजनों (सीनियर सिटिजन) को परिवहन निगम की बसों में विकलांगों की तरह किराये में छूट देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा उन्हीं श्रेणी विशेष के व्यक्तियों को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है जिसके व्ययभार की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित विभाग द्वारा परिवहन निगम को की जाती है। समाज के वरिष्ठजनों (सीनियर सिटिजन) को बस यात्रा के किराये में छूट प्रदान करने एवं इसकी प्रतिपूर्ति हेतु कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकार द्वारा पूर्व निर्मित श्रमिक कालोनियों का मालिकाना हक उसमें रह रहे मूल आवंटियों को प्रदान करने की मांग

6-श्री सतीश महाना-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा कई वर्षों पूर्व निर्मित श्रमिक कालोनियों का मालिकाना हक उसमें रह रहे मूल आवंटियों को देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

प्रदेश के विभिन्न नगरों में औद्योगिक श्रमिकों हेतु बनाये गये आवासों का स्वामित्व उनमें निवास कर रहे अध्यासियों को प्रदान किये जाने एवं बिक्री आदि के सम्बन्ध में वर्ष 1994-95 में शासनादेश निर्गत किये गये थे जिसकी अवधि अन्तिम बार शासनादेश सं0-4366/36-चार-95-16/92, दिनांक 05 जनवरी, 1996 द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1996 तक के लिए विस्तारित की गयी थी, परन्तु अध्यासियों द्वारा निर्धारित अवधि में अपेक्षित रुचि न लिये जाने के कारण आवासों की बिक्री/हस्तान्तरण की कार्यवाही नहीं हो सकी।

मुख्य विकास अधिकारी बहराइच को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

7-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पयागपुर जनपद-बहराइच में ब्लाकवार ग्राम पंचायतों में कुल कितने विकलांग गरीब बी0पी0एल0 सूची धारक हैं जो कि पात्र होने के बाद भी पेंशन की सुविधा नहीं पा रहे हैं ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक-वि0प0/ज0हि0/क-एस0न0- 043051/326 दिनांक 01.05.12 मुख्य विकास अधिकारी जिला बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

बी0पी0एल0 से सम्बन्धित कोई योजना विकलांग कल्याण विभाग में संचालित नहीं है। विकलांग पेंशन की पात्रता हेतु बी0पी0एल0 सूची धारक का मानक नहीं है, अपितु पेंशन की पात्रता हेतु अधिकतम आय रु0 1000/-प्रतिमाह एवं विकलांगता कम से कम 40 प्रतिशत होना चाहिए।

जी हां।

जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, बहराइच द्वारा अपने पत्र दिनांक 30-5-12 के माध्यम से सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों से सम्बन्धित ग्राम सभाओं के पात्र लाभार्थियों का नियमानुसार चयन कराकर प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के गरीब पात्र विकलांग व्यक्तियों को पेंशन, आवास, ट्राईसाइकिल अनुदान दिये जाने की जानकारी

8-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पयागपुर, बहराइच के अन्तर्गत आने वाले गरीब पात्र विकलांग व्यक्तियों को पेंशन, आवास, ट्राईसाइकिल अनुदान प्रदान करने के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्रांक-वि0प0/ज0हि0/282-13/231 दिनांक 14-04-2012 जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रश्न में संदर्भित पत्र दिनांक 14-4-2012 के माध्यम से जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत 6 बिन्दुओं पर विभिन्न सूचनायें मांगी गई थीं। उक्त 06 बिन्दुओं पर वांछित सूचना जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, बहराइच के पत्रांक-96/जि0वि0क0/ज0सू0/आख्या/2012-13 दिनांक 15-5-2012 द्वारा उपलब्ध करायी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली ग्राम हल्दी कला ब्लाक शेरगढ़ के ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा की गई अनियमितता व सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच व कार्यवाही

9-श्री सुल्तान बेग-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र म्प्यूटर सं0-पी0जी0-10023047-पत्र सं0सी0एम0/वि0को0/एम-पी0जी0-10023047/2012, दिनांक 28-04-2012 जो ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम हल्दी कला, ब्लाक शेरगढ़ जनपद बरेली द्वारा की गयी अनियमितता, सरकारी धन का दुरुपयोग आदि की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने से सम्बन्धित है, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पूरे प्रकरण की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

जी हां।

जी हां।

जांच आख्या के अनुसार प्रधान एवं सचिव द्वारा अनियमितता प्रकाश में आई है। जांच आख्या के आलोक में प्रारम्भिक जांच के निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

10-श्री संजय कपूर-

[2सरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-115 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला पंचायत राज अधिकारी, बांदा को माह अक्टूबर, 2011 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त कर्मचारियों के चिकित्सा दावों विषयक जानकारी

11-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत राज अधिकारी, बांदा को माह अक्टूबर, 2011 में कितने तथा किन-किन कर्मचारियों के चिकित्सा दावे चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त हुये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त सभी दावों का भुगतान कर दिया गया हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

चिकित्सा प्रतिपूर्ति का एक दावा, जो श्री श्याम औतार शुक्ला, ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास खण्ड कमासिन, बांदा का चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति रु0 67868/-का है, माह अक्टूबर, 2011 में जिला पंचायत राज अधिकारी, कार्यालय बांदा में प्राप्त हुआ है।

श्री श्याम औतार शुक्ला, ग्राम पंचायत अधिकारी के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावा के भुगतान के सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी, बांदा के कार्यालय आदेश संख्या-299/7-पं0/स्था0 दिनांक 6-6-2012 द्वारा आहरण की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ मण्डल में आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के पद पर तैनात कनिष्ठ अधिकारी

12-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डल के किन-किन जिलों में प्रभारी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के पद पर जनपद के वरिष्ठ अधिकारी को छोड़कर कनिष्ठ अधिकारी तैनात हैं ? क्या सरकार जनपद के वरिष्ठतम अधिकारी को प्रभारी के पद पर तैनात करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

लखनऊ मण्डल के अधीन जनपद हरदोई में वरिष्ठतम् चिकित्साधिकारी द्वारा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के पद का कार्यवाहक प्रभार लिये जाने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के दृष्टिगत द्वितीय वरिष्ठतम् चिकित्साधिकारी को क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी का कार्यवाहक प्रभार सौंपा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

13-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[2सरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0-112 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 अन्तर्गत संचालित बसों के किराये में कमी करने तथा वरिष्ठजनों को यात्रा में छूट प्रदान करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

14-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत संचालित बसों का किराया कम करने तथा उसमें रेल विभाग की तरह वरिष्ठजनों (सीनियर सिटिजन) को यात्रा करने पर किराये में छूट प्रदान करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12.05.2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट (टैम्पो-टैक्सी-बस) की तुलना में यात्री भाड़ा कम करना अथवा उनके बराबर करना संभव नहीं है क्योंकि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की नगरीय बसों व उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों के किराये की दरें संचालन व्यय को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित की जाती हैं।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में सीनियर सिटीजन को यात्री किराये में रेल विभाग द्वारा दी जाने वाली छूट के समान छूट प्रदान करने की कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ में रेशम विभाग मुख्यालय में तैनात उप निदेशक तथा लेखाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

15-श्री वीरपाल राठी-

क्या रेशम उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रेशम विभाग मुख्यालय, लखनऊ में तैनात उप निदेशक रेशम द्वारा नक्सल योजना एवं राष्ट्रीय कृत विकास योजना में वर्ष 2008-2009 से वर्ष 2010-2011 तक बगैर निविदा के करोड़ों रुपये का सामान बाजार मूल्य से उच्च दरों पर क्रय करके सरकार को धनराशि की हानि पहुंचायी गयी है ? यदि हां, तो सरकार बतायेगी कि उक्त के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री शिव कुमार बेरिया)-

जी हां।

सम्बन्धित उप निदेशक (रेशम) को निलम्बित कर उसके और सम्बन्धित वरिष्ठ लेखाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार सहायतित सी0डी0पी0 योजनान्तर्गत ककून बैंक की स्थापना विषयक जानकारी

16-श्री वीरपाल राठी-

क्या रेशम उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रेशम विभाग में भारत सरकार सहायतित सी0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-2008 एवं वर्ष 2008-2009 में जनपद वाराणसी को प्राइस सपोर्ट सिस्टम एवं ककून बैंक/मार्केट की स्थापना के लिये रुपये 80 लाख की धनराशि दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त धनराशि से ककून बैंक की स्थापना की गयी ? यदि हां तो कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव कुमार बेरिया-

जी हां।

जी हां।

भीटी रामनगर, वाराणसी में ककून बैंक की स्थापना की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में सिल्क एक्चेंज हेतु भूमि एवं भवन/मरम्मत तथा मिर्जापुर के बरकछा में प्रशिक्षण संस्थान निर्माण में की गई अनियमितता व व्यय धन की जांच टी0ए0सी0 से कराने की जानकारी

17-श्री वीरपाल राठी-

क्या रेशम उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रेशम विभाग के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में सिल्क एक्चेंज हेतु भूमि एवं भवन क्रय/मरम्मत पर रु0 6.31 करोड़ तथा बरकछा, मिर्जापुर में

प्रशिक्षण संस्थान निर्माण पर रु0 2.86 करोड़ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से व्यय किया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त संस्थानों का दिनांक 24 एवं 25 मई, 2011 को विभागाध्यक्ष द्वारा उक्त कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में निरीक्षण किया तथा निरीक्षण आख्या विभागीय प्रमुख सचिव को दिनांक 9-6-2011 प्राप्त हुई ? क्या सरकार बतायेगी कि निरीक्षण रिपोर्ट में गम्भीर वित्तीय अनियमितता एवं मानक के अनुरूप गुणवत्ता युक्त कार्य न कराने के आरोप लगाये गये तथा टी0ए0सी0 से जांच कराने की संस्तुति की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार टी0ए0सी0 से जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव कुमार बेरिया-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

सिल्क एक्सचेंज, वाराणसी के निर्मित भवन/अवस्थापना की पूर्व से ही निदेशक, रेशम की संस्तुति पर लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 की प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ (टी0ए0सी0) द्वारा जांच की जा रही है।

राज्य स्तरीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान, बरकछा, मिर्जापुर के निर्मित भवन/शेड के बारे में विभागाध्यक्ष से प्राप्त निरीक्षण आख्या/संस्तुति के दृष्टिगत प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ (टी0ए0सी0) से जांच कराने हेतु लोक निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के मानसिक चिकित्सालय की रिक्त भूमि पर एम्स स्तर का चिकित्सालय बनवाये जाने की मांग

18-डा0 अरूण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के मानसिक चिकित्सालय की रिक्त पड़ी भूमि पर एम्स स्तर का चिकित्सालय सरकार बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद महराजगंज में नहरों के किनारे जल से उत्पन्न बिजली से संचालित सोलर लाइटों का निर्माण कराने विषयक जानकारी

19-श्री सुदामा प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र महराजगंज में नहरों का जाल है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहरों के किनारे जल से उत्पन्न बिजली से संचालित सोलर लाइटों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ऐसी कोई योजना वर्तमान में संचालित नहीं है।

तमकुही रोड से गोरखपुर, पडरौना, देवरिया व लखनऊ के लिये संचालित बसों की जानकारी

20-श्री अजय कुमार लल्लू-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर, पडरौना में बस डिपो स्थापित है ? यदि हां, तो उसका ग्रेड क्रियान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है तथा क्या सरकार बतायेगी कि तमकुही रोड से गोरखपुर, पडरौना, देवरिया व लखनऊ के लिये कितनी बसें चलायी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं। पडरौना में नवीन डिपो कार्यशाला का निर्माण कार्य चल रहा है।

उपरोक्तानुसार।

तमकुही रोड से गोरखपुर, पडरौना, देवरिया व लखनऊ के लिए परिवहन निगम की कुल 27 बसें संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया की बैरिया तहसील में परिवहन सेवा को सुदृढ़ करने की मांग

21-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद की बैरिया तहसील में परिवहन सेवा अच्छी न होने के कारण नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में परिवहन सेवा को सुदृढ़ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं। आजमगढ़-बलिया-बैरिया मार्ग पर परिवहन निगम की एक अप एवं एक डाउन ट्रिप बस संचालित है। बलिया-बैरिया मार्ग अंश का लोड फैक्टर अत्यन्त ही न्यून है। इस मार्ग पर प्राइवेट मिनी बसें, जीपें भी संचालित हैं। फिर भी बलिया-बैरिया मार्ग पर बलिया डिपो द्वारा प्रयोग के तौर पर 03 अप एवं 03 डाउन कुल छः ट्रिपों में निगम की बसों का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया अन्तर्गत बैरिया तहसील मुख्यालय पर डिपो निर्माण की योजना के सम्बन्ध में जानकारी

22-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के अन्तर्गत बैरिया तहसील मुख्यालय पर डिपो के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं।

बैरिया तहसील में दक्षिण दिशा की ओर गंगा नदी पर कोई पुल निर्मित नहीं है। केवल पूरब दिशा में मांझीघाट पुल है। इसके अतिरिक्त अन्य दिशाओं में संचालन हेतु कोई विकसित मार्ग नहीं है। अतः भौगोलिक स्थिति के आधार पर बैरिया तहसील की सम्बद्धता केवल बलिया शहर से ही रह जाती है, जहां पर डिपो पूर्व से ही स्थापित एवं संचालित है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान के रूप में बदले जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

23-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के एकमात्र बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान के रूप में बदले जाने के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-4 नं0 635420 दिनांक 30-04-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

24-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[दिनांक 13-06-2012 का अतारांकित प्रश्न सं0-111 द्वारा उत्तरित]

वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे की भांति उ0 प्र0 परिवहन निगम की बसों में छूट दिये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

25-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे की भांति उ0प्र0 परिवहन निगम की बसों में छूट दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के आदेश संख्या सी0एम/वि0को0/एम0/180334/2008, दिनांक 11-05-2008 प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां।

मा0 सदस्य को शासन के पत्र संख्या-सी0एम0-174/30-2-2008, दिनांक 31-7-2008 द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कालीन उद्योग के प्रोत्साहन हेतु कार्य योजना

26-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कालीन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कोई कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के भदोही तथा शाहजहांपुर जैसे कई नगरों के कालीन को निर्यात किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार कालीन उद्योग के लिये निर्यात जोन का विकास करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भगवत शरण गंगवार)-

जी हां, तैयार की गयी है।

प्रदेश में कालीन उद्योग प्रमुख रूप से भदोही एवं शाहजहांपुर में स्थापित हैं। इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए तथा उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिये भदोही में क्लस्टर योजनान्तर्गत एक ''कारपेट क्लस्टर'' लागत रु0 517.50 लाख स्वीकृत है तथा एसाइड योजनान्तर्गत ''कारपेट डाईंग प्लाण्ट'' रु0 906.00 लाख की स्वीकृति है। इसी प्रकार शाहजहांपुर में क्लस्टर योजनान्तर्गत ''कालीन-दरी क्लस्टर'' लागत रु0 460.88 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

भदोही से कालीन निर्यात विभिन्न देशों में किया जाता है। जनपद शाहजहांपुर से सीधे निर्यात की सूचना नहीं है।

नहीं।

भदोही में कालीन-दरी क्लस्टर स्वीकृत हैं तथा शाहजहांपुर के क्लस्टर का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है।

प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना से सम्बन्धित निर्धारित नीति

27-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पूर्वी उत्तर प्रदेश (गोरखपुर) में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में शासन ने क्या नीति निर्धारित की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना से सम्बन्धित नीति भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर खुर्जा में पाटरी उद्योग हेतु गैस पाइप लाइन की कनेक्टीविटी दिलाये जाने की मांग

28-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा में पाटरी (चीनी मिट्टी से बनने वाले कप-प्लेट आदि) उद्योग हेतु अडानी ग्रुप द्वारा गैस की पाइप लाइन बिछायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उद्योग के हित में गैस पाइप लाइन की कनेक्टीविटी दिलाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मै0 अडानी गैस लि0 द्वारा खुर्जा में विभिन्न उद्योगों, वाणिज्यिक उपयोगों तथा घरेलू उपयोगों हेतु प्राकृतिक गैस वितरण के लिए 50 कि0मी0 से अधिक पाइप लाइन बिछायी गयी है।

यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव उक्त कम्पनी द्वारा राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर विचार कर यथासमय निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री बचनू राम पटेल के निधन पर शोकोद्‌गार

श्री अध्यक्ष-

अब निधन का निर्देश लिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बचनू राम पटेल का 9/10 जून, 2012 को रात्रि में निधन हो गया। वे लगभग 70 वर्ष के थे। श्री बचनू राम पटेल का जन्म 31 मार्च, 1942 को ग्राम प्रतापपुर, जिला वाराणसी में हुआ था। उन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री बचनू राम पटेल वर्ष 1993 में प्रथम बार तथा 1996 में दूसरी बार भी क्षेत्र गंगापुर, जिला वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री बचनू राम पटेल वर्ष 1981 से 1985 तक ग्राम प्रतापपुर के ग्राम प्रधान रहे थे। वे के0के0 इण्टर कालेज हरहुआ, वाराणसी तथा महामना मालवीय इण्टर कालेज, बच्छाव, वाराणसी के अध्यक्ष थे। समाज सेवा तथा राष्ट्र सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री बचनू राम पटेल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

मा0 बचनू राम पटेल के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है, मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक-संतप्त परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतक के परिवार तक हम पहुंचा देंगे। अब हम उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन धारण कर लें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर 2 मिनट मौन खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 15 जून, 2012 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 30 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिसमें 15 सूचनायें स्वीकार की गयीं :-

इनमें पहली सूचना मा0 सदस्य श्री त्रिभुवन राम जी की जनपद लखनऊ के कृष्णानगर के दुर्गापल्ली आदि मोहल्लों में पक्की नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है दूसरी सूचना श्री कालीचरन सुमन की आकांक्षा होम्यो0 क्लीनिक 116/10 काली बाड़ी मार्ग घसियारी मण्डी कैसरबाग में हुई तोड़-फोड़ की घटना के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री त्रिलोकी राम जी की जनपद अलीगढ़ में स्थित करवल नदी पर इगलास के ग्राम रफायतपुर के निकट पुल का निर्माण कराये जाने सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री अजय मिश्रा की विधान सभा क्षेत्र निघासन की ग्राम सभा जसनगर व बरसोला कलॉ का सीमांकन राजस्व विभाग द्वारा स्पष्ट न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री बजरंग बहादुर सिंह की (मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थित)। छठी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर नगर के मोहल्ला ख्वाजा फिरोज नई बस्ती में बड़ा नाला मय फुटपाथ के बनवाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री बृजलाल सोनकर की जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर में बन्द पड़ी बस सेवाओं को पूर्ववत् चालू किये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री श्याम बहादुर सिंह यादव की चकबन्दी के अन्तर्गत ग्राम सभा पूक, तहसील फूलपुर जनपद आजमगढ़ की धारा-52 के प्रकाशन के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री विजय कुमार की (मा0 सदस्य के सदन में उपस्थित न रहने पर)। दसवीं सूचना श्रीमती लाल मुन्नी सिंह की (मा0 सदस्य के सदन में उपस्थित न रहने पर)। ग्यारहवीं सूचना श्री राधेश्याम सिंह की जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र की नहरों की सफाई कराये जाने एवं टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने एवं रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री बेचई सरोज की विधान सभा क्षेत्र लालगंज जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत पिच रोड न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री अमित गौरव यादव की प्रदेश में हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन में घाघरा नदी में बांध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

अब जो तीन माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

श्री अजय मिश्र टेनी-

मान्यवर, हम लॉबी में थे, मेरा अनुरोध है कि मेरी सूचना ले ली जाए।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग समय पर चले जाते हैं और बाद में कहते हैं कि मैं यहां पर था। चलिए आपकी सूचना ले ली गई।

श्री विजय बहादुर यादव-

मान्यवर, जो अनुपस्थित हैं, उनके स्थान पर मेरी सूचना ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष,

ठीक है, श्री विजय बहादुर यादव की सूचना ले ली गई। क्या पूरन प्रकाश जी हैं।

(सदस्य श्री पूरन प्रकाश के उपस्थित न रहने पर)

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, मेरी सूचना ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, पिछले तीन-चार दिनों से लगातार दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

चलिए ठीक है, मलिक साहब की सूचना ले ली गई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं :-

1-ठा0 दलवीर सिंह 2-श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट 3-साध्वी निरंजन ज्योति 4-कृष्णपाल सिंह राजपूत 5-श्रीमती सीमा द्विवेदी 6-श्री जगराम पासवान 7-श्री भीम प्रसाद सोनकर 8-ठा0 सूरजपाल सिंह 9-श्री अनीसुर्रहमान 10-श्रीमती रजनी तिवारी 11-श्री राजेश त्रिपाठी 12-श्रीमती हेमलता चौधरी 13- श्री जय प्रकाश अंचल।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

जनपद लखनऊ के कृष्णा नगर के दुर्गा पल्ली आदि मोहल्लों में पक्की नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिभुवन राम-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान लखनऊ के कृष्णानगर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मोहल्ला दुर्गापल्ली आशुतोष नगर, कृष्णानगर में श्री ईश्वर चन्द्र गुप्ता के घर से (चौराहे से) तिवारी जी के मकान एवं नया पार्क के किनारे से श्री अवस्थी जनरल स्टोर तक लगभग 150 मीटर पक्की नाली का निर्माण होना है एवं ईश्वर चन्द्र गुप्ता के मकान से वर्मा जनरल स्टोर से गुजरती हुयी छोटी नहर तक लगभग 100 मीटर पक्की सड़क न होने से सड़कों पर प्रतिदिन जल भराव हो जाता है जिससे यहां का आवागमन प्रतिदिन अवरुद्ध हो जाता है।

अतः जनहित में उक्त प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए श्री ईश्वर चन्द्र गुप्ता के घर से (चौराहे से) तिवारी जी के मकान एवं नया पार्क के किनारे से श्री अवस्थी जनरल स्टोर तक पक्की नाली के निर्माण एवं सफाई की स्थाई व्यवस्था तथा ईश्वर चन्द्र गुप्ता के मकान से वर्मा जनरल स्टोर से गुजरती हुई छोटी नहर तक लगभग 100 मीटर पक्की सड़क बनवाये जाने हेतु सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आकांक्षा होम्यो0 क्लीनिक काली बाड़ी मार्ग, कैसरबाग, लखनऊ में हुई तोड़-फोड़ की घटना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कालीचरण सुमन-

[महोदय, दिनांक 16-5-2012 की रात्रि में दुकान मालिकों द्वारा दुकान की छत तोड़कर क्लीनिक में काफी क्षति पहुंचायी गयी। दिनांक 17-5-2012 को घटना की लिखित सूचना स्थानीय थाना कोतवाली कैसरबाग, लखनऊ को दी गयी। दिनांक 19-5-2012 को पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया मौके पर तोड़-फोड़ व मलवा आदि पाया गया किन्तु 16-5-2012 से आज तक दोषी दुकान

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मालिक कानूनी शिकंजे से बाहर है। लचर पुलिस कार्यवाही मौके पर किसी संगीन घटना का कारण बन सकती है। कानून-व्यवस्था जन सुरक्षा व लोकहित में दोषी दुकान मालिकों पर कठोर कानूनी कार्यवाही अपरिहार्य है।

अविलम्बनीय लोकहित के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ में स्थित करवल नदी पर इगलास के ग्राम रफायतपुर के निकट पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिलोकी राम-

[मान्यवर, जनपद अलीगढ़ में स्थित करवल नदी जो इगलास तहसील में से होकर निकलती है इगलास तहसील के ही ग्राम रफायतपुर जो मुरवार के पास है पर एक पुल निर्माण की अति आवश्यकता है। क्योंकि इस स्थान पर पुल न होने के कारण अलीगढ़ शहर एवं मथुरा शहर को जाने के लिये काफी दूरी का चक्कर लगाना पड़ता है एवं जनता की कठिनाइयों को देखते हुए करवल नदी पर पुल बन जाने से दुर्घटनाओं के समय होने वाली चिकित्सीय सुविधाओं में हो रही देरी से निजात मिल सकेगी। पुल बन जाने से जनता में व्याप्त आक्रोश भी समाप्त हो जायेगा।

अतः मैं उपरोक्त इस मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने की अविलम्ब मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी की ग्राम सभा जसनगर व बरसोला कलां का सीमांकन राजस्व विभाग द्वारा स्पष्ट न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

[महोदय, जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन की ग्राम सभा जसनगर व बरसोला कलां का सीमांकन राजस्व विभाग द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा रहा है जिससे वहां नियुक्त लेखपाल किसानों से अवैध धन लेकर कभी किसी का तो कभी दूसरे का खेत बता देता है जिससे किसानों में आये दिन विवाद होता है और कभी-कभी फौजदारी भी हो जाती है। ग्राम सभा जसनगर में बहुत पट्टेदार हैं तथा नदी से कटान भी हो रहा है। कुछ भू-माफियाओं ने नदी के कटान का फायदा उठाकर उक्त पट्टेदारों तथा गरीब आदमियों की कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया है तथा राजस्व विभाग व लेखपाल आदि से सांठ-गांठ भी रखते हैं। जिसके कारण उक्त पीड़ित किसानों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। ग्राम जसनगर व बरसोला कलां के कृषक बहुत परेशान हैं। आवश्यकता है कि राजस्व विभाग को निर्देशित करके स्पष्ट सीमांकन हो तथा नदी कटान एवं छुड़ान का ठीक-ठीक संज्ञान लेकर कृषि भूमि की ठीक नपाई करके किसानों के मध्य विवाद समाप्त कराया जाये।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शाहजहांपुर नगर के मुहल्ला ख्वाजा फिरोज नई बस्ती में बड़ा नाला मय फुटपाथ के बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[महोदय, शाहजहांपुर नगर के मोहल्ला ख्वाजा फिरोज नई बस्ती से एक बड़ा नाला सीधे विरासत घाट के सामने पश्चिम की ओर खन्नौत नदी में गिरता है। इस नाले के आस-पास अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति की आबादी है जो दैनिक मजदूरी पर अपना जीवन यापन करते हैं। इन लोगों को उक्त बड़े नाले की एक पगडन्डी पर से अपनी मजदूरी आदि के लिये पश्चिम की ओर जाना पड़ता है। बरसात के मौसम में यह रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। जनहित में उक्त बड़ा नाला मय फुटपाथ के बनना अति आवश्यक है। इससे सैकड़ों/हजारों लोगों को लाभ होगा।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार से उक्त नाला मय फुटपाथ के बनवाने की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर में बन्द पड़ी बस सेवाओं को पूर्ववत् चालू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजलाल सोनकर-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मैं विधान सभा मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ के लिए बन्द पड़ी बस सेवाओं को पूर्ववत् चालू करने के लिए निवेदन कर रहा हूं। इस सम्बन्ध में जब मैं आजमगढ़ रोडवेज के आर0एम0 और डी0आर0एम0 से मिला तो पता चला कि आजमगढ़ जनपद में दो डिपो क्रमशः आजमगढ़ डिपो और डा0 अम्बेडकर डिपो है। दोनों डिपो में वर्ष 2008-09 में 350 बसों का बेड़ा था जो घटकर 289 हो गया है। पिछली बसपा सरकार ने बार-बार मांग के बावजूद इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि आबादी में वृद्धि होने के कारण यात्रियों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है। जब 2008-09 में 350 बसें थीं तब भी और ज्यादा बसों की मांग थी अब तीन-चार वर्षों बाद यात्रियों की संख्या वृद्धि के कारण इस समय 350 की जगह कम से कम 450 बसें आजमगढ़ जनपद के दोनों डिपो में होनी चाहिये थी, उल्टे बसों की संख्या घटकर 289 रह गयी। आपको यह भी बताना आवश्यक है कि आजमगढ़ जनपद में रेल सेवा के नाम पर सिर्फ शाहगंज से मऊ तक एक ही रेलवे लाइन है। अतः यात्रियों को सिर्फ सरकारी बसों का ही सहारा लेना पड़ता है। जिसके अभाव में जनपद के अन्दर की दूरी तय करने के लिए टैक्सी और अन्य संसाधन से हमारे गरीब जनता को दूना-तिगुना भाड़ा देना पड़ रहा है तथा जनपद के बाहर लम्बी दूरी के लिये यात्रियों को काफी प्रतीक्षा और तकलीफ उठानी पड़ रही है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सम्मानित सदस्य के संज्ञान में लाकर यथाशीघ्र प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं जिससे आजमगढ़ में कम से कम 100 बसें यथाशीघ्र दी जाय।]

चकबन्दी के अन्तर्गत ग्राम सभा पूक, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में धारा-52 के प्रकाशन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से उक्त विषय पर माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि ग्राम सभा पूक जो चकबन्दी के अन्तर्गत था, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आजमगढ़ के यहां से उपलब्ध सवाल-जवाब द्वारा दिनांक 20-9-05 को धारा-52 के प्रकाशन हेतु प्रस्ताव आयुक्त, चकबन्दी, लखनऊ को भेजा जा चुका है परन्तु लगभग 7 साल हो जाने के बाद अब तक धारा-52 का प्रकाशन नहीं हो पाया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि ग्राम पूक की धारा-52 का प्रकाशन शीघ्रातिशीघ्र कराये जाने की कृपा करें। जिससे ग्राम पूक के आम जनमानस को हो रही परेशानियों से निजात मिल सके।]

जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र की नहरों की सफाई कराये जाने एवं टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं, मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र हाटा जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत हाटा के समस्त नहरों की सफाई कई वर्षों से न होने के कारण किसानों को पानी नहीं मिल पाता है जिससे उनकी फसल सूख जाती है। नहरों की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाया जाना जनहित में आवश्यक है। अगर टेल तक नहरों की सफाई करा दी जाय तो क्षेत्र के किसान अपने फसल उगाने में कामयाबी पा सकेंगे और उनकी कृषि उपज बढ़ जायेगी। मान्यवर, बसपा सरकार में हमारे क्षेत्र के किसी भी नहर की सफाई नहीं कराई गयी। जिससे किसान परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हाटा विधान सभा क्षेत्र/कुशीनगर के सभी नहरों की सफाई तत्काल कराये जाने एवं टेल तक पानी पहुंचाये जाने की अतिआवश्यकता है। यह बहुत ही गम्भीर प्रकरण है और जनता से जुड़ा हुआ है। अति महत्वपूर्ण है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए विधान सभा क्षेत्र के नहरों की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाये जाने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने एवं रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, गाजीपुर की ओर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की स्थिति अत्यन्त जर्जर हो चुकी है। जिसमें औड़िहार से पहाड़पुर तक सड़क की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है। सड़क पर भारी गड्ढे हो जाने के कारण आये दिन भीषण दुर्घटनायें हो रही हैं और आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। मान्यवर, ऐसी स्थिति में बरसात से पहले उक्त सड़क की मरम्मत औडिहार से गाजीपुर तक कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। मान्यवर, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि सैदपुर तहसील के आगे रेलवे क्रासिंग पर काफी जाम लगा रहता है। कभी-कभी तो जनता को घण्टों तक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्रासिंग बन्द होने के कारण इंतजार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उक्त रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाया जाना अति आवश्यक है। सड़कों के जर्जर होने एवं रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज न होने के कारण आम जनता काफी दुखी है। मान्यवर, यह विषय अत्यन्त गम्भीर है।

अतः इस जनहित के विषय को मान्यवर के माध्यम से सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र लालगंज जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत पिच रोड न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेचई सरोज-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति लोकमहत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र लालगंज जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत निम्नलिखित पिच रोड जनहित में निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

1-विकास खण्ड ठेकवां के ग्राम सभा असवनियां काली मां के स्थान से राजभर बस्ती होते हुए जू0 हाई स्कूल से बंधा होते हुए सरवां पिच रोड तक लम्बाई 4.00 कि0मी0

2-ग्राम सभा चौकी ब्लाक ठेकवां राजदीप राय के घर के बगल से सी0सी0 रोड के बगल से विजयी मास्टर के घर तक पिच रोड का निर्माण 150 कि0मी0

3-अहिरौली गोड़हरा सम्पर्क मार्ग से असवनियां दब्बू सिंह के घर के बगल से ग्राम सभा खरगीपुर संत लाल सरोज के घर होते हुए गोड़हरा सम्पर्क मार्ग तक लम्बाई 4.00 कि0मी0

4-जिबली देवगांव सम्पर्क मार्ग से ग्राम सभा पुरसुड़ी हरी पासी के घर से मुसलमान बस्ती तक लम्बाई 1.00 कि0मी0 पिच रोड

5-ग्राम सभा पारा यादव बस्ती पिच रोड से रवरियां जदुनाथ यादव के घर तक लम्बाई 1.00 कि0मी0

6-ग्राम सभा उदियावां स्व0 अरविन्द राय के घर से होते हुए भीटा पासी और राजभर बस्ती होते हुए पिच पुलिया तक लम्बाई 2.00 कि0मी0 पिच रोड।

मान्यवर, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर जी का यह विधान सभा क्षेत्र रहा है। उन्होंने उक्त पिच रोडों का निर्माण कराये जाने के लिए दो-दो बार घोषणा किया परन्तु आज तक उक्त पिच रोडों का निर्माण कार्य नहीं कराया गया जिससे 150 गांवों के निवासियों का आना-जाना दूभर हो रहा है। जनहित में उक्त सभी पिच रोडों का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है और इससे उक्त गांवों के वासियों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल पिच रोड का निर्माण कराने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमित गौरव यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान प्रदेश में हो रहे अवैध खनन की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मान्यवर, बसपा शासनकाल में खनन माफिया वास्तविक पट्टे धारकों की खुलेआम लूट कर रहे थे, वहीं आज वर्तमान सरकार में भी कर रहे हैं। पूर्व सरकार ने निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म लखनऊ के पद पर श्री भवनाथ सिंह को तैनात किया गया था उनके सहयोग से खनन 'माफिया' वर्तमान में भी वास्तविक पट्टे धारकों की खुली लूट कर रहे हैं इस कार्य में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा खनन माफियाओं का सहयोग करते हुए वास्तविक पट्टे धारकों पर दबाव बनाकर उन्हें अपने खनन पट्टे सिंडीकेट को देने के लिये बाध्य किया जा रहा है। नहीं दिये जाने पर अवैध खनन करने के आरोप लगाये जाने व पट्टे निरस्त करने की धमकियां दी जा रही हैं। खनन माफिया वास्तविक पट्टे धारकों को खर्च की कटौती करके 10 से 15 प्रतिशत का हिस्सा दिया जाता है तथा शेष हिस्सा खनन माफिया खाते हैं। यह खेल पूरे प्रदेश में जारी है।

मान्यवर, जनपद काशीराम नगर में वास्तविक खनन पट्टे धारक मल्हा जाति के श्री मोतीलाल पुत्र श्री नन्द किशोर नि0-मानपुर नगरिया, तहसील कासगंज, काशीराम नगर है जिनके खनन पट्टे पर श्री सत्यवीर सिंह चिकारा, खनन माफिया ने कब्जे कर रखा है। पट्टे धारक श्री मोतीलाल की खर्च काटकर मात्र 15 प्रतिशत का हिस्सा दिया जाता है।

इसी प्रकार जनपद भीमनगर (पूर्व बदायूं) में ग्राम समसपुर गंग में श्रीमती प्रेमवती पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह, नि0-ईशमपुर सैलाव, तहसील-गुन्नौर तथा मै0 मैरून इंजीनियर्स प्रो0 सत्यवीर सिंह चिकारा पुत्र श्री बनवारी लाल, नि0-मार्डन अपार्टमेन्ट 336, सेक्टर-15 रोहिणी, दिल्ली के नाम से 4.087 एकड़ का पट्टा स्वीकृत है परन्तु स्वीकृत क्षेत्र से हटकर 100 एकड़ क्षेत्र में मशीनों पर प्रतिबन्ध होने के बावजूद मशीन के द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा खनन माफिया का सहयोग किया जा रहा है। इस पट्टे से श्री सत्यवीर सिंह चिकारा द्वारा श्रीमती प्रेमवती की खर्च काटकर मात्र 10 प्रतिशत का हिस्सा दिया जाता है। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा कार्यालय आदेश संख्या-250/परिवर्तन दल-12/2012, दिनांक 8-5-2012 के द्वारा जनपद बदायूं, कांशीराम नगर व भीमनगर में अवैध खनन की जांच के आदेश हुए थे परन्तु अभी तक अवैध खनन की जांच नहीं की गयी है। उक्त अवैध खनन बरसात में जलमग्न हो जायेगा और जांच प्रभावित हो जायेगी। भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग की मिलीभगत से खनन माफिया पूरे प्रदेश में खुली लूट कर रहे हैं।

मान्यवर, जनपद आगरा में भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग की कृपा से खनन माफिया श्री सत्यवीर सिंह चिकारा ने वास्तविक खनन पट्टे धारक श्री रामेश्वर, श्री पवन कुमार आदि अन्य पर दबाव डलवाया जा रहा है कि अपने बालू के खनन पट्टे श्री सत्यवीर सिंह चिकारा को दे दें नहीं तो अवैध खनन के आरोप में खनन के आवंटित पट्टे को निरस्त करा दिया जायेगा। सिंडीकेट श्री सत्यवीर सिंह चिकारा जनपद आगरा में स्वीकृत पट्टों पर स्वीकृति क्षेत्र के बाहर घटवासन, पौइया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्रों में भारी मात्रा में अवैध खनन कर रहा है। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में हो रहे अवैध खनन से जनता काफी आक्रोशित है।

अतः जनहित में पट्टे धारकों की लूट से छुटकारा एवं राजस्व की चोरी को रोकने हेतु निदेशक, भू-तत्व एवं खनिकर्म की तुरन्त रोककर उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करके उन्हें हटाने तथा प्रदेश में इस प्रकार हो रहे अवैध खनन की उच्च स्तरीय जांच कराने हेतु सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन में घाघरा नदी में बांध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश पाण्डेय-

[मान्यवर, कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद मऊ के मेरे विधान सभा क्षेत्र मधुबन के अन्तर्गत घाघरा नदी के किनारे पर ग्राम-धर्मपुर, ग्राम-बिसुनपुर, ग्राम-विनटोलिया आदि ग्राम बसे हुए हैं। उक्त सभी गांव घाघरा नदी पर बसे होने के बावजूद वहां पर आज तक बांध का निर्माण नहीं हो सका है। जिसके कारण वर्षा के दिनों में बाढ़ आ जाने पर सैकड़ों गांव पूरी तरह से तबाह/बर्बाद हो जाते हैं। बाढ़ दिनों में क्षेत्रीय जनता को काफी मात्रा में जान-माल की हानि उठानी पड़ती है। क्षेत्रीय जनता द्वारा वहां पर बांध बनाये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन से अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक शासन द्वारा वहां बांध बनाये जाने हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त गांवों पर बांध बनाये जाने की भी मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर में सूरज कुण्ड रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु के निर्माण से बाधित आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय बहादुर यादव-

[महोदय, जनपद गोरखपुर के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सूरजकुण्ड रेलवे क्रासिंग (समपार) सं0-163ए पर एक उपरिगामी सेतु का निर्माण कराया जा रहा है। परन्तु इस पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था मार्ग की व्यवस्था नहीं की गयी है जिससे आवागमन बाधित है। जिससे लगभग बीसों कालोनियों के लाखों लोग यातायात की समस्या से प्रभावित हैं। यह क्रासिंग शहर के मध्य में स्थित है जिसके कारण 24 घण्टे आवागमन दबाव रहता है। यह क्रासिंग गोरखपुर, लखनऊ मेन लाइन पर है। उपरिगामी सेतु निर्माण की वजह से काफी मात्रा में कंकरीट एवं सामग्री का स्टोरेज भी रास्ते में किया गया है। दूसरी तरफ ऊपर सेतु निगम और रेलवे के द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कभी भी बहुत बड़ी घटना घट सकती है। प्रतिदिन आम नागरिकों को 3-4 घण्टे तक जाम में फंसे रहना पड़ता है ऐसे कभी-कभी जब एम्बुलेंस गम्भीर मरीज लेकर अस्पताल जाती है तो जाम की वजह से रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देते हैं, बच्चे समय से स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जबकि यह नीति है यदि किसी भी सेतु का निर्माण किये जाने के पहले वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाती है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद प्रबुद्ध नगर के विधान सभा क्षेत्र शामली की ओर आने वाली सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज कुमार मलिक-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र शामली जिला प्रबुद्धनगर का मुख्यालय है। परन्तु जिला मुख्यालय से आने वाली कोई भी सड़क ठीक नहीं है। दिल्ली-यमनोत्री मार्ग में डेढ़-डेढ़ फुट गड्ढे हो गये हैं। पानीपत-खटीमा मार्ग शामली से मु0 नगर की ओर यातायात योग्य नहीं रहा। मेरठ-करनाल रोड बुढाना से लेकर शामली तक टूटी हुयी है पता नहीं चलता कहां सड़क है, कहां गड्ढे हैं। दिल्ली-यमनोत्री मार्ग के फोर लेन बनाने का काम किसी प्राइवेट कम्पनी को दिया गया न ही तो इस कम्पनी द्वारा सड़क बनाने का काम किया जा रहा है न ही पी0डब्लू0डी0 द्वारा सड़क बनाई जा रही है। सड़क यातायात योग्य नहीं रहा। जिला मुख्यालय सम्पर्क विहीन हो गया है।

सरकार द्वारा जिला मुख्यालय को फोर लेन से जोड़ने की बात बार-बार कही जाती है। परन्तु यहां तो ग्रामीण सम्पर्क मार्ग भी यातायात योग्य नहीं रहे हैं। लाख खरड़ मार्ग कुरमाली से करौंदा मार्ग झाल बुटराड़ी सलफा मार्ग कांघला से भरसी मार्ग मालीपुर से सुन्ना मार्ग चीनी मिल से लिलौन मार्ग आदि मार्ग यातायात योग्य नहीं रहे हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क नहीं बनाये जाने से लोगों में रोष व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 15 जून, 2012 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 04 सूचनाएं प्राप्त हुईं :-

पहली सूचना श्री तेजपाल सिंह की जनपद महामायानगर/हाथरस को पुनः आगरा मण्डल के अन्तर्गत लाये जाने का प्रस्ताव राजस्व परिषद् की गठित समिति द्वारा अभी तक कोई निर्णय न किये जाने के सम्बन्ध में है। यह नियम-300 का मामला नहीं बनता है। दूसरी सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के माध्यम से बड़ी चीनी मिलों द्वारा किये जा रहे किसानों के शोषण के सम्बन्ध में है। यह भी नियम-300 का प्रश्न नहीं है। तीसरी सूचना श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री सिनोद शाक्य एवं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री रोशन लाल वर्मा की पुराना विधायक निवास (ओ0सी0आर0) में चूहों के प्रकोप से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। यह भी नियम-300 में नहीं आता।

लोक सभा/राज्य सभा की भांति उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण टी0वी0 चैनल पर कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

चौथी सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की लोक सभा/राज्य सभा की भांति उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण टी0वी0 चैनल पर कराये जाने के सम्बन्ध में है। यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

इस सम्बन्ध में जब मैं पिछली बार स्पीकर था तो मेरी वार्ता लोक सभा के स्पीकर माननीय सोमनाथ चटर्जी जी से हुई उन्होंने कहा था कि आप अपने यहां लगवा सकते हैं। इसमें वित्तीय संसाधन की बहुत जरूरत होती है हमारी विधान सभा इस तरह के वित्तीय संसाधन से परिपूर्ण नहीं है कि हम अपना चैनल चला सकें इसलिए मैंने तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष से व्यक्तिगत रूप से मिल करके मांग की थी कि अगर आप हमें धन दे दें क्योंकि लोक सभा के पास धन है तो वह अपना टी0वी0 चैनल चला लेंगे। चूंकि टी0वी0 चैनल चलाने के लिए इतने धन की आवश्यकता है जिसके लिए विधान सभा सक्षम नहीं है इसलिए यह प्रश्न यहां नहीं लगाया जा सकता है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, मैंने अपनी सूचना में चूहों की बात कही है। चूहे वहां कागजों को, कपड़ों को, तार को सब खा डालते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं भी तो ओ0सी0आर0 में रहता हूं, ऐसा नहीं है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पी0सी0आई0 जो पेस्ट कन्ट्रोल है, उससे ओ0सी0आर0 में छिड़काव वगैरह करा दें।

श्री अध्यक्ष-

छिड़काव से चूहे नहीं मरते हैं इसके लिए चूहेदानी और दवा खिलानी पड़ती है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, पेस्ट कन्ट्रोल वाले बता रहे हैं कि उनके पास व्यवस्था है।

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और आपने इस बात को लोक सभा अध्यक्ष के सामने रखा इसके लिए मैं आपके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। मेरा सिर्फ कहना यह था कि लोक सभा और राज्य सभा का अपना टी0वी0 चैनल है और उसके माध्यम से वह पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट कराते हैं। यह सही है कि संसाधन की कमी है तो इस प्रदेश की जनता इससे सदन

में अपने सदस्यों के आचरण को और सदन की कार्यप्रणाली को सीधे देखना चाहती है। अपने जन-प्रतिनिधि के ऊपर जनता नजर रखना चाहती है इसलिए क्या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, उस पर विचार कर लें ?

श्री अध्यक्ष-

अगर आप दिखाना चाहते हैं तो हम स्टीमेट बनवा लेते हैं और सभी माननीय सदस्य अपनी विधायक निधि से धन दे दें, हम इसे लगवा देते हैं, क्या आप लोग तैयार हैं ?

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, हम इसके लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, यह विधान सभा के बजट से होगा, यह राज्य सरकार के बजट से नहीं होना है। विधान सभा का बजट इतना नहीं है।

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, आप आदेश करें, हम लोग तैयार हैं। विधायक निधि भी तो इसी सदन द्वारा प्रदान करायी गयी है ऐसे में आपका आदेश स्वीकार है।

(कई सदस्यों द्वारा इकट्ठे मुख्य मंत्री को पत्र इत्यादि देने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, यह आप लोगों की क्या मर्यादा है, आप लोग मुख्य मंत्री जी को कागज दे रहे हैं तो दे दीजिए लेकिन यहां पर इकट्ठे न हों।

*श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 त्रिपाठी जी ने जो प्रश्न उठाया है उसमें आपने कहा कि इसके लिए अधिक वित्तीय संसाधन की आवश्यकता होगी। मान्यवर, लोक सभा और राज्य सभा में एक यह भी व्यवस्था है कि जो मा0 सदस्य बोलते हैं वह रिकार्ड होता है, यहां पर भी यह सुविधा है तो मान्यवर, अगर आप यह करा दें कि जो मा0 सदस्य अपने भाषण की रिकार्डिंग को सी0डी0 में लेना चाहें वह ले सकते हैं तो इससे भी माननीय सदस्यों को लाभ होगा, मेरा अनुरोध है कि आप यह व्यवस्था करा दें।

श्री अध्यक्ष-

यह तो व्यवस्था है, आप अपनी कार्यवाही की नकल ले सकते हैं।

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि विधान सभा की चलती हुई कार्यवाही को प्रदेश की जनता देखना चाहती है कि उनके द्वारा भेजे गये मा0 सदस्यों का सदन में आचरण कैसा है उनका व्यवहार कैसा है। मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही को जनता के सामने रखा जाए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

पिछली बार आपकी सरकार थी आपने उस समय भी कोशिश की और उस समय भी नहीं हो सका। यह सरकार से नहीं बल्कि विधान सभा सचिवालय से गवर्न होता है यह इनके बजट पर निर्भर करता है लेकिन बजट इतना नहीं हो पा रहा है कि इसे चलाया जा सके। पार्लियामेंट में दिखाया जाता है तो कौन बदल गया, कौन सा परिवर्तन आ गया इसलिए आप जो कह रहे हैं उसके लिए संसाधन का अभाव है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, मा0 सदस्य यह कह रहे हैं कि जैसे लोक सभा, राज्य सभा में सीधा प्रसारण किया जाता है वैसे विधान सभा का भी प्रसारण होना चाहिए। इस बारे में बहुत पहले भी एक बार चर्चा हुई थी लेकिन हमारे वित्तीय संसाधन ऐसे नहीं हैं कि हम इसे चला सकें। क्या इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, बहुत अच्छा सुझाव है और माननीय मुख्य मंत्री जी भी बहुत हद तक इससे सहमत हैं मगर माननीय सदस्य भी तो कुछ आश्वासन दें। इस पर आप अच्छी तरह से विचार कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह से विचार कर लीजिए, मुख्य मंत्री जी बिल्कुल सहमत हैं।

(मेजें थपथपाई गईं)

बजा तो रहे हैं आप कहीं ऐसा न हो कि वहां जनता बजा दे। इस पर आप लोग सोच लीजिए, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी चूंकि इस पर पहले से ही सहमत हैं और वह चाहते हैं कि एकदम से सबको दिया जाए या चरणबद्ध तरीके से दिया जाए तो यह अधिकार माननीय मुख्य मंत्री जी को दे देता हूं, यह आश्वासन रहा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इस मामले में लोक सभा मैचिंग ग्राण्ट देती है और विधान सभा से प्रस्ताव संभवतः वहां गया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, सवाल ग्राण्ट का है ही नहीं। ग्राण्ट न भी दें तो मा0 मुख्य मंत्री जी सहमत हैं कि ऐसा होना चाहिए। सवाल यही है कि जैसे अभी आपने देखा और आप वहां से ऐतराज करते रहते हैं, अगर यही हाईलाइट कर दिया गया तो क्या होगा ? खन्ना जी का रोज मसला शादी का उठता है, यही हाईलाइट कर दिया गया तो क्या होगा ? (हंसी) हालात यह है कि आप केन्द्र की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आज आंध्र प्रदेश के रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब कांग्रेस और छोटी हो गयी है। अभी तक बीच की कुर्सी प्रमोद तिवारी जी ने नहीं छोड़ी है और गये हैं तो हमारे विलासपुर के सदस्य को बिठा गये हैं। यह सब बातें भी देश-प्रदेश देखेगा तो इस पर भी विचार कर लें।

यू0 पी0 एस0 सी0 एल0 की चीनी मिलों के विक्रय में घोर अनियमितता व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित एक घण्टे की चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, मद संख्या-3 में एक घण्टे की चर्चा थी। माननीय मंत्री जी का एक पत्र आ गया है 'चूंकि प्रश्नगत मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः इसलिए एक घण्टे की

निर्धारित चर्चा को निरस्त करने का कष्ट करें।' कल शाम को उनका यह पत्र आया है, अगर कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक से पहले आया होता तो उसमें निर्णय हो गया होता। यह बाद में आया है। मैं इसको अभी निरस्त तो नहीं कर रहा हूं, आपसे आग्रह करता हूं इसे आज स्थगित किये दे रहा हूं। फिर मा0 मंत्री जी से और आपसे बात कर लूंगा।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपका जो आदेश होगा, शिरोधार्य है। मैंने सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश हुआ है, उसको देखा है। सुप्रीम कोर्ट का केवल इतना आदेश है कि जो भी कार्यवाही हुई है, यह सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन आफ दि सुप्रीम कोर्ट होगी। केवल इतना आदेश उनका है। संवैधानिक बिन्दु मेरे सामने हैं ही नहीं, मैं तो केवल उस विषय तक अपने आपको सीमित रखना चाहता हूं। भ्रष्टाचार के आधार पर ये मिलें बेची गयीं, भारी घोटाले के आधार पर ये मिलें बेची गयीं। जो मिलों की कीमत थी उससे कई गुना कम कीमत पर मिलें बेची गयीं। मान्यवर, मेरा तो विषय ही दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट में यह विषय है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में विषय केवल यह है कि जो अधिनियम यहां आपने बनाया वह हमारी लेजिस्लेटिव काम्पीटेंस से ऊपर था, केवल वह विषय वहां पर है। यहां अधिनियम लाये थे अधिनियम उन्होंने पास कराया। हाईकोर्ट ने पार्टली उसको यह कहा कि पार्टली काम्पीटेंस से ऊपर है, पार्टली यह काम्पीटेंस में है। दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट गये। सरकार भी गयी और जो यूनियन के लोग थे वे भी गये। यूनियन के लोगों का कहना यह है कि हाईकोर्ट ने यह होल्ड कर दिया कि पार्टली जबकि पार्टली नहीं है। सारा का सारा अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता, लेजिस्लेटिव काम्पीटेंस में नहीं आता, पूरा का पूरा ट्रांजिक्शन ही असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में केवल इतना मामला है। मेरा आशय यह है कि जो मिलों का ट्रांसफर हुआ है, केवल इललीगल ही नहीं बड़ा भारी घोटाला और भ्रष्टाचार के आधार पर हुआ है। यह सदन कम से कम विचार तो इस बात के ऊपर कर ले कि हमारी अरबों रुपये की सम्पत्ति को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया और हम शांत बैठे रहे। आखिर स्वीकृति तो यहीं से तो हुई है। शुगर फैक्ट्री लगी, किसी का अधिग्रहण हुआ, नई शुगर फैक्ट्री लगी, चल रही थीं, 10 उनमें चल रही थी, 11 बन्द थीं। चलती हुई मिलों को भी बन्द मिल के भाव बेच दिया गया तो यह विषय सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि 10 फैक्ट्री चालू हालत में थीं लेकिन कीमत जब लगायी तो बन्द मिल के अनुरूप लगायी गयी। यह सुप्रीम कोर्ट में विषय है ही नहीं। मेरा विषय तो बिल्कुल अलग है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से कि वह दोबारा देख लें, परीक्षण कर लें और केवल टेक्निकल आधार पर न जाएं। एक व्यवहारिक आधार पर जायं। मेरा केवल इतना कहना है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ से पी0आई0एल0 संख्या-825283/2011 सच्चिदानन्द गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य विचाराधीन है तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा चीनी मिलों के विक्रय विनिवेश के सम्बन्ध में अपनी आडिट रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की है, जिसका अध्ययन व परीक्षण किया जा रहा है। इसलिए इसको आज हम स्थगित कर देते हैं। मंत्री जी और आपसे वार्ता करके फिर इस पर विचार किया जाएगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 14 जून, 2012 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 15 जून, 2012 से दिनांक 03 जुलाई, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 15 जून, 2012 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ली जाय।

2-दिनांक 15 जून, 2012 को शून्य प्रहर के बाद श्री हुकुम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में यू0पी0एस0एस0सी0एल0 की चीनी मिलों के विक्रय में घोर अनियमितता व भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा सम्बन्धी मद रख ली जाय।

3-दिनांक 18 जून, 2012 को वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान के पश्चात् उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मद रखी जाय।

4-दिनांक 15 जून, 2012 से दिनांक 03 जुलाई, 2012 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

जून 2012

15 शुक्रवार

1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।

2-उत्तर प्रदेश में यू0पी0एस0एस0सी0एल0 की चीनी मिलों के विक्रय में घोर अनियमितता व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की चर्चा।

3-असरकारी दिवस।

4-नियम-103 के निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा :-

(1) डा0 धर्मपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा :-

(क) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाय।''

(ख) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर में यातायात की सुगमता हेतु मेट्रो ट्रेन चलाए जाने के लिये प्रभावी कार्रवाई की जाय।''

(ग) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर के ऐतिहासिक महत्ता के दृष्टिगत आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने के लिये प्रभावी कार्रवाई की जाय।''

(2) डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा :-

''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि काकोरी काण्ड के शहीदों की अविस्मरणीय स्मृति में लखनऊ स्थित प्रधान डाकघर के वर्तमान भवन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाय।''

5-विधायी कार्य।

16 शनिवार 17 रविवार	बैठक नहीं होगी।
18 सोमवार	1-वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं उसका पारण।
19 मंगलवार 20 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
21 गुरुवार 22 शुक्रवार 23 शनिवार 24 रविवार 25 सोमवार 26 मंगलवार 27 बुधवार	बैठक नहीं होगी।
28 गुरुवार 29 शुक्रवार 30 शनिवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

<u>जुलाई, 2012</u>

01 रविवार	बैठक नहीं होगी।
02 सोमवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
03 मंगलवार	**<u>11.00 बजे पूर्वाह्न</u>** उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-5 में कुछ नहीं है। मद सं0-6 की घोषणा हो चुकी है।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष महोदय आदेश दें, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और संशोधित हुआ है, की धारा-22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (xiv) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष महोदय आदेश दें, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, वीर बहादुर

सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और संशोधित हुआ है, की धारा-22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (xiv) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों के निर्वाचन करने के स्थान पर मा0 अध्यक्ष विधान सभा की विधान सभा सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की सभा में कार्य करने के लिए पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 15 जून, 2012 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की सभा में कार्य करने के लिए पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की सभा में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की सभा में कार्य करने के लिए पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का

प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 15 जून, 2012 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की सभा में कार्य करने के लिए पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की सभा में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

विश्वविद्यालयों की सभा में नाम-निर्देशन के स्थान पर कार्यकारिणी में सदस्यों को नामित करके भेजे जाने विषयक सुझाव

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

हां, बतायें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जब से विधान सभा का गठन हुआ होगा तब से ये प्रस्ताव आ रहे हैं कि सभा में नाम-निर्देशित कर दिया जाये और आपको अधिकार दे दिया। कोई मा0 सदस्य यह बताये कि जिसका नाम-निर्देशित हुआ हो या आज तक किसी सभा की मीटिंग हुयी हो। मान्यवर, यह औपचारिकता हो करके रह गयी है। मेरा अनुरोध यह है कि सरकार इस पर विचार कर ले। बजाए सभा के अगर कार्यकारिणी में नॉमिनेट करके भेजें तो कुछ भागीदारी बन पायेगी क्योंकि कार्यकारिणी की बैठक तो होती है। मान्यवर, सभा की बैठक कभी होती नहीं है। पांच साल गुजर जाते हैं सभा की बैठक नहीं होती। हम लोग प्रस्ताव करते हैं। मा0 सदस्यगण को बनाकर भेजते हैं और वे ज्यों के त्यों वापस आ जाते हैं, वहां उनकी कोई भी हिस्सेदारी नहीं हो पाती है। इससे फायदा कुछ नहीं है। अभी मा0 सदस्य कह रहे थे कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का प्रस्ताव शायद अब तक आया नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

वो तो कृषि का है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह-

और डा0 राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद का प्रस्ताव नहीं आया तो इसमें मेरा यही अनुरोध है कि विचार कर ले सरकार इस बात के ऊपर या तो नॉमिनेट हों तो कार्यकारिणी में हों। वरना इसमें कोई फायदा नहीं है।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

वापस ले लें।

श्री हुकुम सिंह-

ये तो कुछ फायदा नहीं है इससे खाली एक औपचारिकता चली आ रही है।

श्री अध्यक्ष-

अभी बाद में विचार कर लिया जायेगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, आप क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह जब पन्तनगर विश्वविद्यालय के आप सदस्य थे और आप मीटिंग में तशरीफ ले गये थे मैंने भी एक आध बात कही थी और उस मीटिंग से आपका योगदान रहा और आपने उस मीटिंग की तफसीलात बताई तो अच्छा लगा था। अब चूंकि एक चलन सा हो गया है कोई मशविरा न हो, कोई राय न हो केवल आदेश ही आदेश हो तो इससे हुकुम सिंह जी की बात से हम सहमत हैं कि सदस्य अगर नामित हो तो यूनिवर्सिटीज को यह डायरेक्शन होने चाहिए कि वाइस चांसलर को उसकी मीटिंग में बुलाये और उसकी मेरे ख्याल से एक सीमा भी निर्धारित हो कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में एक बैठक अवश्य होना चाहिए वर्ना फिर सदस्यों के नामित होने का कोई लाभ तो है नहीं, मैं सहमत हूं इससे सरकार सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी जो यह कृषि विश्वविद्यालय हैं उसमें सीधे उनके मैनेजमेन्ट बोर्ड में आप नामित करते हैं तो उसमें वह प्रभावी ढंग से कुछ प्रस्तावित कर सकते हैं जैसा आपने कहा। पन्त नगर में भी यह जो परीक्षा प्रणाली चालू कराई एडमीशन के पहले, नहीं तो नकल करके सब चले जाते थे, मैंने कहा नहीं टेस्ट होगा और बोर्ड ने माना तो अगर कार्यकारिणी में नामित करें जैसा माननीय हुकुम सिंह ने कहा तो इसके लिए आपको विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा। यह जो विश्वविद्यालय है इनके अधिनियम में कार्यकारिणी में नामित करने का विधान नहीं है अगर आप चाहें तो इसमें संशोधन ले आयें कि इनको कार्यकारिणी में कर दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आप इसकी मीटिंग बुला लीजिए, माननीय मुख्य मंत्री जी भी शरीक हो जायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

असरकारी दिवस पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के सम्बन्ध में निर्देश

श्री अध्यक्ष-

अब कार्य-स्थगन का प्रस्ताव चूंकि आज असरकारी दिवस है और मुझे आश्चर्य है सबने इसमें कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिये हैं, असरकारी दिवस के दिन कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं आता है क्योंकि यह आपही का समय है, विपक्ष का समय है।

मद संख्या-12 को पहले लिये जाने की सहमति

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-12 पर डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी का है, आप प्रस्तुत करके जाना चाहते हैं।

*डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, समय पर पूरा भी हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

पूरा नहीं आपका तो समय चला जायेगा वहां आते आते। तो आप दो लाइन प्रस्तुत कर दें, अगली बार चर्चा कर लेंगे। सदन सहमत है कि बाजपेयी जी को पहले प्रस्तुत करने दिया जाय।

(सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी)

काकोरी काण्ड के शहीदों की अविस्मरणीय स्मृति में लखनऊ स्थित प्रधान डाकघर के वर्तमान भवन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

माननीय बाजपेयी जी आप मद संख्या-12 रखें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि काकोरी काण्ड के शहीदों की अविस्मरणीय स्मृति में लखनऊ स्थित प्रधान डाकघर के वर्तमान भवन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाय।''

मान्यवर, इसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से काकोरी काण्ड में जो लोग अभियुक्त बने थे उन्हें जो सचिवालय से विधान सभा से लगा हुआ जो डाकघर है, इसमें न्यायालय बनाया गया था और उस न्यायालय ने काकोरी काण्ड के अभियुक्तों को फांसी और तरह-तरह की सजाएं जो उस वक्त निर्धारित थी दी गयी थीं और उसको पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त और चन्द्रभान गुप्त जैसे लोगों ने वकालत करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बचाने का प्रयास किया था तो मैं इस चर्चा को जारी रखने का आपसे आग्रह करते हुए इसको आगे पूरा करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इन्होंने प्रस्तुत कर दिया, चर्चा पर इस आगे जारी रहेगी। अब मद संख्या-10 ले रहे हैं इसमें पहला है डा0 राधामोहन दास अग्रवाल का आप संकल्प प्रस्तुत करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रधान मंत्री सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में किये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक मैंने सुना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी सबको उपलब्ध है लेकिन देख यह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी लोगों को भी इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी से समय मिलता है।

श्री अध्यक्ष-

क्या कर सकता हूं, आप बोलिये, अपना काम कीजिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर जिसका सीधा सम्बन्ध पूर्वी उत्तर प्रदेश के 8-9 करोड़ नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। यह संकल्प मुझे प्रस्तुत करने का अवसर दिया। चूंकि सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी उपस्थित हैं मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से।

(श्री सतीश महाना द्वारा संकल्प प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

संकल्प तो आप प्रस्तुत नहीं किये, महाना जी बहुत सतर्क रहते हैं। हम दूसरी तरफ देख रहे थे और हम भी भूल गये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, एक्चुअली यह यहां से उठकर वहां जाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आ जायें।

*श्री सतीश महाना-

नहीं मान्यवर, वह बहुत ऊंची चीज है, मैं यहीं ठीक हूं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं वह ठीक करते है, बहुत सावधान रहते हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में की जाय।''

(इस समय 12 बजकर 05 मिनट पर अधिष्ठाता प्रो0 शिवाकान्त ओझा पीठासीन हुए।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 8 करोड़ नागरिकों की ओर से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का हृदय से आभारी हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप नहीं चाहते हैं कि मैं आभार दूं, आभार तो दे लेने दीजिये। मैं आभारी हूं पूर्वी उत्तर प्रदेश के 8 करोड़ नागरिकों की ओर से। आज से 5 दिन पूर्व आपने इसी सदन में घोषणा की थी कि गोरखपुर के अन्दर वायरल रिसर्च सेन्टर का पूरा शोध कार्य प्रारम्भ हो आप यह सुनिश्चित करेंगे और आज के समाचार-पत्र में जो हम लोगों ने पढ़ा है आपने 80 करोड़ रुपये से वहां पर शोध कार्य प्रारम्भ हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। (मेजें थपथपाई गईं) और जो हमारे यहां यह एक आशीर्वाद होता है **दूधो नहाओ पूतों फलो,** वह आशीर्वाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस आशीर्वाद को और बढ़ाना चाहता हूं और मैं यह चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी इससे कुछ और अच्छा काम करें जिससे हम लोग इस आशीर्वाद को बढ़ाकर और आगे ले जायं। क्योंकि आगे आने वाले समय में हम इन्हें इससे और बड़ा आशीर्वाद देने वाले हैं अगर यह हमारी इच्छा पूरी कर दें। देंगे, हम लोगों की इच्छा है खुले दिल से देंगे। अरे इस कुर्सी से लेकर दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाने का आशीर्वाद देंगे लेकिन हम लोग यह भी कल्पना कर सकते हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी से पहले ही यह उस कुर्सी पर पहुंच जायें। हमें कोई एतराज नहीं होगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

यह ठीक है लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने सभी साथियों पर नजर रखूं। उनकी खुशी उनकी उदासी उनका गम भी देखें। हुकुम सिंह जी इस वक्त कितने उदास हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मेरा दिल इतना छोटा नहीं। मेरे मन में स्नेह है, लगाव है और हर वक्त शुभकामना है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं हम अपने विकास तो चाहते हैं लेकिन लक्ष्य प्रदेश के विकास का है। मैंने इसको पहले भी सदन में कहा था, विकास होना चाहिए। हम कर पाये तो हम करेंगे, हम जानते हैं हम करेंगे। जब तक हम नहीं कर पा रहे हैं जो कोई बैठा है वह करे हमको खुशी होगी, उद्देश्य प्रदेश है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, 8 करोड़ नागरिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आज इस पूरे उत्तर प्रदेश के बीच में एक बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज है। आप तो उस क्षेत्र में जाते-आते रहे हैं। जब आप स्वास्थ्य मंत्री रहे शासन के तो आपने दौरे भी किये हैं। आपने वह स्थितियां देखी होंगी जो बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज की रहीं। आज इतने सालों बाद तकरीबन 12 साल बीत गया जब आप स्वस्थ्य मंत्री हुआ करते थे। आज इतने सालों बाद जब आप दोबारा वहां जायं तो आपको देखकर बहुत दुःख होगा। इन 12-14 सालों में वहां स्थितियां और भी बिगड़ गई हैं। मेडिकल कालेज के गेट पर आपको ढेर सारे मरीज मिलेंगे। कोई हृदय रोग से पीड़ित होगा, कोई गुर्दा रोग से, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ होगा किसी को अन्य ढेर सारी बीमारियां हुई होंगी। पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और गांवों से मरीज इस आशा से चले आते हैं बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में, न जाने कितना खर्च करके कि मैं बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज जाऊंगा तो मेरी सारी बीमारियों का निदान हो जायेगा। उनका इलाज शुरू हो जायेगा और जब वह बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज पहुंचता है तो पता लगता है कि इन सारी बीमारियों के इलाज की वहां कोई व्यवस्था नहीं है।

बड़ी मेहनत से वह पर्ची बनवाते हैं, डाक्टर के पास घण्टों समय लगाते हैं। डाक्टर ऐसे मुंह उठाता है और कहता है कि आपको फलां बीमारी है आप आल इण्डिया मेडिकल साइंसेस चले जाइये या एस0जी0पी0जी0आई0 चले जाइये। माननीय अधिष्ठाता महोदय आप इसका एहसास कर सकते होंगे कि एक सामान्य गरीब नागरिक जिसके बारे में एक आर्थिक सच्चाई है इलाज कराने में बिक जाता है। 20 प्रतिशत गरीबी का कारण होता है, डाक्टरी पर आने वाला खर्च होता है। 20 प्रतिशत लोग इस प्रदेश में सिर्फ इसलिए गरीब हो जाते हैं क्योंकि इलाज का खर्चा इतना पड़ता है कि वह इलाज नहीं करा पाते हैं। जब मरीज उठकर दिल्ली जाता है या मरीज उठकर संजय गांधी जाता है तो जितना इलाज में उसको खर्चा नहीं करना पड़ता है उससे कहीं अधिक आने-जाने में, दिल्ली में रहने की व्यवस्था करने में खर्च करना पड़ता है। हम लोग कहते हैं कि नौ की लकड़ी 90 खर्च। नौ रुपये इलाज में लगा तो 90 रुपया बाकी चीजों में लगा जो असुविधा इस इलाके के लोगों को होती है वह अलग। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन्सेफलाइटिस से लोग किस प्रकार पीड़ित हैं हम सब जानते हैं। शोध केन्द्र की स्थापना की अनुज्ञा हम लोगों को अब जाकर मिली है। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है बहुत बड़े और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ढेर सारी बीमारियों पर शोध होना है। यह शोध जब आल इण्डिया में होता है तो यह पूर्वांचल की बीमारियों के लिए नहीं होता है। यह स्वाइन फ्लू, एच0-1 और एच-2 के लिए होता है। यह उन लोगों के लिए होता है जो बड़े लोगों की बीमारियां हुआ करती हैं। उनकी नजर में गरीब और गरीब लोगों की बीमारियां नहीं जाती है। अगर हमें उन पर शोध करना है तो कहीं न कहीं हमें इसको वहीं से शुरू करना होगा जहां से यह बीमारियां शुरू होती हैं। मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई थी जब भारत सरकार का एक संकल्प आया जब देश के विभिन्न हिस्सों में आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना की जाएगी। मैंने हृदय से धन्यवाद दिया आज भी देता हूं लेकिन जितनी जल्दी सुख आया था वह उतनी जल्दी दुख में बदल भी गया क्योंकि भारत सरकार ने जब यह निर्णय दिया तो एक शर्त भी साथ में लगा दी। क्योंकि पूरे प्रदेश में अगर उन्हें कहीं समस्यायें दिखीं तो उस स्थान पर दिखीं जहां पर उनका एक विधायक नहीं टिकता है। एक जिले को छोड़कर मैं किसी जिले का विरोधी नहीं हूं वहां स्थापित हो मैं इसका भी विरोधी नहीं हूं लेकिन पूरे प्रदेश की दृष्टि एक जनपद में आकर सिमट जाए यह केन्द्र में बैठे सर्वोच्च आदमी की सोच नहीं हो सकती है। अगर केन्द्र सरकार धन दे रही है तो केन्द्र सरकार में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति की जेब से पैसा नहीं आ रहा है यह राजस्व का पैसा है और यह राजस्व का पैसा उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने दिया है। उत्तर प्रदेश के सारे लोगों ने दिया है और इसलिए हमारा हक है उस पैसे पर, हम पर दया नहीं हो रही है। हमें भीख नहीं दी जा रही है उस पैसे पर अधिकार है हमारा और संवैधानिक व्यवस्था के तहत संवैधानिक व्यवस्था बहुत साफ है मान्यवर, अस्पताल का विषय, स्वास्थ्य का विषय, चिकित्सा का विषय और परिवार कल्याण का विषय यह राज्य का विषय है। राज्य यह तय करेगा कि वह देखे कि हमारे प्रदेश की समस्यायें कहां-कहां हैं। कहां आवश्यकता है, कहां स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। कहां इस प्रकार के मरीज अधिक है। इन सारी चिन्ताओं के बीच में से वह तय करेगा कि हम किस स्थान पर इस प्रकार के संस्थान को स्थापित करें ताकि हम उसका सर्वोत्तम उपयोग करें। यदि आवश्यकता कहीं और है और हम लगाते कहीं और हैं तो यह एक प्रकार का आर्थिक दुर्वियोजन होगा, एक प्रकार का भ्रष्टाचार होगा जो राजनैतिक आधार पर किया जाएगा। मान्यवर, रायबरेली की स्थिति हम जानते हैं लखनऊ से 70 किलोमीटर दूर है संजय गांधी इतना बड़ा अस्पताल है बगल में है

उनके किंग जार्ज मेडिकल कालेज जो अब छत्रपति शाहूजी महाराज हो गया है पूरे प्रदेश का बहुत बड़ा चिकित्सालय है सारे शोध केन्द्र उपस्थित है एक बहुत बड़ा चिकित्सालय डा0 राम मनोहर लोहिया के नाम से लखनऊ में खोल दिया। आवश्यकता इस बात की है तीन-तीन सुविधायें होने के बाद 70 किलोमीटर की दूरी पर रायबरेली में खोलना और वह लोग जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग संजय गांधी में जाने वाले लोगों में 50 परसेन्ट लोग की संख्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की होती है। आप चलकर देखिए संजय गांधी के कारीडोर में अगर सड़क पर लेटे लोग आपको मिलेंगे तो अधिकांश लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग होंगे। आल इण्डिया इंस्टीट्यूट में भी यही हालत है। इसलिए यदि आवश्यकता थी तो औचित्य सुनिश्चित होना चाहिए था, संघीय व्यवस्था में औचित्य सुनिश्चित होना चाहिए था। राज्य के अधिकारों की रक्षा करने का औचित्य सुनिश्चित होना चाहिए था और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि एम्स आना चाहिए, आए रायबरेली में हमारा एतराज भी नहीं है लेकिन रायबरेली से पहले वहां आये जहां नागरिकों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिक इस नौजवान मुख्य मंत्री की ओर बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। मुझे विश्वास है, यह निराश नहीं करेंगे। एक बयान आया है, सदन में दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है कि उत्तर प्रदेश में तीन स्थानों पर, आज जवाब में भी कहा गया है, एक प्रश्न भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में लगाया था मैं उस प्रश्न के जवाब को आपके सामने रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह आज का प्रश्न है। आज के प्रश्नोत्तरकाल में इसका जवाब दिया गया है। प्रश्न था क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक मात्र बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान के रूप में बदले जाने के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-4 नं0-635420 दिनांक 30-4-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? मुख्य मंत्री का जवाब है हां, प्रश्न था यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? माननीय मुख्य मंत्री का जवाब है, कार्यवाही विचाराधीन है। मैं माननीय मुख्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं। विचाराधीन का अर्थ होता है, रास्ते खुले हुए। मैं आभारी हूं कि आपने रास्ते बन्द नहीं किये। मैं आभारी हूं आपका आपने इस सदन में कहा कि हम पूर्वांचल में इसको खोलने को प्राथमिकता देंगे। मैं आपसे सिर्फ एक आग्रह करूंगा, बहुत बड़ी कुर्सी है, बहुत महत्व है, आपका बहुत आशाएं हैं नागरिकों को 90 विधायक जिता करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने आपकी पार्टी को दिया है। ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। सवाल पूछ रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग चुनाव के समय हमने 90 विधायक समाजवादी पार्टी को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जिता कर दिया, क्या यह तोहफा पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को यह ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने वाली यह सरकार देगी या नहीं ? तोहफे की बात नहीं, तोहफे से अधिक जरूरत और आवश्यकता की बात है। इसलिए माननीय मंत्री जी मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप इस स्थिति में है कि अपनी शर्तें केन्द्र सरकार से मनवा सकते हैं। आज हम लोग इस बात को तय करते हैं, केन्द्र सरकार मजबूर है उत्तर प्रदेश सरकार की राजनैतिक दबाव की और आज उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है तो महसूस करने के लिए और स्वीकार करने के लिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा हमारे जो प्रतिनिधि आपके प्रतिनिधि बनकर दिल्ली में केन्द्र सरकार से बातचीत करते हैं, उन्हें सुनिश्चित कराइये इस बात को कि हम केन्द्र सरकार को समर्थन देना चाहते हैं, हम उनकी लड़ाइयों को लड़ना चाहते हैं लेकिन आपके नेतृत्व में जो प्रदेश चल रहा है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार को मजबूर करिए। मुझे पूरा विश्वास है, आप इस सदन में बैठे हुए हैं और मैंने जो कुछ देखा है, अभी

कल की बहस में देखा, आक्सीजन के मुद्दे पर किस प्रकार से आपने संवेदनशीलता का परिचय दिया और माननीय अभिषेक जी से कहा कि आप सदन में खड़े होकर कहिए कि लेवी के आक्सीजन के ऊपर मैं विचार करूंगा। आपकी संवेदनशीलता को देखकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों का उत्साह बढ़ा है जो विश्वास आपने पैदा किया है, आपको अब इस विश्वास को बनाये रखना होगा और मैं विश्वास करता हूं कि यह संकल्प जो सदन के माध्यम से मैं भेजना चाहता हूं, आज आपके नेतृत्व में सर्वसम्मति संकल्प पारित होगा और केन्द्र सरकार को भेजा जायेगा, धन्यवाद।

*श्री रामलाल अकेला-

मान्यवर, हमारा रायबरेली से ताल्लुक है। माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और रायबरेली में एम्स का जो सवाल खड़ा हुआ, इसके पीछे एक कहानी है। भारत की सरकार कुछ योजनाएं रायबरेली और उत्तर प्रदेश में कई बार घोषणाएं हुई कि यह योजना लाई जा रही है, आरोप यह लगाया जाता था कि उत्तर प्रदेश की सरकार विकास के कार्यों को रोकने का कार्य कर रही है। जमीन में अड़ंगेबाजी लगा रही है, हम धन्यवाद देना चाहेंगे, अपने नेता सदन को कि सत्ता संभालने के बाद आपका एक बयान आया कि भारत की सरकार उत्तर प्रदेश में जो भी संयंत्र लगाना चाहे, हम विकास में पूरा सहयोग करेंगे। मान्यवर, रायबरेली वह धरती है 7 जनवरी, 1921 को देश की आजादी के लिए रायबरेली के किसानों ने लाठी और गोली खाने का काम किया था। रायबरेली की धरती मलिक मोहम्मद जायसी और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की धरती है। रायबरेली का योगदान देश की आजादी में बहुत बड़ा है और रायबरेली ने अनेकों बार भारत का प्रधान मंत्री देने का काम किया है और रायबरेली में एम्स लग रहा है। इसमें किसी भी साथी को एतराज नहीं होना चाहिए और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी तो भारत सरकार की नीयत देखने का काम किया जा रहा है कि वह जो आरोप लगाते थे कि हम यह योजना भेज रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार अड़ंगेबाजी करने का काम करती है। अब हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने सारी अड़ंगेबाजी को दूर करके दिल्ली की सरकार को हरी झण्डी दे दिया। तो अब दिल्ली की सरकार क्यों मौन बैठी है। अभी तक प्रदेश में एम्स के निर्माण के मामले में कोई भी कार्य योजना सामने नहीं आयी है। अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि गोरखपुर में एम्स लगे हमको एतराज नहीं है। लेकिन रायबरेली का इस देश में अपना महत्व है इसलिए अगर रायबरेली में एम्स लग रहा है तो इसका भी आपको स्वागत करना चाहिए और दिल्ली की सरकार से कहना चाहिए कि केवल वादों और घोषणा से काम नहीं चलेगा। जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपको हरी झण्डी दे दिया है तो फिर उस कार्य योजना को धरती पर उतारने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है।

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

मान्यवर, मैं छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि बड़ा तात्कालिक महत्व का मुद्दा उठा है। सदन का यह सौभाग्य है कि प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा माननीय रीता बहुगुणा जोशी जी बैठी हुयी है। हम लोग चाहते हैं कि एम्स के संदर्भ में उनके भी विचार आ जायें। माथुर जी उनको आगे आने दें। यह तो कोई बात नहीं हुयी। आप आगे आ जायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

अध्यक्ष महोदय, मैं विलम्ब से आज सदन में उपस्थित हुयी हूं उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी कि इस संदर्भ में पूरी डिबेट नहीं सुन पायी। जब मैं आयी तो हमारे रायबरेली के मा0 सदस्य बोल रहे थे। निश्चित रूप से केन्द्र सरकार का पूर्ण प्रयास है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो। यहां की जो स्वास्थ्य सेवाएं या जो अन्य सेवायें हैं चाहे औद्योगीकरण हो, चाहे कृषि हो हर क्षेत्र में भरपूर सहयोग और समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी योजना आयोग के अधिकारियों से मिल चुके हैं। प्रधान मंत्री जी से भेंट हुयी है। जैसे ही मुख्य मंत्री जी ने शपथ ग्रहण की, श्री जयराम रमेश जी भारत के ग्रामीण विकास मंत्री लखनऊ आये। आपसे खुद मिलने इनके कार्यालय में गये और आश्वस्त किया और हम भी आश्वस्त करते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य जो राजनीतिक दृष्टि से न हो विकास के काम हों उन्हें केन्द्र सरकार निरन्तर सहयोग देगी। सोनिया गांधी जी और हमारे प्रधान मंत्री जी आपकी जो भी अच्छी योजना है उसको समर्थन देंगे। मैं आपके साथ हूं और आपकी आवाज वहां तक पहुंचाकर मदद करूंगी।

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

एम्स के बारे में क्या विचार है ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

यह सरकार की काबिलियत पर होता है कि वह क्या-क्या लाये। अब आपकी काबिलियत हम देखेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 रीता जी को बोलने दें।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मान्यवर, हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो और मैं जरूर चाहूंगी कि यहां पर हर अच्छा प्रतिष्ठान बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां आयें, स्वास्थ्य सेवायें भी आयें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने तीन एम्स मांगे हैं यदि मिलते है, तो क्रमवार पूर्वांचल में और बुन्देलखण्ड में और रायबरेली में बने। और जहां भी सरकार जमीन उपलब्ध कराये वहां एम्स बने।

श्री राम लाल अकेला-

माननीय अधिष्ठाता जी, श्रीमती जोशी के अनुसार पूर्वांचल नम्बर एक पर, बुन्देलखण्ड नम्बर दो पर और रायबेरली नम्बर तीन पर है, क्योंकि रायबरेली की दूरी लखनऊ से बहुत कम है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, तो क्या हम यह मान लें कि जो एम्स रायबरेली के लिए भारत सरकार ने भेजा और मा0 जोशी जी का जो बयान आया कि पहले इसको पूर्वांचल में लगाया जाय, तो क्या इस बात को हम मान लें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा, जो रायबरेली में एम्स आया है क्या उसका यह विरोध कर रही है क्या उसे पहले पूर्वान्चल में लगाये जाने की बात कर रही है।

*श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं चाहूंगा कि जहां भी एम्स लग रहा है, उसे लगने दें इसे विवाद में न डालें। वह एम्स उत्तर प्रदेश में आ रहा है। आप इसको विवाद का मुद्दा न बनायें, मैं चाहूंगा मा0 मुख्य मंत्री जी बहुत काबिल हैं, होशियार हैं, उत्तर प्रदेश पूरा प्रदेश है सबका प्रदेश है और हम लोग इधर भी बैठे हैं उधर भी बैठे हैं। स्थिति यह है कि वह जहां भी लग रहा है उसे लगने दीजिए, इसे विवाद का मुद्दा न बनायें। एम्स आ रहा है, उत्तर प्रदेश के लिए ही आ रहा है, इसे इस तरह से विवाद में न डालें।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, महोदय शायद कुछ लोगों को स्मरण नहीं है बहुत पहले से पिछली सरकार में भी एम्स के लिए जमीन न देने के कारण एम्स का मामला रुका पड़ा रहा, लेकिन जब मा0 अखिलेश यादव जी मुख्य मंत्री हुए तो इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम रायबरेली में एम्स बनायेंगे उसके लिए जमीन देंगे। उसके लिए जमीन हमने ढूंढ भी ली है और उसका प्रस्ताव भी कर दिया है, लेकिन इसके अलावा हम चाहेंगे कि और भी एम्स बनें। हम मा0 मुख्य मंत्री के उस वक्तव्य के साथ हैं और उसका स्वागत करते हैं और यह चाहते हैं कि और भी एम्स आयें। मा0 मुख्य मंत्री जी पर हमें पूरा भरोसा है कि और एम्स लायेंगे, प्रदेश के हर कोने में एम्स बनवायेंगे और रायबरेली का जो प्रस्ताव इन्होंने दिया है, लिखकर नहीं दिया है कि यहां लगेगा उसके बाद इन्होंने और प्रस्ताव बढ़ाया है, उस प्रस्ताव के साथ प्रदेश में और भी एम्स बनायेंगे और हमें मुख्य मंत्री जी की क्षमता पर विश्वास है कि वह एम्स और लायेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मा0 सदस्य की उदारता का पूरा सदन धन्यवाद करता है, पूरा प्रदेश आपकी इस घोषणा का स्वागत करता है, लेकिन क्या आपको अपने बजट की जानकारी और केन्द्र सरकार में योजनाओं की कुछ जानकारियां हैं। क्या आप इस हैसियत में हैं इस वक्त कि जमीन दे देने के बावजूद कब उस इमारत की बनावट उसकी तामील शुरू हो सकती है, क्या इस बारे में कोई आश्वासन आप दे सकेंगे क्योंकि आपने बहुत मजबूत आश्वासन और बहुत मजबूत संदेश दिया है और सिर्फ रायबरेली में ही बनाने के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोने-कोने पर बनाने के लिए आपने घोषणा कर दी है। आपने कोने-कोने में आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट जैसे इन्स्टीट्यूट बनाने की घोषणा की है। मान्यवर, हमें तो जमीन देना है प्रदेश के हर उस कोने पर जहां बीमार हैं, वहां जमीन देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार चाहे कहीं से जमीन दे। आपको जमीन देंगे। (मेंजें थपथपाई गईं) मान्यवर, लेकिन कुछ सच्चाईयों को भी सामने रखें अमेठी, जगदीशपुर, रायबरेली वो सारे कारखाने जो केन्द्र सरकार ने बनवाये, इसलिए की वहां से प्रधान मंत्री जो नहीं रहे, जो बनाना चाहते हैं और जिनके पास पूरी राजनीति का कब्जा है वो कम से कम उन बन्द कारखानों को जो बोझ बने हुए हैं जमीन पर न जमीन खाली हो रही है, न कारखाने चल रहे हैं। आपने पूंजीपतियों को बेशुमार जमीनें दे दी है ताकि उनके पोते-दर-पोते उन जमीनों को बेचेंगे और रहिशी की जिन्दगी गुजारेंगे तो इस बारे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में भी आप अपनी पालिसी बतायें कि जो मुर्दे खड़े हुए हैं, उनका इलाज क्या होगा ? उनके लिए कौन सा एम्स बनायेंगे आप। जो मुर्देखाने खड़े हुए हैं, उनके बारे में भी कोई विचार होना चाहिए। मान्यवर, इस तरह की घोषणाएं, राजनीतिक घोषणाएं चाहे संसद में हो या विधान सभा में इस स्तर से हो, मान्यवर, यह शोभा नहीं देती। बिल्कुल जनता को धोखा देने के बराबर है यह जनता के साथ छल करने के बराबर है और यह जनता के साथ खुला छल है और खुला धोखा है। जमीन मिल गयी है आपको प्रस्ताव चला गया है। आप यह बताइये कि कब से वहां एम्स बनाना शुरू हो जाएगा। आप रायबरेली में बनाइये लेकिन कब शुरू कर देंगे आप और मान्यवर, जो चीजें इस सदन की हैसियत की नहीं है जिनकी घोषणा इस सदन में नहीं की जा सकती, जिन बातों की घोषणा इस सदन में नहीं की जा सकती हम जैसे छोटी हैसियत के लोग, हम मामूली से विधायक हैं, बस उसी हैसियत से यहां बैठे हुए हैं। हम जैसी छोटी हैसियत के लोग अगर इतनी बड़ी-बड़ी घोषणाएं करने लगेंगे। उत्तर प्रदेश के हर गांव में एक एम्स खोलने लगेंगे मान्यवर, तो यह हल्की और घटिया बात होगी मान्यवर, इस तरह की बातों से अगर कांग्रेस परहेज करे तो ज्यादा बेहतर है।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अधिष्ठाता जी, हमारे अत्यन्त बुद्धिमान संसदीय कार्य मंत्री जी की बातें मैंने सुनी। हमारा पूरा सदन जब पूछ रहा था तो हमारे मा0 सदस्य अखिलेश सिंह जी जो उसी क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने कहा कि जो प्रस्ताव आपने भेजा है रायबरेली का पहले हम उसको परस्यू करेंगे जो भी हो उस इलाके से आते हैं तो उनका अधिकार है।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यगण द्वारा श्री प्रदीप माथुर के भाषण के विरोध में खड़े होकर बोलने का प्रयास करने के कारण व्यवधान की स्थिति)

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

पार्टी की मा0 सदस्य द्वारा क्या कहा गया है आप कार्यवाही निकलवा के देख लें।

(व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर-

कृपया आप लोग मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे जवाब देने दीजिए। आप लोग 2 मिनट रुकिये मैं आपनी बात तो पूरी कर लूं।

श्री अधिष्ठाता-

हां प्रदीप माथुर जी आप बोलें।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इनका भाव वह नहीं था, हमारी अध्यक्ष ने जो कहा वह बात बिल्कुल सत्य कही। जो प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव बनाकर भेजा है एम्स (आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेस) का रायबरेली में बिल्कुल संसदीय कार्य मंत्री जी ने ठीक कहा कि यह केन्द्र सरकार का कर्तव्य होगा जो वह पैसा दे देगी और उससे वह बन पायेगा जहां हमारे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि हमारी नेता यू0पी0ए0 की चेयरपर्सन के बारे में कहा, हमारे नेता वहां के सांसद जी के

बारे में कहा, बाकी जो रूग्ण पड़ी हुई इकाईयां हैं, उन इकाईयों के लिए कल औद्योगिक विकास विभाग का जब बजट था, उसमें भी हमने कल कहा था कि पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूरे प्रदेश में जो रूग्ण इकाईयां पड़ी हुई है, उसके लिए एक नीति बननी चाहिए, चाहे वह केन्द्र सरकार की परियोजनाएं हो, चाहे वह प्रदेश सरकार की योजनाएं हो। इसमें इस तरह की कहने की कोई बातें नहीं हैं। वह पालिसी एक है। चाहे प्रदेश का विकास होना चाहिए। हमारे नेताओं की सोच भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए है जो वहां की बड़ी-बड़ी यूनिट सिक हो गई है, रूग्ण हो गई है, क्या उनके लिए प्रदेश सरकार की नीतियां जिम्मेदार नहीं है ? वह इसलिए बन्द हुई हैं कि प्रदेश की गलत नीतियां थीं जो आपकी औद्योगिक नीति थी, वह गलत थी। वहां के जो तौर-तरीके थे, फैक्ट्री चलाने के वह गलत थे। वहां बिजली की आपूर्ति नहीं मिल पाती थी, वह गलत था।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 प्रदीप माथुर जी, आप विषयान्तर न करें। आप इसी पर अपनी बात रखें।

श्री प्रदीप माथुर-

तो मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इसमें एक ही भाव से, पूरे विधान सभा में कल मैंने बोला था कि यदि औद्योगिक माहौल बनाना है तो हमारी जो इण्डस्ट्रीज बन्द पड़ी है। उसमें हम सब हाथ मिलाकर और जो सिक इण्डस्ट्रीज है, उनको चलवायेंगे। हमारे बड़े भाई जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने जो यह बात कही है। मैं समझता हूं कि वह उस बात को तवज्जो देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बात यह नहीं है। बात यह है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के प्रोपेगन्डे के लिये देश की सबसे बड़ी विधान सभा को माध्यम बनाना और यहां से वह घोषणायें करना वह यकीनदिहानियां कराना, वह बड़ी-बड़ी बातें करना जो आपके कार्य क्षेत्र में नहीं है, आपके अधिकार में नहीं है, रोज आप उत्तर प्रदेश के हर गांव में एम्स बना रहे हैं, रोज आप हवाई जहाज बनाने और उड़ाने के कारखाने लगा रहे हैं आप उतनी बात करिये। जितनी बात ठीक हो। उतना ही उड़िये, जितने पंख है। इससे ज्यादा पंख लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी तो आंध्र प्रदेश की गिनती देखिये, उसके बाद एम्स लगाइयेगा।

श्री उमाशंकर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय चूंकि पूर्वांचल की बात आई है और मैं माननीय अग्रवाल साहब की बात पर बल दूंगा क्योंकि एम्स हास्पिटल खोलने की चर्चा हुयी है तो उन्होंने पूर्वांचल में खोलने की बात रखी है। मान्यवर, एक जिले का नाम मैं भी याद दिलाना चाहूंगा जहां से परम आदरणीय स्वर्गीय जय प्रकाश नारायण जी उस स्थली से पैदा हुए थे इसी भारत सरकार के पूर्व प्रधान मंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय चन्द्रशेखर जी उसी धरती से पैदा हुए थे, मान्यवर, छोटे लोहिया के नाम से जाने, जाने वाले परम आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी भी उसी धरती से पैदा हुए थे, जिसका नाम बलिया जनपद पड़ता है। मान्यवर, हम अग्रवाल जी की बात का समर्थन देते हैं उन्होंने गोरखपुर की चर्चा की है। मैं आपका ध्यान थोड़ा सा इस ओर ले चलना चाहूंगा कि पूर्वांचल में दो जगह पर उच्च स्तरीय मेडिकल की सुविधा है। एक तो बनारस में है और दूसरा गोरखपुर में है। मान्यवर, बलिया ऐसा जनपद है जहां से

बनारस की दूरी लगभग 200 कि0मी0 है और बलिया से गोरखपुर की दूरी भी लगभग 200 कि0मी0 है। मान्यवर, माननीय अग्रवाल जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई भी दिया है कि उनके यहां ऐसी कोई स्थापना हुयी, जिसके लिये 80 करोड़ की धनराशि अवमुक्त भी हो गयी। उन्होंने और इसका विस्तार कराने की बात कही है तो मान्यवर, मेरा यह निवेदन था कि जैसे हमारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी जी ने भी कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही जगह एम्स हास्पिटल खोलने की बात आ रही है तो वह पूर्वांचल में दिया जाये। इस पर मैं आपके माध्यम से सरकार से करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा कि यदि पूर्वांचल में ही एम्स खोलने की बात आ रही है तो उसमें हमारा बलिया जनपद भी आ जाय, हमारे बलिया जनपद में चूंकि जमीन की भी दिक्कत नहीं है, हमारे यहां कई औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें एक रसड़ा है, जहां कताई मिल बन्द पड़ी है। जिसकी अपनी लगभग 150 एकड़ जमीन पड़ी है। अगल-बगल में वहां बहुत बड़ा स्कोप है तो इस प्रकार जमीन की भी वहां कोई दिक्कत नहीं है इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कांग्रेस की तरफ से भी सुझाव है कि पूर्वांचल में दिया जाय इसलिये मैं चाहूंगा कि हमारे बलिया जनपद को निराश न किया जाय जहां से ऐसे-ऐसे लोगों की उत्पत्ति हुयी है। मान्यवर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

खाद्य एवं रसद कारागार मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया')-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो सवाल किये उस सवाल के बाद एक-एक करके कांग्रेस के सम्मानित सदस्य लाबी में जाने लगे, यहां से हटने लगे जो भी बात हो उसको तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जो सी0एल0पी0 लीडर हैं इस सदन में जहां तक मेरी जानकारी है दो अखिलेश सिंह हैं, एक अलिखेश सिंह रायबरेली के हैं जो पीस पार्टी से हैं और चौथी बार निर्वाचित हुए हैं। दूसरे अखिलेश जी देवरिया के हैं। हम विधायकों की बात कर रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा यह निवेदन है कि कांग्रेस लीडर अपने सदस्यों के नाम और जनपद से परिचित हो लें क्योंकि यह भ्रान्ति रहती है कि रायबरेली, अमेठी में जो इनकी बहुत बड़ी नेता हैं, वह जब आती हैं तो गांव के लोग ऐसा कहते हैं कि अपने संसदीय क्षेत्र के 15 ब्लाक हैं, उन्हें अपने ब्लाकों का नाम तक याद नहीं रहता। लगता है कदाचित वही परम्परा नीचे तक चली आई है कि जो सी0एल0पी0 लीडर है वह अपने विधायकों का जिला तक नहीं पहचानते। यह सुझाव मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और आपका बहुत सम्मान करता हूं और इनकी एक बारगी और हिम्मत की बहुत दाद भी हम देते हैं। जैसा मैंने कहा था कि रायबरेली में स्वयं इस सरकार ने जमीन देने की बात उठाई थी और दिल्ली प्रस्ताव भी किया था और इस सरकार ने यह भी कहा था कि हम और भी एम्स चाहते हैं। मैंने उसी पर बल देते हुए कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी क्षमतावान हैं, हम लोग मुख्य मंत्री जी की इस भावना के साथ हैं वह जो और एम्स लाने के लिए केन्द्र सरकार से अपील कर रहे हैं उसमें कामयाबी मिलेगी और यू0पी0 में और एम्स आयेगा। चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी जिस तरह दिल्ली से बात कर रहे हैं और जिस तरह से मुख्य मंत्री जी की बात दिल्ली सुनती है, उसके विश्वास के आधार पर हमने यह बात कही थी कि और एम्स आयेंगे और जरूर आयेंगे। क्योंकि अभी यह तीन महीने की सरकार है और अभी 5 साल

रहेगी और यह कई एम्स लाने में कामयाब रहेंगे। मेरा कहने का मकसद यह था और चूंकि हम पहली बार आये हैं और आजम साहब ने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी। हम उनका फिर भी सम्मान करते हैं और हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मुझे कष्ट होगा आप यहां के नये सदस्यों में बहुत अच्छे और पहले से बहुत सम्मानित, समाज में आपकी ख्याति यह सब अपनी जगह है और हम आपका उतना ही सम्मान करते हैं, जितना आप सम्मान करने के योग्य हैं, उसके कायल हैं और उसके लायक हैं। कतई आपका मन दुखाने का या किसी भी कांग्रेस के सदस्य का मन दुखाना मेरी मंशा नहीं थी। दरअसल जब यहां पर इतनी बड़ी-बड़ी बातें होती हैं तो हम सबका यह दिल चाहता है कि एम्स हमारे यहां हो। जितने उत्तर प्रदेश के जिले हैं, हर जगह बीमार हैं, हर जगह गरीबी है, हर जगह परेशानी है, हर जगह कमजोर लोग हैं। जब आप इतना व्यापक दायरा कर देंगे तो हम सबका मन चाहेगा कि हमारे यहां एम्स हो और हम सब उसकी उम्मीद करेंगे। एक ऐसी उम्मीद न जगाइये हमारे दिल में जो मुमकिन ही नहीं है। इतना उसका दायर वसी मत कीजिए रायबरेली में बनना है, अगर आप वाकई संजीदा हैं तो एम्स रायबरेली में बने, मजबूती से कहिये कि पहले रायबरेली में बन जाये, इसके बाद दूसरी जगह का विचार किया जायेगा।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

आप रायबरेली में जमीन दे रहे हैं और भी जगह जमीन देने को तैयार हैं। हमारा बस कहने का आशय यह था कि हम किसी पोलीटिकल मोटिव से इन एम्स की स्थापना की बात नहीं किये थे हमने कहा था चूंकि सरकार ने स्वयं इच्छा प्रकट की कि और एम्स आने चाहिये उसके साथ हम लोग हैं। अगर मुख्य मंत्री जी चाहते हैं तो मुख्य मंत्री जी की बात में हम सब लोग शामिल हैं कि और एम्स उत्तर प्रदेश में आयें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं शायद अपनी कावलियत की बिना पर और अपनी कमअक्ली की बिना पर अपनी बात ठीक से कह नहीं पा रहा हूं। आपने बहुत उसका दायरा बढ़ा दिया एम्स का। बहुत उदार हो गये आप उसका धन्यवाद। बार-बार यहां आपकी तरफ से यह बात आ रही है कि पूर्वांचल में, मध्यांचल में, पश्चिमांचल में, बुन्देलखण्ड में और कहां-कहां किस-किस जगह आप एम्स बना रहे हैं। आपकी तरफ से सुझाव भी आ रहे हैं। अभी माननीय अध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से भी सुझाव आया। अभी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी सुझाव आये। (श्री दलवीर सिंह जी के खड़े होने पर) हम आपके सम्मान में कोई कमी करते हैं क्या ? इसीलिए हम इस पक्ष में नहीं हैं कि यहां कैमरे लगे और टी0वी0 पर दिखाया जाए क्योंकि जनता हमारे बारे में क्या सोचेगी कि एक संजीदा बहस चल रही है, उसे आप गैर संजीदा किये दे रहे हैं। (सदन में हंसी) मेरा कहना यह है कि एम्स के बारे में कांग्रेस अगर वाकई संजीदा है तो कम से कम रायबरेली में बनने दें और आप स्ट्रिक्ट करिये इस पर कि पहले जब तक रायबरेली में नहीं बन जाता, उस हद तक हम उत्तर प्रदेश में कहीं दूसरी जगह का सुझाव नहीं देंगे। लेकिन अभी-अभी रीता जी ने भी तीन जगह का प्रस्ताव रख दिया

और चौथे नम्बर पर रायबरेली चला गया। मान्यवर, अब अगर आप चाहें तो यहां की कार्यवाही आप प्रधान मंत्री जी को भेज दें। मैं चाहता हूं कि इस बहस को ज्यादा न बढ़ाया जाए। पहले रायबरेली का एम्स बन जाए, उसके बाद दूसरे पर विचार कर लिया जाए या वह जब बन रहा हो और उसका उद्घाटन हो, उद्घाटन तो जाहिर है कि आप ही करेंगे। जब मनमोहन सिंह जी राष्ट्रपति बना दिये जायेंगे तो प्रधान मंत्री की कुर्सी खाली है। जब वह प्रधान मंत्री बन जायेंगे जिन्हें बनना है तो उद्घाटन के दिन अगले एम्स की घोषणा कर दें।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं समझती हूं कि यह चर्चा अनायास ही इतनी लम्बी खिच गयी है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है और यह सत्य है कि इसी सरकार ने एक नये एम्स की मांग की और इसी सदन से पहले बात उठी थी। रायबरेली में जमीन दी जा चुकी है, एम्स का प्रस्ताव स्वास्थ्य मंत्रालय कर चुका है। इस डिबेट को यहीं समाप्त किया जाए। रायबरेली सेन्ट्रल है, हर जगह से 250-300 कि0मी0 पर वह 'कन्वर्ज' करती है। रायबरेली में अगर एम्स आ रहा है और वहां जमीन हो गयी है, प्रस्ताव हो गया है तो उसको स्थापित कर दिया जाए और उसके बाद फिर विचार किया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी यहीं क्लोज करिये। पूरा सदन आपके साथ है। एम्स आयेगा तो पूरे प्रदेश के लिए आयेगा। आपका सुझाव बिल्कुल सही है और मैं यह समझती हूं कि इस चर्चा को यही समाप्त कर देना चाहिए।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि रायबरेली व प्रदेश के अन्य स्थानों से पहले अलीगढ़ के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज को एम्स बनाया जाना चाहिए। अलीगढ़ के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज को एम्स बनाने के लिए कई दफा घोषणा कर दी गयी। रायबरेली से पहले अलीगढ़ की घोषणा भी हो गयी थी। लेकिन अभी तक उसको एम्स का दर्जा नहीं मिला है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मात्र मेडिकल कालेज है जिसको एम्स का दर्जा दिलवाने के लिए पहल की जाए और नम्बर एक पर अलीगढ़ को रखा जाए।

श्री रमेश चन्द्र दुबे-

माननीय अधिष्ठाता जी, हम आपका ध्यान सोनभद्र की तरफ ले जाना चाहते हैं, जहां पर हम पांच राज्यों से घिरे हैं और असली एम्स की जरूरत तो सोनभद्र को है। उस सोनभद्र को इसलिए है क्योंकि राष्ट्र निर्माण में सोनभद्र का बहुत बड़ा योगदान है। वह आदिवासी जिला है, बहुत ही पिछड़ा जिला है, नक्सल प्रभावित जिला है, जहां पर चीज का अभाव है तो हम यह चाहते हैं कि अगर सोनभद्र राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करता है तो सारे उत्तर प्रदेश मा0 सदन के सदस्य ध्वनिमत से इसे पारित करके सोनभद्र में एम्स बनाने का प्रस्ताव पारित करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय-

मान्यवर, मैं इलाहाबाद से हूं जिसको सभी जानते हैं। इलाहाबाद ने प्रथम प्रधान मंत्री दिया, इलाहाबाद ने लाल बहादुर शास्त्री को पैदा किया, इलाहाबाद ने ही विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे प्रधान

मंत्री को पैदा किया। इलाहाबाद ने चीफ मिनिस्टर भी पैदा किया। आजम खां साहब जो हमारे नेता हैं उन्होंने इलाहाबाद के कुम्भ के लिए इतना धन उपलब्ध कराया है। मैं रायबरेली वालों से भी निवेदन करूंगा सदन से निवेदन करूंगा कि जरा रायबरेली से थोड़ा आगे सरक जाइए। इलाहाबाद मध्य प्रदेश का बार्डर है इलाहाबाद बांदा का बार्डर है इलाहाबाद सोनभद्र का बार्डर है मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिना पैसे की जमीन हम आपको उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं इलाहाबाद में एम्स की व्यवस्था कराई जाय। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी के द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में की जाय। इस प्रस्ताव पर इस संकल्प पर मैं बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं बहुत सारे सदस्यों ने बहुत सारी बातों को अपने-अपने जनपदों में अपने-अपने क्षेत्रों में इस बात को ले जाने का कार्य किया है कि हमारे क्षेत्र में होना चाहिए यकीनन संसदीय कार्य मंत्री जी के इस कथन से हम अपने को सम्बद्ध करते हैं जोड़ते हैं कि अगर कांग्रेस के सम्मानित सदस्य द्वारा यह बात नहीं उठायी गई होती कि एक रायबरेली के अलावा आप जहां-जहां के लिए चाहें ले लें तो शायद सारे माननीय सदस्यों के हृदय में अपने-अपने क्षेत्रों में एम्स खोलने की भावना नहीं उठती। हमें डर इस बात का है कि कहीं यह मामला विधान सभा स्तर पर भी न उठ जाए हमें इस बात की आशंका होने लगी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका ध्यान मूल संकल्प की ओर ले जाना चाहता हूं। अगर कोई माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के लिए एम्स की बात करते हैं तो वह बिल्कुल संकल्प लाए हम भी उनके डिबेट में हिस्सा लेंगे मगर आज जो यह संकल्प आया है यह स्पेसेफिक है कि पूर्वांचल के गोरखपुर में एम्स की स्थापना की जाय। इस नाते मैं इस पर केन्द्रित होते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। मान्यवर, जहां तक मेरा ख्याल है माननीय मुख्य मंत्री जी की पूर्वांचल में जब अपनी पार्टी की सभाओं में गये थे तब भी यह बात आई थी और जब परिणाम आया उस समय भी यह बात आई थी कि गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज को एम्स का दर्जा दिया जाए। यह बात समाचार-पत्रों के माध्यम से आई थी। मामला तब फंसा जहां तक मेरी जानकारी है कि केन्द्र ने एक बयान में कहा कि हम आपको एक एम्स नहीं चार एम्स दे सकते हैं लेकिन तब देंगे जब रायबरेली में हमें बनाने के लिए कहेंगे। मुख्य मंत्री जी की उदारता से मैं सहमत हूं कि रायबरेली को चाहिए रायबरेली के माननीय सदस्य भी अपनी बात कह रहे थे बिल्कुल रायबरेली आप ले जायं लेकिन जब शर्त लगा दी गई जिस बात को डा0 राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा जब यह साम्राज्यवादी सोच की परिकल्पना रखी गई कि जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक हम वह नहीं होने देंगे। इस नाते माननीय मुख्य मंत्री जी को लगा होगा कि अगर हम रायबरेली की शर्त मान लेते हैं तो शायद हमें केन्द्र चार दे दें इस नाते रायबरेली की बात आई कोई बात नहीं प्रस्ताव चला गया रायबरेली की बात आ रही है मेरा कहना यह है कि 50 हजार बच्चों की मौतें पूर्वांचल में विशेषकर गोरखपुर मण्डल के आस-पास हो चुकी है। ईश्वर न करे कि कभी जिले या मण्डल में 50 हजार छोटे बच्चों की मौत हो एक बच्चे के होठों पर मुस्कान लाने के लिए आदमी अपनी जान दे देता है। हमारे पूर्वांचल में गोरखपुर मण्डल में 50 हजार मौतें हो चुकी हैं और हम दुर्भाग्यशाली लोग हैं कि अपने

बच्चों को मरते हुए देखते हैं और कुछ कर नहीं पाते। एम्स जहां दिल्ली में बना हुआ है, वहां हमारी आवाज नहीं जा पाती और शायद पूर्वांचल की इसी पीड़ा को महसूस करके बी0आर0डी0 कालेज को एम्स का दर्जा देने की बात हुयी। बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज की बात क्यों आयी क्योंकि वहां पर बहुत सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार है, बहुत सारी बिल्डिंग तैयार हैं।

श्री अधिष्ठाता-

संक्षेप में करें समय बहुत हो गया है।

श्री राजेश त्रिपाठी-

मैं खत्म कर रहा हूं। निश्चित रूप से अगर बी0आर0डी0 मेडिकल की यह बात की जाती है तो वहां गोरखपुर में बनाने की बात की जाती है। कम संसाधन में हम उसे एम्स का दर्जा दिला सकते हैं। इस नाते हम इस प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

मा0 अधिष्ठाता जी, यह सम्मानित सदन अभी इस राय पर नहीं पहुंचा है और धीरे-धीरे करके कांग्रेस के मा0 सदस्य छोड़-छोड़ करके सदन से जा रहे हैं। मैं एक ऐसा प्रस्ताव रखना चाहता हूं श्रीमन् जिसमें अधिष्ठाता महोदय, नेता प्रतिपक्ष और हम सभी लोग सहमत होंगे। न इलाहाबाद बने, न रायबरेली बने, बीच में प्रतापगढ़ है उतनी ही दूरी है, वहां बने। इससे आप भी सहमत होंगे और इसको अब फाइनल करके इसकी चर्चा अब यहीं पर समाप्त कर दें।

(सदन में जोर की हंसी)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी के प्रस्ताव पर मैं भी चाहता हूं कि गम्भीरतापूर्वक विचार हो जाये।

(सदन में पुनः जोर की हंसी)

अच्छा, चलिये। समय काफी हो गया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इसमें बिल्कुल यह मैदान-ए-जंग हो जायेगा। यह विधान सभा जंग के मैदान में तब्दील हो जायेगी। मान्यवर, क्यों प्रतापगढ़ में क्यों हो जाये। मान्यवर, यह देश और खासतौर से यह प्रदेश ''राम'' के नाम से जाना जाता है।

(सदन में पुनः जोर की हंसी)

रामपुर से अच्छा कोई जिला हो नहीं सकता और अगर कोई मान्यवर, अगर कोई मा0 सदस्य इससे इत्तेफाक नहीं रखे तो वे राम विरोधी हैं।

(सदन में पुनः जोर की हंसी)

अधर्मी हैं वो लोग, और जनता उनसे हिसाब ले।

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी के संकल्प पर चर्चा में मुझे भाग लेने का आपने अवसर दिया। मान्यवर, यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है और जिस तरह से आज सदन में इस विषय पर चर्चा हो रही है। मैं सारे सम्मानित सदस्यों

को धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि एक अच्छी बहस चल रही है। यह ठीक है कि लोग अपने क्षेत्र में चाहते हैं, अपने जिले में चाहते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। चूंकि एम्स देना केन्द्र सरकार को है, मांगने की कार्यवाही हम लोगों को करनी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मा0 मुख्य मंत्री जी को कि आपने रायबरेली में केन्द्र सरकार के प्रस्ताव पर जमीन देने का काम किया। हम लोगों ने सवाल किया, डा0 रीता बहुगुणा जोशी जी ने अपना क्रम निश्चित कर दिया कि पहले पूर्वांचल में, उसके बाद आपने तीन नाम और गिनाये, बुन्देलखण्ड की बात आयी और भी आयी। मैं इसी के साथ इस संकल्प में एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि जनपद गोण्डा जो नैपाल से सटा हुआ है, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती सारे जिले उससे सटे हुए हैं और चूंकि ये नैपाल का, हिमालय का निकटवर्ती जिला है और वहां पर अशिक्षा बहुत है, गरीबी बहुत है बीमारी बहुत है मैं चाहता हूं कि एम्स की स्थापना का प्रस्ताव हम यहां से गोण्डा के लिए भी भेजें और डा0 जोशी जी साहब से अनुरोध भी करेंगे। आपके एक बहुत वरिष्ठ मंत्री हमारे जिले से सांसद है। बेनी प्रसाद वर्मा जी तो कह के तो बहुत गये, चुनाव जीत गये, लौट के आये नहीं। आज तक किसी ने उनकी शक्ल नहीं देखी, पूरे विधान सभा चुनाव में, लोक सभा चुनाव में किसी को यह सुयोग नहीं प्राप्त हुआ कि वो अपने सांसद को दर्शन कर सके। एक बार सोनिया जी के साथ वो आये थे और जनता ने उनको वापस कर दिया था। मैं आपसे अनुरोध करूंगा और जानना चाहूंगा कि इतनी देर की चर्चा के बाद परिणाम क्या निकला, रिजल्ट क्या रहा, इस संकल्प में क्या रिजल्ट आया। इसी के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में एम्स की स्थापना की चर्चा हो रही है। हमारा बुन्देलखण्ड बहुत पिछड़ा हुआ है यहां से 20 विधायक चुनकर आते हैं। मान्यवर, वहां पर दो मण्डल हैं एक झांसी और एक चित्रकूट। हमारा चित्रकूट मण्डल बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। मैं महोबा से चुनकर आता हूं वहां कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। वहां के लोगों को गम्भीर बीमारियों के इलाज के लिए लखनऊ पी0जी0आई0 या दिल्ली एम्स जाना पड़ता है। आज जब केन्द्र ने उत्तर प्रदेश में एम्स की स्थापना की मांग स्वीकार की है तो हर मंत्रीगण अपने मण्डल में एम्स की स्थापना चाह रहा है। जबकि सबसे ज्यादा जरूरत आज एम्स की बुन्देलखण्ड में चित्रकूट मण्डल में है। मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हम केन्द्र से 3 एम्स की स्थापना की मांग कर रहे हैं तो उसमें एक एम्स चित्रकूट मण्डल में स्थापित करने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं। वह चाहे आप हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा इनमें से किसी जनपद में स्थापित करने पर विचार करें।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मान्यवर, बड़े गम्भीर विषय पर चर्चा सदन में हो रही है। मान्यवर, मैं इस पर अपना बयान भी दे चुकी हूं। उत्तर प्रदेश सरकार तीन एम्स की मांग कर रही हैं। मैं कहना चाहती हूं कि आप तीन सुपर स्पेशिलिटी हास्पिटल स्थापित करने पर विचार करे। आप गोरखपुर में सुपर स्पेशिलिटी हास्पिटल खोल सकते हैं। मान्यवर, जहां तक रायबरेली में एम्स की स्थापना की बात है वह बिल्कुल सेन्टर में है, वहां जमीन मिल रही है, प्रस्ताव है, अब केन्द्र सरकार का वर्तमान कार्यकाल भी दो वर्षों का है इसलिए इस पंचवर्षीय योजना में उसे पूर्ण करने का पूरी तरह से संकल्प यहां से पारित हो यह मेरा

अनुरोध है। मान्यवर, रायबरेली की कनेक्टीविटी हर जगह से है वहां से ट्रेनें आती हैं हर जगह से लोग वहां पहुंच सकते हैं। अगर आप चित्रकूट या गोण्डा में एम्स बनायेंगे तो वहां बड़ी संख्या में मरीजों को पहुंचने में दिक्कत होगी। आप भारत सरकार से अन्य स्थानों पर सुपर स्पेशिलिटी हास्पिटल खोलने की बात करें। रायबरेली से पूरा यू0पी0 कनैक्टेड है।

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

मान्यवर, यह कोई बात नहीं हुई कि गोण्डा में मरीज नहीं आयेंगे। पूर्वांचल में एम्स की ज्यादा आवश्यकता है।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि प्रथम राउण्ड में आप रायबरेली में एम्स की स्थापना का संकल्प पारित करें। दूसरे राउण्ड में अन्य स्थानों के लिए विचार करें और केन्द्र सरकार से आग्रह करें।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, अभी केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार को एनआर0एच0एम0 स्कीम 4 हजार करोड़ रुपये दिये हैं। अब जब रायबरेली में जमीन एम्स के लिए उपलब्ध करायी जा रही है तो फिर केन्द्र सरकार से वहां पर एम्स की स्थापना के लिए अनुरोध किया जाये।

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री (श्री राजीव कुमार सिंह)-

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे प्रबुद्ध साथियों ने बहुत सारे विचार रखे और आपने सुना भी। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष जी से एक व्यवस्था चाहता हूं कि सभी लोग एम्स मांग रहे हैं वह 2 देंगे, 4 देंगे, 10 देंगे। बाराबंकी से हम लोग आते हैं हमें एम्स की कोई जरूरत नहीं है, पी0जी0आई0 से काम चल रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पैलस आन व्हील जैसे रेलवे विभाग ने चलाया था क्यों नहीं मोबाइल पी0जी0आई0 इसी पैटर्न का कोई पी0जी0आई0 बन जाये जो हर जिले में एक-एक महीना घूमकर आ जाय। (व्यवधान)

मान्यवर, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

अधिष्ठाता महोदय, यह वही रायबरेली है जहां पर कोच फैक्ट्री 5 वर्ष से लग रही है अभी नहीं लग पाई। अब एम्स का भी वही हश्र होने जा रहा है।

श्री उमेश पाण्डेय-

मान्यवर, आपने पूरे सदन के माननीय सदस्यों की बात सुनी। आपने सुना सब लोगों को एम्स चाहिए। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा जो विधान सभा है मधुबन वह शहीदी धरती के नाम से जाना जाता है यहां देश की आजादी में कुर्बानी देने वाले लोग रहे हैं उनके नाम पर वह है उस मधुबन विधान सभा के अन्दर एक एम्स की स्थापना की जाय।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग बैठिये। माननीय अग्रवाल साहब क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं।

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाले अखिल भारतीय ....

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अधिष्ठाता महोदय, संकल्प प्रस्तुत करने के पहले मुझे अपने विचार रखने का अधिकार है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 10 साल से मैं इस सदन का विधायक हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि 10 साल में पहली बार मैंने किसी संकल्प पर इतनी जीवन्त सहभागिता सबकी देखी है। देखने के अपने-अपने नजरिये हो सकते हैं। अपनी दृष्टि हो सकती है लेकिन इसी सदन में अगर मान लिया जाय तो पहला विषय है जिस पर पूरे सदन ने इतनी सक्रिय सहभागिता की। सब अपने-अपने लिये मांग सकते हैं सबका अपना लोकतांत्रिक हक है। हम तो रायबरेली का भी विरोध नहीं करते हैं। जो माननीय सदस्य उधर से खड़े हुए थे उन्होंने अगर ध्यान से मेरी बात सुनी होगी तो मैंने यह कहा था कि मैं रायबरेली का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैंने तो यह कभी यह कहा ही नहीं। मैं सिर्फ दो चीजों पर आ रहा हूं। केन्द्र सरकार की यह सोच साम्राज्यवादी है कि अगर हम किसी राज्य को धन देंगे तो संघीय व्यवस्था को तोड़ करके हम उस राज्य को घुटने पर टिकवा कर के इस बात के लिये मजबूर करेंगे कि वह धन वहीं लगाया जाय जहां केन्द्र सरकार चाहती है।

श्री अधिष्ठाता-

यह बात आपने पहले भी कह दी है। अब समाप्त करें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

जी, इतनी सारी बातें आ गईं इसलिये मैं संक्षेप कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में इस बात की घोषणा की थी कि तीन स्थानों पर जमीन देने के लिये तैयार हैं और इस सन्दर्भ में उन्होंने एक पत्र रखा। वह तीन स्थान माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे मैं नहीं बताऊंगा। मैं पूर्वांचल का विधायक हूं मैं अपनी बात लेकर आ रहा हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को आभार देते हुए श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। बहुत बड़े राजनैतिक परिवार की हैं खून में राजनीति होगी। बहुत आत्मविश्वास होना चाहिए और था जब पहली बार खड़ी हुई तो इन्होंने अपनी अन्तर आत्मा की आवाज से बोलने का काम किया। भगवान कभी-कभी आपके ऊपर सवार होकर आपको बुलवाता है। मैं उनका आभारी हूं कि इस सदन में उन्होंने इस बात को कहा कि पहले पूर्वांचल में बनना चाहिए, फिर बुन्देलखण्ड और फिर रायबरेली में बनना चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बहुत छोटा सा शेर है। तेरा हाथ हाथ में आ गया चिराग राह में जल गये मेरी सहल हो गई मंजिलें हवा के रुख बदल गये। अब इतने बड़े परिवार का आदमी जो व्यक्ति अपने आप को खुद कह रहा था कि मैं बहुत कम जानता हूं थोड़ा सा खड़ा होकर धमकी दिया कि मैं केन्द्र को बता दूंगा, मैंने गिरगिट को तो रंग बदलते देखा है इतनी तेज। इतनी तेज बातें बदल जायेंगी। इसका मुझे अंदाज नहीं था। इसलिये मैं यह केन्द्र सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मेरा विषय नहीं है विषय इस सदन का है। सदन को निर्णय नहीं लेना है। सदन को एक

संकल्प देखना है भारत का कार्योदय। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बहुत सारे सदस्यों ने इसमें सहभागिता की है स्वयं माननीय मुख्य मंत्री यहां उपस्थित थे किसी कारणवश उनको यहां से जाना पड़ा है। इसलिये आग्रह करता हूं कि इस बहस पर निर्णय लेने की जगह इस बहस को स्थगित रखें और अगले किसी संकल्प के दिन हम लोग इस बहस को जारी रखेंगे।

*श्री उदय राज-

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न इस पर सुन लीजिये पहले। मैं केवल एक चीज जानना चाहता हूं कि माननीय कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी जो इस सदन की सम्मानित सदस्य हैं उन्होंने एक बार पूर्वांचल में गोरखपुर में एम्स खोले जाने की वकालत की बाद में उन्होंने रायबरेली में एम्स अस्पताल खोले जाने की वकालत की। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सदन में सम्मानित सदस्य ने दो-दो बयान दिये हैं। उनका कौन सा बयान सही माना जाय। यह रायबरेली में खोले जाने के पक्ष में हैं या गोरखपुर में खोले जाने के पक्ष में है। यह स्थिति क्लीयर कर दें। प्राथमिकता क्या है उनकी ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

अधिष्ठाता जी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैंने जब यहां प्रवेश किया था उस समय बहस करीब-करीब समाप्त हो गई थी। मुझे पता नहीं। मैंने अखबार में पढ़ा कि तीन एम्स के प्रस्ताव इन्होंने भेजे हैं। तीन एम्स में मैंने कहा कि यह कहां-कहां हो सकते हैं। रायबरेली, सेन्ट्रल है। अभी आप लोगों ने बताया कि जमीन दी जा चुकी है। हमारे जो सदस्य जानकार हैं उन्होंने बताया प्रस्ताव हो चुका है। जमीन दी जा चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है अभी एक ही के बारे में चर्चा होनी चाहिए। एक ही के बारे में संजीदगी से चर्चा होनी चाहिए। रायबरेली में ही हो और यह प्रस्ताव आज ही पारित करिये।

श्री अधिष्ठाता-

आपने सारी बातें पहले भी कही हैं।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

रायबरेली में हो और प्रस्ताव आज ही पारित करें। सुपर स्पेशिलिटी सेन्टर हर जगह खोले जा सकते हैं। इन्सेफ्लाइटिस के लिए एम्स जरूरी नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठें।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

आपने मोबाइल सर्विसेज की बात कही। एन0आर0एच0एम0 में हजारों एम्बुलेंसेज आपको दिये गये हैं। उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

(शोर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बात आ गई है।

श्री वसीम अहमद-

इस तरह से वर्चस्व की बात कही जा रही है।

श्री अधिष्ठाता-

महत्वपूर्ण बात चल रही है आप बैठिये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, चर्चा को जारी रखें अगली बैठक तक महत्वपूर्ण चर्चा है, इसको जारी रखें।

श्री अधिष्ठाता-

वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। काफी लम्बी चर्चा हो चुकी है मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि ''प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में की जाय।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं मतदान की मांग करता हूं। यह मेरा अधिकार है। नहीं की संख्या नहीं है। मैं मतदान की मांग करता हूं।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता-

मैं फिर से प्रस्तुत कर देता हूं जो पक्ष में होंगे वह हाथ उठाकर 'हां' कहेंगे और जो विपक्ष में होंगे वह 'नहीं' में हाथ उठाकर 'नहीं' कहेंगे। बात साफ हो जाएगी।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

जो नहीं उठायेगा वह विरोध में नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

मैं फिर प्रश्न उपस्थित कर देता हूं। (शोर)

प्रश्न यह है कि ''प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में की जाय।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रदेश में लागू जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना को प्रदेश की छावनी परिषदों में भी लागू किये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) का संकल्प

श्री अधिष्ठाता-

सत्य प्रकाश जी तो हैं नहीं।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि 'यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में लागू जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना को प्रदेश की छावनी परिषदों में भी लागू किया जाय।'

श्री अधिष्ठाता-

इसको स्थगित किया जाता है।

जनपद वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) का संकल्प

(श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा जी' का नाम पुकारा गया।)

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं प्रस्तुत कर देता हूं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपकी अनुमति से मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि 'इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द किया जाये।'

श्री अधिष्ठाता-

इसको स्थगित किया जाता है।

प्रदेश के महानगरों की उपनगरीय क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उपनगरीय क्षेत्र के निवासियों को भी मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं यह संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं- ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के महानगरों की उपनगरीय क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए उपनगरीय क्षेत्र के निवासियों को भी मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध करायी जायं।''

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए अनुमति प्रदान की है। मान्यवर, यह बात सत्य है कि इस देश की आत्मा गांव में बसती है। अगर ग्रामीण क्षेत्र और किसान का विकास होता है तो इस देश का विकास होता है। इसमें मान्यवर, किसी प्रकार की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी शाश्वत सत्य है कि अगर नगरीय क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो गांव के आर्थिक विकास के आधार को मजबूत करने में सहायक सिद्ध नहीं होंगे। मान्यवर, यह नगरीय व्यवस्था कोई आज से नहीं है, आदिकाल से चली आ रही है, शहरों की व्यवस्था, शहरों को सुन्दर करने की व्यवस्था आदिकाल से चलती आ रही है। लंका को भी रावण ने बहुत सुन्दर बनाने का प्रयत्न किया था। अयोध्या के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा था कि यह ऐसी नगरी है जो स्वर्ग के समान है। मान्यवर, इस बात को लेकर शहरों में रहने वाले लोगों की कुछ अपेक्षाएं होती हैं, चाहे वह शिक्षा से सम्बन्धित हों, चाहे इन्डस्ट्री से सम्बन्धित हों, चाहे वह अन्य किसी व्यापार या व्यवसाय से सम्बन्धित हों, हर स्तर पर लोग शहरों की तरफ रूख करते हैं। यदि शहर की बढ़ती हुई आबादी के ऊपर बात की जाए, तो आज लगभग 25 प्रतिशत लोग शहरों में रहते है, इस बात के आंकड़े उपलब्ध है। मान्यवर, इस बात का अनुमान है कि वर्ष 2025 तक 40 प्रतिशत लोग शहरों में रहेंगे। शहरों की बढ़ती हुई जो आबादी है, कालान्तर में भी उसके लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। उनके लिए कोई बहुत बड़ी संख्या में मकान नहीं बनाये गए, गरीब वर्ग के लोगों के मकानों के लिए, मिडिल इन्कम क्लास लोगों के लिए, हायर इन्कम क्लास लोगों के मकानों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं हुई। किसी समय यदि इस पर बात हुई है, मान्यवर, इनको बहुत कम मात्रा में बनाने का काम हुआ है। समय ऐसा आता गया कि मकान उपलब्ध नहीं थे, मकान उपलब्ध न होने के कारण शहरों के बाहरी क्षेत्रों में जो किसान था, उसने अपने खेतों को काट-काट कर, उनके प्लाट काट कर लोगों को सुविधा देने का प्रयास किया। उसमें बहुत सारे लोग आ गए होंगे, बिल्डर्स भी आ गए, माननीय मंत्री जी ने परसों भी इस बात को कहा था। मान्यवर, उनकी मजबूरी को समझने की आवश्यकता है। जहां पर सीवर नहीं है, जहां पर पानी नहीं है, जहां पर जल-निकासी का साधन नहीं है, जहां पर बिजली नहीं है, वहां पर भी लोग रहने के लिए मजबूर हो रहे है, इसका मतलब है उनके पास कहीं न कहीं आर्थिक संसाधनों की कमी होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी पूरी जिन्दगी की कमाई इकट्ठी करके एक छोटा सा प्लाट, 100 गज का प्लाट, डेढ़ सौ गज का प्लाट, दो सौ गज का प्लाट लेकर वहां पर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मान्यवर, मैं इस बात को प्रमाणिकता के साथ कह सकता हूं कि जो व्यक्ति अपने सारे जीवन की कमाई को लगाकर वहां पर रहने को तैयार हैं, वह किसी भी प्रकार से भू-माफिया नहीं है। समय के अन्तर्गत अगर किसी ने अपने उन प्लाटों को काटकर, मान्यवर, आवास विकास परिषद् के अन्तर्गत सोसाइटी बनाकर उन्हें प्लाट देने का भी अधिकार है, नियम में है, संविधान में है और प्रदेश में भी आवास विकास परिषद् है जो उसे देखता है उसके आधार पर भी लोगों ने मकान बनाये हैं। उनको सुविधाएं नहीं है, 40-40, 50-50 साल से जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके पीने के पानी की सुविधा नहीं है। अगर वह अपने हैण्डपम्प न लगा लें, विधायक या सांसद उनको हैण्डपम्प न दें तो उनको पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। केवल एक बार बारिश हो जाती है तो 2 महीने तक वहां जल निकासी नहीं हो पाती है। बारिश के दिनों में तो वहां निकलना मुश्किल हो जाता है। आवागमन के साधन बन्द हो जाते हैं उस समय किसी मेहमान को घर नहीं बुलाया जा सकता। बारिश के दिनों में लोग आने का कार्यक्रम स्थगित कर देते हैं। तमाम लोग अपने घरों में ताला डालकर कहीं न कहीं बाहर चले जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से भी ज्यादा बदतर हालत शहरी क्षेत्र की है। 50 प्रतिशत आबादी इन क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर है। हम उनको कोई साधन

नहीं दे रहे हैं, हम उनके लिए कोई ऐसी स्कीम्स ला नही रहे हैं। नगर निगम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आवास विकास विभाग के द्वारा भी अगर किसी स्थान पर कालोनी डेवलप की गयी है तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गयी है। मैंने आवास विकास विभाग के एक बड़े अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें मकान बनाने के लिए टारगेट मिल जाता है कि इतने मकान बनने हैं। उसमें विकास कैसे हो, सड़क कैसे बनेगी, बिजली कैसे आयेगी। वह कहते हैं कि हमारे को उससे मतलब नहीं है। जितना लक्ष्य तय किया गया है हमने उतने एक या दो कमरे के मकान बनाकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है। मान्यवर, सरकार का पैसा अपव्यय करके क्या इस तरह के मकान बनाकर उन मजबूर लोगों को छोड़ देंगे। चाहे विकास प्राधिकरण के द्वारा ही क्यों न हो। मान्यवर, कोई सुविधा नहीं है। मान्यवर, नये जिले बनाने की बात कही है। इसलिए मैंने कानपुर महानगर को दो जिलों में बांटने की बात कही है। उनसे कोई पूछता है कि कहा रहते हो, अगर बताये कि कानपुर में रहते हैं, तो कोई पूछे कि वहां क्या सुविधा है तो मान्यवर, बताते हैं कि हमारे पास पोस्ट आफिस की सुविधा नहीं है। परिवहन की सुविधा नहीं है, अस्पताल नहीं है, रह शहर में रहे हैं साधन किसी भी प्रकार के नहीं है। यह बड़ी गम्भीर चिन्ता की बात है। एक लोकप्रिय सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश में जो कोई भी रह रहा है उसको मूलभूत सुविधायें उपलब्ध होनी ही चाहिए। उसके लिए हम कोई नीति बना सकते हैं। उसके विकल्प के लिए हम आपस में बैठकर विचार-विमर्श कर सकते हैं। उस दिन भी मैंने प्रश्न के उत्तर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से इस बात का निवेदन किया था। इस तरह के जो मकान बन गये हैं उनको रेगुलर कैसे करेंगे। मान्यवर, 4 लाख से ज्यादा मकान इस प्रकार के बने हुये है। क्या सरकार उनको तोड़ देगी। मान्यवर, मैं छठी बार जीतकर आया हूं। मैंने कुर्सियां बदलते हुए देखा है, व्यक्तियों के चरित्र को बदलते हुए देखा है, भाषा बदलते हुए देखा है। सरकार कोई भी हो, लेकिन कुर्सी यही रहती है। बैठने वाला बदल जाता है। एक दूसरे पर यह इल्जाम लगाना कि पूर्व की सरकारों ने क्या किया, इस बात को कब तक दोहरायेंगे इसकी समय सीमा तय कर दी जाये। हम क्या कर रहे है यह बात होनी चाहिए। हमने क्या विचार किया इस बात को बतायें। आप बताइये आपने क्या प्लानिंग की है। आप विकास की बात करते है। आप प्रदेश में एक माहौल बनाना चाहते है कि सब लोग आकर हमारे यहां रहें। अब इंडस्ट्रीज के बारे में माहौल बनाना चाहते है। आप लां एण्ड आर्डर के बारे में माहौल बनाना चाहते है। शिक्षा के बारे में माहौल बनाना चाहते है। मान्यवर, इलाहाबाद विश्व स्तर का शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र कहा जाता था। आज कानपुर महानगर विश्व स्तर का एजूकेशन हब कहा जाता है। लेकिन जो छात्र पढ़ने के लिए आते है उनके पास बिजली ही नहीं है। वह कहां पर रहेंगे उनको पीने के लिए पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह पता ही नहीं है। हम किस प्रकार से उनके लिए साधन उपलब्ध करा सकते है इस पर विचार होना चाहिए। हाउस टैक्स, सीवर टैक्स ही केवल टैक्स नहीं हैं जो लोग देते है। हर प्रकार का टैक्स हर आदमी देता है। गोमती नगर में रहने वाला भी उतना ही टैक्स देता होगा जितना कि लखनऊ की बस्ती में रहने वाला एक आदमी टैक्स देता है। मान्यवर, मैं इस बात को प्रूफ कर सकता हूं और बड़ी प्रमाणिकता के साथ प्रूफ कर सकता हूं, जिस समय वह गरीब आदमी स्कूटर से जाता है, मोटरसाईकिल से जाता है, वह भी पेट्रोल के ऊपर उतना ही टैक्स देता है जितना गोमतीनगर में रहने वाला आदमी टैक्स देता है। मान्यवर, जब किसी भी चीज के ऊपर वैट लगता है तो उसके निर्धारित

नहीं किया जाता है कि यह वर्ग के लोग इतना देंगे, यह वर्ग के लोग इतना ज्यादा देंगे। मान्यवर, सबको बराबर से टैक्सेशन किया जाता है। अगर हाऊस टैक्स और सीवर टैक्स की बात है तो बड़े बंगले में बड़ी जमीन में रहने होंगे इसलिए थोड़ा सा ज्यादा देते होंगे, छोटी जगह पर छोटी जमीन पर रहते होंगे इसलिए कम देते होंगे, उसी अनुपात के हिसाब से कम देते होंगे, लेकिन टैक्स में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। मान्यवर, जब कमी नहीं है, राजस्व वसूली में जब आप किसी प्रकार की कमी नहीं करते हैं तो फिर उनको उनके अधिकारों से वंचित कैसे कर सकते हैं। जो भी सरकारें योजनाएं लाती हैं, आज भारत सरकार ने केन्द्र सरकार ने जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत बहुत सारी जगहों पर सीवर डालने का काम किया जा रहा है हजारों करोड़ रुपये की योजना प्रस्ताव में बताई गई है, पांच साल के लिए उनकी समय-सीमा तय थी, अब दो साल के लिए और आगे बढ़ा दी। श्रीमन् जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने लखनऊ के बारे में जांच कराने के लिए कहा, मैं चर्चा के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत लखनऊ में अगर हजार करोड़ का घपला हुआ है तो मैं प्रमाणिकता के साथ कह सकता हूं कि कानपुर में इससे कम घपला नहीं हुआ होगा, इसकी भी जांच कराई जाये। जांच करायेंगे नहीं, लिखकर देंगे उस पर भी कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करना चाहते हैं, आप मजबूत हैं, आप ईमानदार हैं, आपकी धमक है, आप प्रदेश के बहुत बड़े आसन पर बैठे हैं, धमक दिखाई पड़नी चाहिए। लोगों का यह विश्वास जिस विश्वास के कारण मैं सदन में इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जितने भी सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं, सब एक ही क्वालीफिकेशन से आते हैं वह जनता जिनको चुनकर भेजती है वह यहां पर आते हैं और मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं हम सबकी जिम्मेदारी भी उतनी ही है। सरकारें केवल सत्ता पक्ष से ही नहीं बनती है, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को मिला करके सरकार बनती है एक पक्षीय सरकार कभी भी नहीं बनती, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कभी था ही नहीं। तो जब हमारी जिम्मेदारी है तो हम क्यों नहीं इस पर बातचीत कर सकते, क्यों नहीं बहस कर सकते, जब हमारी जिम्मेदारी है तो हम क्यों नहीं उसका निराकरण निकाल सकते। मान्यवर, सरकार विभिन्न योजनाओं में पैसा देती है बस्ती में मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों के सर्वांगीण विकास की बात करती है। करनी चाहिए, उनको जरूरत है। उनको पानी की जरूरत है। वह बद्तर जीवन जीने के लिए मजबूर न हों, इसलिए उनकी चिन्ता करनी चाहिए। मान्यवर, लेकिन शहरों में बसने वाला एक वर्ग ऐसा भी है जो उस सीमा के एकदम बार्डर लाईन के ऊपर रहने के लिए मजबूर है। अपनी आन-मान, सम्मान अपनी इज्जत के लिए अगर उन बस्तियों में रहना छोड़कर अगर किसी दूसरे स्थान पर रहता है तो उसको किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह सच है। उनको हम सुविधायें दें। यह कह देना बड़ा आसान है कि भू-माफिया ने, मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर आपसे भी, आप प्रतापगढ़ ले लीजिए, कोई भी शहर ले लीजिए, आप जिस जिले से आते हैं मान्यवर, क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जिस जिले से आप आते हैं, उसमें 25 प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जो विकास प्राधिकरण या जो भी निर्धारित विभाग होगा, उसके हिसाब से नक्शे को पास कराकर पूरा का पूरा मकान बनाये हों। 25 परसेन्ट बहुत बड़ी संख्या बता रहा हूं मान्यवर, 10 परसेण्ट भी नहीं होंगे। क्या आप इस बात को कह सकते हैं, नहीं कह सकते, मुझे पता है नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जिस समय इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए

था, उस समय इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। आज समय है, नौजवान मुख्य मंत्री हैं, अपेक्षायें हैं, व्यक्ति के हिसाब से अपेक्षायें बढ़ जाती है अगर वह अपेक्षाओं को बढ़ाने के बाद अगर वह बढ़ी हुई अपेक्षायें तो उन अपेक्षाओं को कैसे पूरा करने के लिये बात करें। अपना पल्ला झाड़ने से मान्यवर काम नहीं चलेगा। मुझे उस दिन बड़ी तकलीफ हुई, मेरे मन में बड़ी वेदना थी, बड़ा दुःख था कि जिस समय मैं उस गरीब आदमी की बात कर रहा था, उस समय मा0 मंत्री जी ने कहा कि यह भू-माफिया हैं, काहे के भू-माफिया क्यों भू-माफिया है, इसलिए भू-माफिया हैं कि वह वहां पर रहने के लिए मजबूर हैं, जहां पर एक दिन अगर पानी बरस जाये तो दो महीने तक वहां से पानी की निकासी नहीं हो सकती, इसलिए भू-माफिया हैं कि वहां पर बीमारी पैदा हो जाय, अपनी बीमारी पैदा होने के कारण वह बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। कई-कई अवसरों पर मान्यवर, वह उन परिस्थितियों तक पहुंच जाते हैं जहां से आदमी लौट कर वापस नहीं आता है, इसलिये वह भू-माफिया हैं, नहीं यह जवाब नहीं है। जवाब आना चाहिये था कि हम इसके लिये विचार करेंगे, एक नीति बनायेंगे, अलग-अलग डिपार्टमेंट के साथ बैठ कर हम इसके ऊपर विचार-विमर्श करेंगे सोचेंगे कि कैसे उसके लिये रास्ता निकाला जाए। लखनऊ की बात कर लें यहां से लखनऊ से थोड़ा सा आप बाहर जाइये, कितनी संख्या है, कितने लोग रह रहे हैं। लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है संख्या, लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिये क्या परियोजना है ? मान्यवर, मैं यह बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, एक और बात है इसी से सम्बन्धित हमने देखा है कि बहुत से डेवलप देशों में, बहुत से हमारे सम्मानित सदस्य गये होंगे, नहीं भी गये होंगे तो आजकल टेलीविजन सब कुछ दिखा देता है। हम हांगकांग गये थे, मान्यवर, तो पता चलता है कि वहां पर 150 मंजिल की बिल्डिंग है तथा 60-65 मंजिल से कम की बिन्डिंग का नक्शा ही नहीं पास होता है, कि इतना तो कम से कम होना ही चाहिये। हम एफ0ए0आर0 (फ्लोर एरिया रेशियो) देंगे 1.25 का कहेंगे ग्राउण्ड प्लस वन आप बना सकते हैं, उसके अलावा आप बना नहीं सकते। किसी एक परिवार में उस परिवार के बड़े के पास 500 गज या 600 गज जमीन होगी और उसके चार बच्चे होंगे तो वह कहेंगे कि 600 गज जमीन है हम 200-200 गज में मकान बनाकर उसमें 4 यूनिट बना दें तो उस बात की इजाजत नहीं है। खेतों में लोग कहते हैं कि खेत काटकर खेती को नष्ट करके वहां मकान बनाये जा रहे हैं, तो वह बनाए नहीं जाने चाहिये। स्वाभाविक रूप से नहीं बनाए जाने चाहिये, क्योंकि जब तक उसका प्लानिंग नहीं होगा, तब तक वह बनाए नहीं जाने चहिये। वह नहीं बनाए जाने चाहिये लेकिन जो बनाये जाने चाहिये उसमें हम क्या योगदान कर रहे हैं ? मान्यवर, मैं इस प्रदेश की बात करना चाहता हूं, मैं कहीं बाहर नहीं जाना चाहता हूं, नोएडा में आप इस बात की इजाजत देंगे कि 3 का एफ0ए0आर0 आपको अनुमन्य है। बिल्डर को जिस भी कारण से दिया गया हो, उसका कारण मुझे नहीं मालुम, लेकिन उसके लिये आपको तीन एफ0ए0आर0 आपको अनुमन्य है, लेकिन एक परिवार अगर वह अपने लिये मकान बनाना चाह रहा है तो आप उसके लिये आप अनुमन्य नहीं करना चाहते हैं, शहरों को आप ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं या फिर आप वर्टीकल उसको देखना चाहते हैं। हॉरीजेन्टल देखना चाहते हैं या वर्टिकल करना चाहते हैं। कैसे आप शहरों को देखना चाहते है। बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ा-बड़ा पैसा लगाकर बन रही है, आज कल किसी भी शहर में चले जाएं, बड़ी-बड़ी सीवर लाइन डालने का काम हो रहा है। सीवर लाइन्स डालने का तो काम हो रहा है लेकिन उसका उपयोग क्या है। आप कहते रहो एफ0ए0आर0

उनको बढ़ाना है तो आप कहते रहो वह कहेंगे कि नहीं, नहीं बढ़ायेंगे। कुछ अधिकारी हैं, जो उनका मन करता है वह करते है अगर आदरणीय, संसदीय कार्य मंत्री जी एवं मा0 नगर विकास मंत्री जी, यहां होते तो मुझे अच्छा लगता उनके सामने इस बात को कहते हुए क्योंकि वह वो व्यक्ति हैं, जिनको मैंने अधिकारियों के सामने कहते हुए सुना है कि तुम मुझे न समझाओ लेकिन मुझे बड़ा दुःख होता है कि वह भी अगर उनकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाए। वास्तविकता जमीनी धरातल पर वास्तविकता समझने की जरूरत है। जमीन पर क्या हो रहा है मान्यवर, यह इस बात को समझने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से कुछ बातें रखी कि जो बाहरी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के विकास के लिए कोई न कोई योजना बनाई जाए। उसका कट आउट डेट निकाल दिया जाए कि जो लोग 15 साल से बसे हुए हैं, 20 साल से बसे हुए हैं, 50 साल से बसे हुए हैं। यहां पर मान्यवर, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जो शहरी क्षेत्रों से लगे हुए क्षेत्र थे, पिछले 30-40 वर्षो से बसे हुए हैं। वहां पर अब वह सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन मान्यवर, वह रेगुलराइज नहीं हैं। मान्यवर, रेगुलराइजेशन का क्या सिस्टम होगा ? अवस्थापना सुविधाएं देने का क्या सिस्टम होगा ? हम इसको अलग-अलग डिफरेंसिएट कर सकते हैं क्या। हम क्षेत्र में विकास बनाने के लिए कुछ सहयोग ले सकते हैं उनसे। इनसे मान्यवर, बहुत सारी बातें हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब मैं यह कह रहा हूं तो मुझे मालूम है कि मुझसे ज्यादा आप पुराने सदस्य हैं। आपके साथ बैठने का कई बार अवसर मिला है। आपको पता है कि शहरों में किस प्रकार से आबादी बढ़ रही है। अगर 40 प्रतिशत आबादी 2025 तक होगी तो हम आज के हिसाब से उनको अवस्थापना सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, कल जो लोग आयेंगे वह हमें जिम्मेदार ठहरायेंगे मान्यवर। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय पर जो मैंने संकल्प प्रस्तुत किया है। मैं चाहता हूं कि कुछ सम्मानित सदस्यों के इसके ऊपर विचार आ जाएं और विचार आने के बाद मान्यवर, जिस समय आप संकल्प को वापस लेने के लिए बात कहेंगे, उस समय मेरा निवेदन यह है कि किसी भी पार्टी का कोई व्हिप नहीं है और जब व्हिप नहीं है तो कोई मजबूरी भी नहीं होती है कि हमें पक्ष में वोट देना है या विपक्ष में वोट देना है। अंतरात्मा के हिसाब से अगर आप समझते हैं कि शहरी क्षेत्रों में, हर जगह शहरी क्षेत्र हैं, चाहे वह टाउन एरिया हो, चाहे नगर पालिका को, चाहे नगर निगम हो, चाहे छोटे शहर हो, चाहे बड़े शहर हो। हर जगह यह समस्या है। मान्यवर, आज आपके माध्यम से इस सदन को मैं इस बात का गवाह बनाना चाहता हूं, जो लोग चुनकर उनकी बातें करने के लिए आते हैं। अगर उनकी हित की बात पर यहां पर चर्चा होती है। तो उसके पक्ष में कितने लोग खड़े होते हैं और विपक्ष में कितने लोग खड़े होते हैं, इस बात पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीतिक भाव से ऊपर उठकर जनता के हित की भावना से मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो सरकार के विरोध में हो, मैंने कोई ऐसी ऐसी बात नहीं की जिससे सरकार पर कोई आरोप लगता हो, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाए, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिस पर सोचना पड़े कि हमको क्या करना चाहिए। अन्तरात्मा से अगर आप सोचते हैं कि शहरी क्षेत्र की बढ़ती हुई आबादी में जो लोग रह रहे हैं, वहां उनके लिए अवस्थापना सुविधाएं मुहैय्या करायी जानी चाहिए तो उसके लिए आप एक पॉलिसी बना लीजिए, आप कोई नियम बना लीजिए। आप कहें विधायक अपनी विधायक निधि से इतना पैसा देगा, सांसद अपनी सांसदनिधि से इतना पैसा देगा, सरकार इतना पैसा देगी, केन्द्र सरकार इतना पैसा देगी,

केन्द्र सरकार तो हजारों करोड़ रुपया देगी, वह अपने पास से नहीं देगी बल्कि वह उसी पैसे से देती है जो टैक्स दिया जाता है। अगर गोमतीनगर में रहने वाला टेलीफोन खरीदता है तो जितना वह टैक्स देता है उतना ही अन्य जगह पर रहने वाला भी टैक्स देता है। तो जब वह राजस्व उतना ही देता है तो उसका उतना ही अधिकार भी है और उस अधिकार को हम लोग यहां बैठे हुए लोग देने का प्रयास करें। मैं चाहूंगा कि मेरे संकल्प पर जो सदस्य बैठे हैं वह अपने विचार रखें, उनके महत्वपूर्ण सुझावों पर सरकार ध्यान दे और जब उस पर आप वोटिंग करायें तो मेरा निवेदन है कि सब लोग राजनैतिक भाव से ऊपर उठकर मेरे पक्ष में वोटिंग करें, अभी मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी चर्चा आगे जारी रहेगी, अब मैं अन्य विषय लेता हूं।

श्री विजय कुमार दुबे-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने हेतु प्रभावी कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

आप इसके बाद उठाइयेगा।

*डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाए।

आगरा महानगर में यातायात की सुगमता हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिए प्रभावी कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव

डा0 धर्मपाल सिंह-

''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर में यातायात की सुगमता हेतु मेट्रो ट्रेन चलाए जाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए।''

आगरा महानगर की ऐतिहासिक महत्ता के दृष्टिगत आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने के लिए प्रभावी कार्रवाई किए जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव

*डा0 धर्मपाल सिंह-

''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर के ऐतिहासिक महत्ता के दृष्टिगत आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए।''

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

यह चर्चा जारी रहेगी।

जन प्रतिनिधियों का घर पर सुरक्षित होने तथा प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था पर व्यवस्था का प्रश्न

*श्री विजय कुमार दुबे-

मान्यवर, इसे व्यवस्था का प्रश्न या व्यक्तिगत प्रश्न भी कह सकते हैं, जबसे हम लोग इस सदन में आये हैं तब से लगभग रोज कानून-व्यवस्था पर चर्चा सुनते आये हैं। प्रदेश सरकार कहती आयी है कि कानून-व्यवस्था सुदृढ़ है और विपक्ष कहता आया है कि नहीं सुदृढ़ है। मैं एक घटना की ओर ध्यान आकृष्ट करना चहता हूं गोरखपुर महानगर के बीच में मेरा आवास 64 बी, माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी की डिस्पेंसरी के सामने है, 13 तारीख की रात में जब मैं वहां पहुंचता हूं, एक तिलक में सम्मिलित होकर खड्डा विधान सभा से लखनऊ आने के लिए जब मैं रात्रि के करीब 1 बजे पहुंचता हूं तो अन्दर से मेरे दरवाजे का सारा लॉक तोड़कर सारे सामान की चोरी कर ली गई। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि यहां जनता की आवाज उठाने आये माननीय सदस्यगण के घर सुरक्षित नहीं हैं तो जनता का घर और उनका सामान कैसे सुरक्षित रहेगा। सामान चोरी हो गया, उसकी कोई चिन्ता नहीं सामान फिर आ जाएगा लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इस घटना का पर्दाफाश हो जाए ताकि आने वाले दिनों में इससे बड़ी कोई और घटना न हो।

*संसदीय कार्य, नगर विकास राज्य मंत्री (श्री चितरंजन स्वरूप)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी ने जो बताया है, यह गम्भीर विषय है और इस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार के आदेश दिये जाएंगे।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 15 जून, 2012 को नियम-51 की कुल 41 सूचनाएं स्वीकृत की गईः--

पहली सूचना श्री अब्दुल मशहूद खां की श्रावस्ती की तहसील भिनगा में स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध बालू खनन कराने तथा करोड़ों रुपए के सरकारी राजस्व का नुकसान पहुंचाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री मदन गोपाल वर्मा की जनपद फतेहपुर के क्षेत्र जहानाबाद में यमुना नदी पर पीपे के पुल के स्थान पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री सुनील कुमार सिंह यादव की लखनऊ के गढ़ीकनौरा में खुले एवं गन्दे नाले से हो रही दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्रीमती लाल मुन्नी सिंह की जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था ठीक कराये जाने एवं रात में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माओवादियों द्वारा की जा रही लूट-खसोट को रोकने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवीं सूचना श्री राधेश्याम सिंह की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा, कुशीनगर में बस डिपो की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठी सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में स्थापित विद्युत उप केन्द्र का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय की इलाहाबाद अन्तर्गत मेजा रोड कोडहार खीरी मार्ग के गड्डायुक्त होने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की बहराइच के कैसरगंज विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठीक करने के लिये दूसरा फीडर लगाये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना श्री उमाशंकर की विधान सभा रसड़ा बलिया अन्तर्गत 20 साल पहले स्वीकृत हुये राजकीय बालिका विद्यालय के भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की जनपद मेरठ में घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं सूचना श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ बृजेश सिंह की जनपद गोरखपुर के नगर पंचायत क्षेत्र सहजनवां में विद्युत आपूर्ति गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के फीडर से कराये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। बारहवीं सूचना श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत घाघरा नदी के किनारे स्थित परसिया, जैरामगिरी, सूरजपुर आदि ग्रामों के किनारे बांध का उच्चीकरण एवं बोल्डर पिचिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तेरहवीं सूचना श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की जनपद बस्ती सदर के कतिपय गड्ढा युक्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत की गईं :-

1-श्री राज नारायण बुधौलिया, 2-श्री पंकज मलिक, 3-श्री अजय मिश्रा, 4-श्री राम चन्द्र यादव, 5-श्री विजय बहादुर यादव, 6-श्री सुशील सिंह, 7-श्री धर्मपाल सिंह, 8-श्री सुरेश कुमार खन्ना, 9-श्री दीपक पटेल, 10-श्री काली चरन सुमन, 11-श्री गायत्री प्रसाद, 12-ठा0 सूरज पाल सिंह, 13-श्रीमती हेमलता चौधरी, 14-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, 15-श्री राधेश्याम, 16-डा0 महेश शर्मा, 17-श्री जगन प्रसाद गर्ग, 18-ठा0 दलवीर सिंह, 19-श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट, 20-श्री जय प्रकाश अंचल, 21-श्री मुकेश श्रीवास्तव, 22-श्री कमाल यूसुफ मलिक, 23-कुंवर कौशल सिंह, 24-श्री विजय कुमार, 25-श्री भीम प्रसाद सोनकर, 26-श्रीमती रजनी तिवारी, 27-डॉ0 धर्मसिंह सैनी तथा 28-श्री रमेश चन्द्र बिन्द।

श्री अजय मिश्रा-

मान्यवर, बहुत सारे माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं इसलिये उनके स्थान पर मेरी सूचना ले ली जाए।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड पसगवां में आंधी/तूफान से क्षतिग्रस्त विद्युत पोलों को बदलवाए जाने के सम्बन्ध में श्री अवस्थी बाला प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास राज्य मंत्री (श्री चितरंजन स्वरूप)-

मान्यवर, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रश्नगत सूचना के माध्यम से निम्न बिन्दु ....

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री चितरंजन स्वरूप-

[जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड पसगवां के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बचगवां में लगे विद्युत पोल तेज आंधी/तूफान में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये हैं, जिससे क्षेत्र में विद्युत सप्लाई बाधित होने के कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त विद्युत पोलों को ठीक किये जाने हेतु उच्च अधिकारियों से कई बार अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु अभी तक शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत कराना है कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड पसगंवा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बचगवां में विद्युत आपूर्ति 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मोहम्मदी से निकलने वाले 11 के0वी0 फीडर उचौलिया से की जाती है। माह जून, 2011 में तेज आंधी तूफान के कारण विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गये थे, जिससे उक्त क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई थी। उक्त क्षेत्र में टूटे हुए पोलों के स्थान पर माह मई, 2012 के प्रथम सप्ताह में 20 नग पोलों से शार्ट कट लाइन बनाकर उसी फीडर से विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई है तथा शिड्यूल के अनुसार 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति आदेशित है। टूटे हुए पोलों का मलवा अभी नहीं हटा है, जिसका निस्तारण अगले एक माह में करा दिया जायेगा।]

श्री अधिष्ठाता-

जिसकी सूचना अस्वीकृत हो गई, उस पर विचार नहीं कर सकते।

उत्तर प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों को निबन्धन, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश द्वारा वैद्यनाथन सहायता पैकेज की शर्तों के पूरा न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास राज्य मंत्री (श्री चितरंजन स्वरूप)-

श्री सतीश महाना, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में यह उल्लेख किया गया है .....

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

माननीय अधिष्ठाता जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री चितरंजन स्वरूप-

[कि उत्तर प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों को केन्द्र सरकार द्वारा गठित वैद्यनाथन सहायता पैकेज द्वारा सहायता निर्धारित शर्तों के द्वारा प्राप्त होनी थी। यह सहायता राशि लगभग 70 वर्षों से ऋणों के बकाये इत्यादि से हुए बैंकों के घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु थी। उक्त सहायता हेतु शर्तों की पूर्ति की जानी थी। उक्त शर्तों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व निबन्धक, सहकारी समितियां, शासन, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक का था, लेकिन इन स्तरों पर कतई लापरवाही बरती गई जिसके कारण वैद्यनाथन सहायता की राशि समय पर नहीं मिल पाई जिससे बैंकों को बड़े पैमाने पर आर्थिक क्षति हुई। अभी भी केन्द्रीय सरकार ने 922 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार से 350 करोड़ की धनराशि प्राप्त नहीं हो पाई है, जिसके कारण प्रदेश के 25 बैंक बैंकिंग मानकों की पूर्ति नहीं कर पाये तथा संबंधित अधिकारियों ने नाबार्ड एवं रिजर्व बैंक की चेतावनियों को नजरअन्दाज कर दिया। बैंकों की इस स्थिति के कारण रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा-35 (ए) (1) के अन्तर्गत 25 बैंकों पर नये डिपाजिट लेने पर रोक लगा दी है। इस प्रतिबन्ध के कारण बैंकों में अफरातफरी का माहौल है तथा ग्राहक अपनी जमा धनराशि को बैंकों से निकाल रहे हैं। इस स्थिति से अन्ततः भुगतान संकट उत्पन्न हो जायेगा तथा यह बैंक बैंकिंग कार्य रोकने के लिये बाध्य हो जायेंगे। जिला सहकारी बैंक लगभग 100 वर्षों से किसानों की नकदी, उर्वरक इत्यादि की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। बैंक बन्दी से प्रदेश के अन्य बैंकों की साख पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिससे अन्य बैंकों के अस्तित्व को खतरा है। बैंक बन्द होने से कर्मचारियों के परिवार भी भुखमरी के शिकार होंगे।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पैक्स एवं जिला सहकारी बैंकों की दिनांक 31-3-2004 की अंकेक्षित संतुलन पत्र में दर्शित संकलित हानि की प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार, नाबार्ड तथा राज्य सरकार के मध्य दिनांक 18-12-2006 को वैद्यनाथन रिवाइवल पैकेज सहमति ज्ञापन-पत्र हस्ताक्षरित किया गया। सहमति ज्ञापन पत्र के अनुसार रिवाइवल पैकेज में भारत सरकार का अंश रु0 1545.69 करोड़ तथा राज्य सरकार का अंश रु0 265.68 करोड़ निर्धारित किया गया था।

रिवाइल पैकेज की केन्द्रांश की धनराशि रु0 154569 करोड़ अवमुक्त किये जाने हेतु नाबार्ड द्वारा निर्धारित समस्त कार्यवाहियां-अधिनियम, नियमावली व उपविधि में संशोधन, निर्वाचन, फिट एवं प्रापर क्राइटेरिया का अनुपालन, प्रोफेशनल डायरेक्टर की नियुक्ति, 25 प्रतिशत से अधिक राज्य अंशपूँजी को अनुदान में परिवर्तित करना, वायदाकृत देयताओं को अवमुक्त करना, विशेष आडिट का अनुपालन तथा अपात्र पैक्स की कार्य योजना एवं राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करना-समस्त कार्यवाहियां राज्य सरकार द्वारा पूर्ण की जा चुकी हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा रिवाइवल पैकेज के बेंचमार्क के अन्तर्गत निर्धारित समस्त कार्यवाहियों को पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप भारत सरकार ने अब तक रुपये 1545.69 करोड़ में से रु0 623.41 करोड़ अवमुक्त कर दिया है, जबकि अभी रु0 922.28 करोड़ केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त होना शेष है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने राज्यांश के रूप में अपना सम्पूर्ण अंश रु0 265.68 करोड़ अवमुक्त कर दिया है।

राज्य सरकार द्वारा उक्त सम्बन्ध में पूर्ण की गयी समस्त कार्यवाहियों की पुष्टि अपर सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र दिनांक 13-9-2011 द्वारा करते हुए नाबार्ड से केन्द्रांश की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया है। इसी क्रम में निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 05-12-2011 मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 24-12-2011 पत्र दिनांक 12-04-2012 तथा पत्र दिनांक 28-05-2012 द्वारा भी केन्द्रांश की अवशेष धनराशि रु0 922.28 करोड़ अविलम्ब अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदेश के 25 जिलों सहकारी बैंकों के लिये नई जमायें स्वीकार करने पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाने तथा उन्हें लाइसेन्स निर्गत कराकर पूर्व की भांति कार्य करने की अनुमति दिये जाने हेतु निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 18-5-2012 द्वारा सचिव, वित्त, भारत सरकार, कार्यकारी निदेशक, आर0बी0आई0 तथा क्षेत्रीय निदेशक, आर0बी0आई0 से अनुरोध किया गया है तथा इसी क्रम में मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 21-5-2012 के माध्यम से गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्री, भारत सरकार एवं कृषि मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।]

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मद संख्या-15 के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण चाह रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-15 श्री सतीश महाना जी से सम्बन्धित है और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है, इसमें आपको पूछने का अधिकार नहीं है।

श्री सतीश महाना-

माननीय अधिष्ठाता जी, वक्तव्य सदन में आ गया है तो यह सदन की प्रापर्टी है और कोई भी सदस्य अगर स्पष्टीकरण पूंछ सकता है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह जो वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रिजर्व बैंक ने 25 बैंकों को रोक लगायी है नये धन स्वीकृत करने के लिए। उसके जो मानक हैं, उन मानकों में कुछ मानक पूर्ण न होने की वजह से इन बैंकों पर रोक लगायी गयी है। जिसमें करीब पांच हजार करोड़ रुपया इन बैंकों में जमा है, तीन हजार इम्पलाइज की तनख्वाह बची है। वह मानक बहुत छोटे-छोटे हैं, जिनको पूरा करने में सरकार सक्षम है। अगर इच्छाशक्ति हो तो 10-15 में वह मानक पूरे करके फिर वह रिजर्व बैंक को कह

सकते हैं कि हमने मानक पूरा कर लिया और वह कार्यवाई पूरी हो सकती है। तो क्या जो मानक हैं, जो छूट गये हैं, बहुत सामान्य से हैं। अगर मंत्री जी कहें तो उसको भी गिना सकता हूं। वैसे मंत्री जी के संज्ञान में वह मानक होंगे। यदि मानक सरकार जल्द से जल्द पूरा करा दे तो हमें रिजर्व बैंक से इस तरह की रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ मानक पूर्ण कराकर सूचना दे दें तो भी वह चीजें पूरी हो जायेंगी। तो क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में कुछ बताना चाहेंगे ?

श्री चितरंजन स्वरूप-

मान्यवर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदेश के 25 जिला सहकारी बैंको के लिये नई जमायें स्वीकार करने पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाने तथा उन्हें लाइसेंस निर्गत कराकर पूर्व की भांति कार्य करने की अनुमति दिये जाने हेतु निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 18-05-2012 द्वारा सचिव, वित्त भारत सरकार, कार्यकारी निदेशक, आर0बी0आई0 तथा क्षेत्रीय निदेशक, आर0बी0आई0 से अनुरोध किया गया है।

श्री सतीश महाना-

ये चीजें तो वक्तव्य में दी गयी हैं।

श्री चितरंजन स्वरूप-

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय सहकारिता मंत्री और मुख्य मंत्री जी की नाबार्ड के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा हो चुकी है और उनसे अनुरोध भी किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र कार्यवाई हो रही है। उनका बयान भी सदन में आ चुका है और प्रभावी कार्यवाई हो रही है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी ने प्रभावी कार्यवाई का आश्वासन दे दिया है इसलिए अब आप बैठ जायं।

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिंदवारी के ग्राम खपटिहा कला में दिनांक 10 जून, 2012 को हुए भीषण अग्निकाण्ड से हुई तबाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दलजीत सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास राज्य मंत्री (श्री चितरंजन स्वरूप)-

मा0 सदस्य द्वारा अपनी उक्त सूचना के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्राम खपटिहा कला की आबादी लगभग 25000 है जहां पर भिन्न-भिन्न समुदाय के लोग रहते हैं।.....

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

माननीय अधिष्ठाता जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री चितरंजन स्वरूप-

[गांव में दिनांक 10-06-2012 को लगभग 11.30 बजे पूर्वाह्न भीषण अग्निकाण्ड हो गया है। गांव के जिस क्षेत्र में अग्निकाण्ड हुआ है, वहां पर ज्यादातर गरीब तबके के लोग एवं मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। गांव खपटिया कला में हुए भीषण अग्निकाण्ड से अनेकों लोग एवं पशु हताहत हुए हैं। लोगों की लाखों की सम्पत्ति जलकर राख हो गई है। उक्त अग्निकाण्ड में लगभग 200 परिवारों के मकान जल गये हैं, उनके पास इस समय रहने खाने और पहनने के लिये कुछ भी नहीं बचा है। चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची हुई है। प्रशासन द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की राहत सामग्री नहीं भेजी गई है जिससे पीड़ित परिवारों को कुछ राहत मिल सके। पीड़ित परिवारों को राहत देने में जिला प्रशासन पूरी तरह उदासीन है। पीड़ित परिवारों के बच्चे, महिलायें, वृद्धजन आदि सभी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इस समय प्रचण्ड गर्मी का मौसम चल रहा है। उक्त गांव के अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों के लिये जिला प्रशासन द्वारा तत्काल राहत सामग्री वितरित कराई जाय, शासन द्वारा आपदा राहत कोष से अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दी जाय तथा 200 अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को रहने के लिये एक-एक आवास बनवाकर दिया जाय ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2-उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 10-6-2012 को ग्राम खपटिया कला तहसील बांदा में समय 12.05 बजे दोपहर को अचानक आग लग गई जिससे 19 कच्चे रिहायशी मकान व 08 कच्चे गैर रिहायशी मकान प्रभावित हुए हैं। रिहायशी मकान में से 21 परिवारों को नियमानुसार अहैतुक सहायता रु0 2700/-प्रति परिवार की दर से कुल धनराशि रु0 56,700/-चेक के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। दो परिवारों को आंशिक गृह अनुदान रु0 1900/- प्रति की दर से कुल रुपया 3800/- एवं दो परिवारों के अत्यधिक प्रभावित होने पर गृह अनुदान रु0 3200/- की दर से कुल रुपया 6400/- और शेष 15 परिवारों को जिनके कच्चे रिहायशी मकान पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, को रु0 15000/- की दर से कुल रुपये 2,25,000/- की धनराशि का चेक जिला प्रशासन द्वारा निर्गत कर दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि इस भीषण अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान की गई है।]

श्री दलजीत सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि बांदा जनपद के कमासिन ब्लाक के तेलौसा गांव में अभी एक महीना पूर्व आग लगी थी, वहां मुख्य मंत्री राहत कोष से 25,000-25,000 रुपये की सहायता दी गई है। मेरा अनुरोध है कि तिन्दवारी ब्लाक के खपटिया कला के लोगों को भी 25,000- 25,000 रुपये की सहायता राशि मिल जाए तो महान कृपा होगी।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री चितरंजन स्वरूप-

इसको दिखवा लिया जायेगा और जो भी सम्भव हो सकेगा, किया जायेगा।

जनपद बस्ती के प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग में तैनात अधिशासी अभियन्ता द्वारा मनमाने तरीके से टेंडर में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास राज्य मंत्री (श्री चितरंजन स्वरूप)-

श्री भीम प्रसाद सोनकर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 11-06-2012 को यह सूचना दी गई है कि जनपद बस्ती के लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता, श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव एवं अधीक्षण अभियंता, बस्ती वृत्त .....

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

माननीय अधिष्ठाता जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री चितरंजन स्वरूप-

[श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 23-05-2012 व दिनांक 25-05-2012 को निविदायें खोली गईं जिसमें पेपर प्रकाशन से लेकर निविदा टेण्डर बाक्स बिक्रीकर डलवाने एवं खुलवाने तक सारे नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया और जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर वह टेण्डर प्रक्रिया मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर के निर्देश पर निरस्त की गई। यह दोनों अभियंता पूर्व में भी जहां-जहां तैनात रहे हैं इसी प्रकार की पूरी कार्यवाही करते रहे हैं। जानबूझकर और अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिये यह पूरी कार्यवाही इन दोनों अभियंताओं द्वारा की गई है। इसी प्रकार इन दोनों अभियंताओं द्वारा तैनाती जगहों पर भी खुलेआम पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। इन दोनों अभियंताओं के पास अरबों की प्रापर्टी है, इसकी भी जांच होनी चाहिये। जब टेण्डर प्रक्रिया में गलती हुई और निरस्त हुआ तो सीधे दोनों अभियन्ताओं को दण्डित भी किया जाना चाहिये था, परन्तु इनके सजातीय एक अभियन्ता जो मुख्यालय में तैनात हैं द्वारा बचाने का कार्य किया जाता रहा है। यह गम्भीर प्रकरण है, तत्काल ऐसे गलत कार्य करने वाले दोनों अभियन्ताओं को दण्डित करते हुए पूरे प्रकरण की सतर्कता जांच कराये जाने की आवश्यकता है।

2-उक्त के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बस्ती के द्वारा जिला योजना नाबार्ड-17 एवं नवीनीकरण के कार्यों हेतु तीन लाट में कुल 130 कार्यों की निविदायें आमंत्रित की गई थीं। निविदाओं की कुल लागत रु0 21.50 करोड़ है। ये समस्त निविदायें अधिशासी अभियन्ता के अधिकार क्षेत्र की थी।

प्रथम लाट जिसमें 62 कार्य थे की निविदायें समाचार-पत्र स्वतंत्र भारत में दिनांक 17-5-12 को प्रकाशित हुई। द्वितीय लाट में 61 कार्य थे, जो राष्ट्रीय सहारा व दैनिक जागरण समाचार-पत्र में

दिनांक 17-5-12 को प्रकाशित हुई। तृतीय लाट जिसमें 07 कार्य थे जो स्वतंत्र भारत समाचार-पत्र में दिनांक 18-5-2012 को प्रकाशित हुई इस प्रकार समस्त निविदाओं का प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ तथा व्यापक प्रचार प्रसार हुआ।

निविदाओं की बिक्री जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य अभियन्ता कार्यालय, अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता कार्यालय एवं पंजाब नेशनल बैंक सहित कुल पांच स्थानों से होती है। निविदाओं की बिल आफ क्वान्टिटी जो निविदा का ही पार्ट है, उक्त सभी कार्यालयों में अधिशासी अभियन्ता द्वारा बिक्री हेतु उपलब्ध कराई जाती है। लाट संख्या 1 व 2 के क्रमांक 1 से 26 तक के कार्यों तथा लाट संख्या-3 के सातों कार्यों से सम्बन्धित कार्यों की बिल ऑफ क्वान्टिटी मुख्य अभियन्ता कार्यालय में तथा लाट संख्या-3 के सात कार्यों से सम्बन्धित कार्यों की बिल ऑफ क्वान्टिटी वृत्तीय कार्यालय में अधिशासी अभियन्ता द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

प्रथम लाट की निविदायें जिसमें 62 कार्य थे वे दिनांक 23-5-12 को खोली गई तथा लाट संख्या-2 व 3 की निविदायें दिनांक 25-5-2012 को खोली गई। 130 कार्यों पर कुल 230 निविदाओं की बिक्री हुई तथा 184 निविदायें बाक्स में पाई गई। टेण्डर बाक्स में प्राप्त सभी निविदायें जिलाधिकारी बस्ती के कार्यालय में दिनांक 23-5-2012 व 25-5-2012 को निविदा कमेटी के समक्ष खोली गई जिसमें दिनांक 23-5-2012 को जिलाधिकारी द्वारा नामित श्री देवी दास, मुख्य राजस्व अधिकारी एवं दिनांक 25-5-2012 को जिलाधिकारी द्वारा नामित श्री सोम दत्त मौर्य एस0ओ0सी0 भी उपस्थित थे। निविदा खोलते समय मौके पर पुलिस बल भी मौजूद था।

उक्त निविदाओं की बिक्री के सम्बन्ध में श्री राज कपूर यादव, जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, बस्ती द्वारा की गई शिकायत मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0 गोरखपुर के कार्यालय में दिनांक 26-5-2012 को प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत की प्रारम्भिक जांच के उपरान्त मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0 गोरखपुर द्वारा यह पाया गया कि टेण्डर की बिक्री में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया जिसके दृष्टिगत मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र लो0नि0वि0 गोरखपुर के पत्र संख्या-573/टी0सी0 गो0क्षेत्र/12, दिनांक 26-5-2012 द्वारा उक्त निविदाएं निरस्त कर दी गई तथा मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0 गोरखपुर के पत्र दिनांक 13-6-2012 द्वारा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के स्थानान्तरण हेतु प्रमुख अभियन्ता (विकास) लो0नि0वि0 लखनऊ की संस्तुति की गई है। सम्बन्धित अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।

श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव की तैनाती प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, संतकबीरनगर से प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बस्ती में दिनांक 09-04-2012 को तथा श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव की तैनाती बस्ती वृत्त लो0नि0वि0, बस्ती में दिनांक 17-4-2012 को हुई थी।

जहां तक उक्त अभियन्ताओं द्वारा पूर्व तैनाती स्थानों पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जानबूझकर अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने एवं पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार आय से अधिक अनानुपातिक सम्पत्ति होने के सम्बन्ध में भी साक्ष्य सहित यदि कोई शिकायत प्राप्त

होती है तो उसके सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अतएव अभी सतर्कता जांच कराने का औचित्य नहीं है। इसी प्रकार मुख्यालय में तैनात अभियन्ता द्वारा उक्त अभियन्ताओं को बचाने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध नहीं है।]

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अधिशासी अभियन्ता, श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव का स्थानान्तरण तो हुआ लेकिन उनके भ्रष्टाचार की जांच नहीं हुई। जो निविदा पड़ी थी वह निरस्त हुई।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी जो मा0 सदस्य कह रहे हैं इसको दिखवा लीजिएगा।

वाह्य सहायतित परियोजना, डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास, खेलकूद व युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)-

मान्यवर, मैं मा0 सदस्य की तरफ से रख रहा हूं। यह बस्ती का मामला है, टेण्डर जो पड़ा, मान्यवर, मैं इसमें आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसमें टेण्डर जो हुआ, उस पर दरख्वास्त पड़ा। मुख्य अभियन्ता गोरखपुर ने निरस्त कर दिया और लिखा है कि अनियमितता पाई गई। उन्होंने यह भी लिखा है कि इनका स्थानान्तरण कर दिया जाय तो न तो अभी तक स्थानान्तरण हुआ न ही उनके भ्रष्टाचार की जांच हुई उनके खिलाफ कार्यवाही भी अभी तक नहीं हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि जनप्रिय सरकार को यह अधिकारी लोग बदनाम करते हैं और सदन को गुमराह करते हैं। इस पर मैं कार्यवाही की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी इस मुद्दे को दिखवा लीजिए और माननीय सदस्य की भावनाओं के अनुसार कार्यवाही करवा दीजिए।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में ओकारा शुगर प्राइवेट लि0 की खरीददारी घोटाले की जांच एवं छितौनी चीनी मिल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार दुबे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता-

यह मद स्थगित हो गयी है।

जनपद फैजाबाद के प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद द्वारा मास्टर प्लान प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं निर्माण कार्यों में बरती गई अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास राज्य मंत्री (श्री चितरंजन स्वरूप)-

जनपद फैजाबाद में पूर्ववर्ती बसपा सरकार के समय से तैनात प्रभावी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी....

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री चितरंजन स्वरूप-

[के भ्रष्ट एवं अलोकतांत्रिक रवैये से जिले के शिक्षक आक्रोशित एवं आन्दोलित होने सम्बन्धी उपर्युक्त नियम-51 की सूचना के सम्बन्ध में है। जनपद के शिक्षकों का आरोप है कि प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों, शिक्षा मित्रों को 4 दिवसीय मास्टर प्लान प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षार्थियों को मिलने वाला प्रतिदिन 150/-रुपये डकार जाते हैं। विगत वर्षों में इस जनपद में जितने भी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नवीन भवन एकल कक्ष, बाउण्ड्रीवाल, किचन शेड, शौचालय आदि बनवाये गये हैं वे सब निम्न स्तरीय एवं मानक के प्रतिकूल हैं। निर्माण कार्यों में भी अनियमितता बरती गयी है। इनके द्वारा स्थानान्तरण/समायोजन में शिक्षकों से जबरन वसूली की जा रही है। विद्यालयों के भवन निर्माण, ड्रेस वितरण, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में घोर वित्तीय अनियमितताएं की गयी हैं। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर दी गयी है। इनके कृत्यों से जनपदीय शिक्षकों में गहरा रोष व्याप्त है। शिक्षकों को भांति-भांति प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। जिससे उनका शिक्षण कार्य भी प्रभावित हो रहा है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र दिनांक 08 जून, 2012 द्वारा प्रकरण की जांच कराकर जांच आख्या तत्काल उपलब्ध कराये जाने के निर्देश शिक्षा निदेशक (बे0) को दिया गया था। शिक्षा निदेशक (बे0) द्वारा पत्र दिनांक 12-6-2012 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि प्रकरण की जांच करने हेतु मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) फैजाबाद (श्री बृजभूषण मौर्य) को जांच अधिकारी नामित किया गया है तथा जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे संस्तुति सहित जांच आख्या एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दें। जांच आख्या प्राप्त होने पर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड बेहटा, हरगांव, परसेंडी एवं एलिया के ग्रामों में स्वीकृत विद्युतीकरण कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामहेत भारती द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास राज्य मंत्री (श्री चितरंजन स्वरूप)-

मा0 सदस्य द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है।

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री चितरंजन स्वरूप-

[कि विस्तारित बिजनेस प्लान के अन्तर्गत विगत वर्ष धनराशि की व्यवस्था की गयी थी। इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा पत्र संख्या-754-पी0एस0डी0डी0, दिनांक 26-7-2011 द्वारा 20 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए प्राक्कलन का विवरण प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ से मांगा गया था, परन्तु कोई प्राक्कलन प्राप्त नहीं हो पाया था और विद्युतीकरण का कार्य नहीं कराया जा सका। वर्तमान में कोई अन्य कार्य योजना विद्युतीकरण हेतु प्रचलन में नहीं है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फेज-II के अन्तर्गत 300 या इससे अधिक आबादी वाले मजरे की योजना तैयार कर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त 300 या इससे अधिक आबादी वाले ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण कराया जा सकेगा।]

जनपद कांशीरामनगर के तहसील सहावर व तहसील पटियाली के बीच गंगा नदी की सीमा रेखा तय किये जाने के सम्बन्ध में श्री ममतेश शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास राज्य मंत्री (श्री चितरंजन स्वरूप)-

श्री ममतेश शाक्य, मा0 सदस्य द्वारा सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए ....

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री चितरंजन स्वरूप-

[अवगत कराया गया है कि जनपद कांशीरामनगर में तहसील सहावर व पटियाली के किनारे से गंगा नदी निकलती है। जिसके कटान के कारण समीपवर्ती दोनों तहसीलों की सीमाओं को प्रभावित करती है, जिससे वहां के किसानों के मध्य आपसी विवाद होते रहते हैं। यदि उसकी पैमाइश कराकर सीमा निर्धारित कर दी जाय तो दोनों तहसीलों के किसानों की समस्या का समाधान हो सकता है। यदि उपरोक्त समस्या का समाधान नहीं किया गया तो किसी भी समय स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

मा0 सदस्य द्वारा इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करते हुए सीमांकन शीघ्र कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में राजस्व परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ एवं जिलाधिकारी, कांशीरामनगर से आख्या प्राप्त की गयी जिसके अनुसार तहसील

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पटियाली के ग्राम सहवाजपुर व तहसील सहावर के ग्राम कैलीबढापुर जो गंगा नदी की सीमा के ग्राम हैं, विगत 02 माह पूर्व उक्त ग्रामों के मध्य सीमा-विवाद की समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसको तहसील सहावर तथा पटियाली की राजस्व टीमों के द्वारा वाद माप सीमा विवाद हल कर दिया गया है तथा सीमा पर स्थायी चिन्ह भी लगवा दिये गये हैं। वर्तमान में कोई सीमा का विवाद नहीं है। दोनों ही ग्राम गंगा नदी के किनारे बसे होने के कारण गंगा नदी की बाढ़ से प्रायः बालू से सीमाएं आच्छादित हो जाती हैं, जिसका बाढ़ समाप्त हो जाने के उपरान्त हल करा दिया जाता है।]

जनपद इलाहाबाद के ग्राम नैनी चक गुलाम में बन्द पड़ी त्रिवेणी इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड की भूमि अधिग्रहण कर स्टेडियम बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता-

यह स्थगित है।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी की नहरों की सफाई व टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरज पाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास राज्य मंत्री (श्री चितरंजन स्वरूप)-

उपरोक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट कर अवगत कराना है कि जनपद आगरा के अन्तर्गत...

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री चितरंजन स्वरूप-

[विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी राजस्थान की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है जहां भू-गर्भ जल स्तर अत्यधिक गहराई में है। यहां के किसान अपनी फसलों की सिंचाई बड़ी मुश्किल हालातों में कर पाते हैं फिर भी अधिकतर किसानों की फसल हर वर्ष चौपट हो रही है। इस क्षेत्र की एस0एफ0 ब्रान्च से छूटने वाली आगरा टर्मिनल, गोपऊ रजवाहा, जाजऊ रजवाहा, सुतेरा माइनर, मनिकपुर माइनर काफी समय से न चलने के कारण गन्दगी से अटी पड़ी है जिनकी सफाई कराकर उन्हें चलाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। नहरें सूखी पड़ी होने के कारण नलकूप आदि से सिंचाई करने के कारण अत्यधिक जल दोहन होने के कारण भू-गर्भ जल स्तर भी गिरता जा रहा है। किसान की चौपट हो रही फसलों की रक्षा के लिए नहरों में पानी चलाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यह एक अति गम्भीर विषय है जिसका निदान सर्वोच्च प्राथमिकता पर होना चाहिए।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

केवल वक्तव्य-

जनपद आगरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी शाखा एवं उससे निकलने वाली नहरों को आगरा नहर से जलापूर्ति की जाती है। आगरा नहर यमुना नदी से नई दिल्ली स्थित ओखला बैराज से निकलती है। ओखला बैराज के ऊपर अत्यधिक मात्रा में गाद जमा हो गई थी। अतः तकनीकी दृष्टिकोण से बैराज के ऊपर जमा गाद की सफाई एवं बैराज के गेटों की मरम्मत हेतु आगरा नहर को दिनांक 07 मई, 2012 से दिनांक 15 जून, 2012 तक बन्द करना पड़ा है। इस कारण फतेहपुर सीकरी शाखा एवं उससे निकलने वाली नहरों में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त आगरा नहर से निकली अन्य रजवाहों एवं माइनरों की भी आवश्यकतानुसार सिल्ट सफाई का कार्य कराये जाने की कार्यवाही प्रगति में है। आगरा नहर की बन्दी समाप्त होने एवं नहर के संचालन के उपरान्त फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सभी नहरों में टेल तक पानी पहुंचाये जाने हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को निर्देश दे दिये गये हैं।]

जनपद आगरा के ग्राम नानपुर विकास खण्ड बिचपुरी में पेयजल की आपूर्ति हेतु लगी विद्युत मोटर की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री कालीचरन सुमन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास राज्य मंत्री (श्री चितरंजन स्वरूप)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11-6-2012 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना....

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री चितरंजन स्वरूप-

[में उल्लेख किया गया है कि ''जनपद आगरा ग्राम नानपुर विकास खण्ड बिचपुरी में 5 हार्स पावर की पानी पेयजल हेतु सप्लाई की मोटर लगी है। आये दिन फुंक जाती है। उसकी क्षमता वृद्धि करके 10 हार्स पावर की मशीन लगाकर एवं पाइप लाइन की क्षमता वृद्धि कराकर पेयजल आपूर्ति करायी जाये। पेयजल आपूर्ति को लेकर क्षेत्रीय जनता में बहुत ही जनाक्रोश है।''

2-जनपद आगरा के विकास खण्ड बिचपुरी के ग्राम नानपुर हेतु गुणता प्रभावित कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजना अनुमानित लागत रु0 30.12 लाख वर्ष 2007-08 में स्वीकृत की गयी थी।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त योजना के अन्तर्गत एक नलकूप पम्पिंग प्लान्ट 7.5 एच0पी0 वितरण प्रणाली 63 एम0एम0 से 140 एम0एम0 की 3.42 कि0मी0 प्रस्तावित थी, जिसके सापेक्ष समस्त कार्यों को पूर्ण/कमीशन कर ग्राम सभा को वर्ष 2009 में रख-रखाव हेतु हस्तान्तरित कर दिया गया था तथा उसके नियमित रख-रखाव का कार्य ग्राम सभा द्वारा कराया जा रहा है।

3-जहां तक 5 हार्स पावर की मोटर की क्षमता वृद्धि का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद आगरा के विकास खण्ड बिचपुरी के ग्राम नानपुर की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या-1301 थी तथा 2.37 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के अनुसार वर्ष 2012 की जनसंख्या-1640 आगणित है। मोटर की क्षमता, नलकूप के स्राव के अनुसार निर्धारित होती है एवं ग्राम की जनसंख्या के आधार पर वितरण प्रणाली का डिजाइन किया जाता है। अतः नलकूप के स्राव के अनुसार 10 हार्सपावर का मोटर लगाकर पाइप लाइन की क्षमता की वृद्धि करना तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।]

श्री अधिष्ठाता-

अब हम उठते हैं। सोमवार को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 58 मिनट पर शुक्रवार, दिनांक 18 जून, 2012 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 15 जून, 2012

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 191 विधान सभा (352)-25-9-2012-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।